Thursday, 19 August, 1965

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 19 अगस्त, 1965/28 श्रावण, 1887 (शक)

No. 4—Thursday, August, 19, 1965/Sravana 28, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक ऊत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*तारांकित प्र० संख्या U. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
91	खाद्य पदार्थों में मिलावट	Food Adultration .	367
92	दिल्ली में मूर्तियों की स्थापना	Installation of Statues in Delhi	371
93	लेखा बाह्य धन	Unaccounted Money .	373
94	दिल्ली में पानी की व्यवस्था	Delhi Water Supply . .	378
95	उड़ीसा सरकार के लेन देन पर विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	Special Audit Report on Orissa Government transactions . . .	382
97	ब्रिटेन की बैंक दर में कमी	Reduction in U.K. Bank Rate	384
98	कृषि के लिये पृथक योजना	Separate Plan for Agriculture .	385

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

99	आसाम में जठर-आंत्र शोधक	Gastro Enteritis in Assam .	386
100	सरकारी उपक्रमों से लाभ	Profit from Public Undertakings	387
101	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रतिनिधि-मण्डल का भारत आना	I.M.F. Delegation Visit to India	388
102	जल दूषण नियन्त्रण बोर्ड	Water Pollution Control Board	388
103	परिवार नियोजन	Family Planning .	389
104	प्रति व्यक्ति शुल्क (केपीटेशन फीस)	Capitation Fees	389
105	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	Central Government Health Scheme .	390

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उक्त सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
106	पेंशन	Pensions	391
107	जीवन बीमा निगम के लिये इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर	Electronic Computers for L.I.C. .	391
108	विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Students going Abroad	391
109	राज्यों को दी जाने वाली बिजली में कटौती	Power cut in States . . .	392
110	बिजली पैदा करना	Power Generation	393
111	विदेशों में लगी भारतीय पूंजी	Indian Investment Abroad . .	393
112	पूंजी बाजार में गिरावट	Slum in Capital Market . .	394
113	पाकिस्तान को पानी देने में कटौती	Cut in Water Supply to Pakistan	395
114	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to Central Government Employees . . .	395
115	नर्मदा जल के विकास के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन	Khosla Committee Report on the development of Narmada Waters	395
116	विदेशी मुद्रा स्थिति	Foreign Exchange Position . .	396
117	वेंकटारमन समिति का प्रतिवेदन	Venkataraman Committee Report .	396
118	छिपे धन को विदेशी मुद्रा में बदलना	Conversion of Black Money into Foreign Currency	397
119	तवा परियोजना	Tawa Project . . .	397
120	रूस को निर्यात	Exports to Russia	398
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
296	चत्रा नहर परियोजना	Chatra Canal Project . . .	398
297	नई आंखों का परिवहन	Transport of Fresh Eyes . .	400
298	विद्युत् परियोजनायें	Power Projects	400
299	केरल में जल विद्युत्	Hydel Power in Kerala . . .	401
300	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में हिन्दी के फार्म	Forms of Central Excise Department in Hindi	401

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
301	जल विद्युत् उत्पादन	Hydro-electricity generation . .	402
302	केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्	Central Council of Health	402
303	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में दुकानें	Shops in Ramakrishnapuram, New Delhi	403
304	केरल में किसानों की बेदखली	Eviction of Peasants in Kerala	403
305	कानपुर चिकित्सा कालिज	Kanpur Medical College .	403
306	भारत का राज्य बैंक	State Bank of India . . .	404
307	सिचाई परियोजनायें	Irrigation Projects	404
308	बम्बई में सरकारी कर्मचारी को छुरा मारना	Stabbing of Govt. Official in Bombay	405
309	ग्रामीण गृह-निर्माण योजना	Rural Housing Schemes .	405
310	गंगा नदी से बिजली पैदा करना	Electricity from the Ganges . .	405
311	दिल्ली में रफी मार्ग पर नयी इमारतों का निर्माण	Buildings constructed at Rafi Marg in New Delhi	406
312	भारत में भूमि व्यवस्था सम्बन्धी अमरीकी अध्ययन दल की रिपोर्ट	Report of U.S. Study Team on Land System in India	407
313	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for C.P.W.D. Workers	407
314	फरक्का बांध	Farakka Barrage . .	408
315	उपकरणों की खरीद	Purchase of Equipment . .	408
316	निम्न मध्यवर्गीय व्यक्तियों के लिये फ्लैट	Flats for Lower Middle Groups .	409
317	भारत सहायता [सार्थ-संघ	Aid India Consortium . . .	409
318	मकान-बन्धक निगम	House Mortgage Corporation . .	410
319	दिल्ली के आस पास उपनगर	Satellite Towns Around Delhi	410
320	केरल में समुद्र से होने वाले भूमि के कटाव का रोकना	Anti-Sea Erosion Works in Kerala .	411
321	जन-शक्ति का उपयोग	Utilisation of Manpower . .	411

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
322	कृत्रिम अंग	Artificial Limbs . . .	412
323	राज्य परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Central Take-over of State Projects	
		Smuggling of Indian Coins outside India	412
324	भारतीय सिक्कों का चोरी छिपे भारत के बाहर ले जाया जाना		413
325	मकानों की अधिकतम लागत	Celling Costs of Dwelling Units .	413
326	दिल्ली में बच्चों का पार्क	Children's Park in Delhi .	414
327	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई	Slum Clearance in Delhi .	414
328	नये इमारती सामान का निर्माण	Manufacture of New Building Materials	415
329	शिक्षकों को आयोजन संबंधी प्रशिक्षण	Training of Teachers in Planning	416
330	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन	Family Planning in Rural Areas .	416
331	दिल्ली में जमीनों का पट्टा	Lease of Plots in Delhi .	417
332	राजस्व विभागों में भ्रष्टाचार	Corruption in Revenue Department.	417
333	दिल्ली में मलेरिया	Malaria Cases in Delhi . . .	418
334	केरल में सरकारी अस्पतालों में दाखिल-रोगी	In-patients in Government Hospitals Kerala	418
335	कन्नानोर, तेलीचेरी और माहे को जल की सप्लाई	Water Supply to Cannonore, Tellicherry and Mahe	419
336	रंजीत सिंह रोड, दिल्ली पर सरकारी आवासस्थान	Government Accommodation on Ranjit Singh Road, Delhi . .	419
337	उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन	Family Planning in U. P. . .	419
338	उत्तर प्रदेश में कुष्ठ निवारण का काम	Leprosy Eradication in U.P. . .	420
339	उत्तर काशी में बांध	Dam at Uttar Kashi . . .	420

अता० प्र० संख्या U. Q. Not.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
340	ग्रामीण जल सम्भरण परियोजनायें	Rural Water Supply Projects	421
341	गांजें का तस्कर व्यापार	Smuggling of Ganja . . .	422
342	सरकारी क्वार्टरों का ग्रावंटन	Allotment of Government Quarters	422
343	गैर-सरकारी क्षेत्र पर करों के भार में कमी	Reduction in Tax Burden on Private Sector	422
344	कालीकट में जल सम्भरण	Water Supply in Calicut . .	423
345	हिमाचल प्रदेश के लिये चिकित्सा कालिज	Medical College in Himachal Pradesh	423
346	परिवार नियोजन सम्बन्धी फिल्में	Films on Family Planning . .	423
347	पाकिस्तानी जहाज से बरामद की गई वस्तुएं	Goods Recoverd from a Pakistani ship	424
348	पश्चिमी जर्मनी से ऋण	Loan from West Germany . .	424
349	मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड	Price Stabilisation Board . .	425
350	दिल्ली में धोबियों के लिये ग्रावास	Houses for Washermen in Delhi .	425
351	दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों को ग्रनधिकृत रूप में किराये पर देना	Unauthorised sharing of Government Accommodation in Delhi . .	425
352	भूमि बन्धक बैंक	Land Mortgage Banks . . .	426
353	ग्रागरा में कुष्ठ रोग केन्द्र	Leprosy Centre at Agra . .	426
354	ग्रनाज में मिलावट के मामले	Food Adulteration Cases . .	427
355	गण्डक परियोजना	Gandak Project	427
356	केरल राज्य के गांवों में बिजली की व्यवस्था करना	Electrification of Kerala Villages .	428
357	कालीकट की जल सम्भरण व्यवस्था	Calicut Water Supply Scheme .	428
358	तिब्बिया कालिज दिल्ली तथा ग्रलीगढ़ विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	Post-Graduate Courses in Tibbia College and Aligarh University .	429

तारा० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
359	दिल्ली भूमिगत जल Sub-soil water in Delhi	429
360	सुन्दरबन का कृष्यकरण Reclamation of Sunderbans	429
361	कांगसावती नदी घाटी परियोजना Kangsabati River Valley Project	430
362	संयुक्त राज्य अमरीका से ऋण United States Loans	430
363	सरकारी उपक्रम ब्यूरो Bureau of Public Enterprises	431
364	भोजनालय Eating Houses	431
365	अनुसन्धान कार्यक्रम समिति Research Programme Committee	432
366	कृष्णा तथा गोदावरी नदियों पर सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें Irrigation and Power Projects over Krishna and Godavari Rivers	432
367	दिल्ली में चेचक Small Pox in Delhi	433
368	केरल में जठर-आंत्र-शोथ Gastro-Enteritis in Kerala	434
369	चेकोस्लोवाकिया से सहायता Aid from Czechoslovakia for Fertilizers and Chemical Industries	434
370	राजस्थान नहर क्षेत्र में बस्तियां बसाना Colonisation of Rajasthan Canal Area	434
371	स्वर्ण बांड Gold Bonds	435
372	बड़े नोटों का प्रचलन बन्द करना Demonetization of Higher denomination Notes	435
373	नरायणा, दिल्ली के निकट झुग्गी-झोपड़ी कालोनी Jhuggi Jhompri Colony near Naraina, Delhi	436
374	राजस्थान में ग्रामीण आवास Rural Housing in Rajasthan	436
375	किसान को भूमि देना Land to the Tiller	436
376	चेचक Small-Pox	437
377	नर्मदा परियोजना Narmada Project	437
378	उत्पादिता के अनुसार मजूरी दिया जाना Linking Wages with Productivity	437
379	मिट्टी हटाने वाली मशीनों सम्बन्धी "पूल" Earth Moving Machinery Pool	438
380	उत्तर प्रदेश में आयात योजनायें Housing Schemes in Uttar Pradesh	438

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
381	डाम्बरू परियोजना (त्रिपुरा) Dambroo Project (Tripura) .	439
382	विकास योजनाओं के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता Financial Assistance to States for Development Schemes . . .	439
383	नाडिया जिले में सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध आरोप Allegations against customs officers in Nadia District	439
384	विदेशों में भारतीय बैंकों का कारोबार Business by Indian Banks in Foreign Countries	440
385	वार्षिक जमा योजना Annuity Deposit Scheme	440
386	बारापोल परियोजना Barapole Project . .	440
387	काली नदी परियोजना Kalinadhi Project . . .	441
388	नागपुर से केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को हटाना Shifting of Central Government Offices from Nagpur	441
389	केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों का हटाया जाना Shifting of Central Government Offices	442
390	फ़र्राक्का में बिजली की कमी Power Shortage at Farakka .	442
391	विदेशों से ऋण Foreign Loans . . .	442
392	नीमच में अल्कोलायड कारखाना Alkaloid Factory at Neemuch	443
393	पश्चिमी बंगाल सरकार को स्टेट बैंक द्वारा ऋण State Bank Loan to West Bengal Government	443
394	ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति द्वाराचलाये जाने वाले बैंक One man Banks in Rural Areas .	443
395	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान सीमा Central Research Institute in Homoeopathy	444
396	मेडिकल कालिज Medical Colleges	445
397	हिन्दी में व्यापार-सूचनायें Trade Notices in Hindi . .	445
398	श्रीसेलम परियोजना Srisalam Project	445
399	नागार्जुन सागर परियोजना Nagarjunsagar Project . . .	446

अता० प्र० संख्या *U. Q. Nos.*	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGEs
400	राजस्थान की सिंचाई और विद्युत क्षमता — Irrigation and Power Potential of Rajasthan	446
401	क्वार्टरों का आवंटन — Allotment of Quarters	446
402	दिल्ली में मकानों की कमी — Housing Shortage in Delhi	447
403	लोअर सिलेरु जल-विद्युत् परियोजना — Lower Sileru Project	448
404	दिल्ली में सरकारी आवास — Government Accommodation in Delhi	448
405	रक्त चाप का आयुर्वेदिक इलाज — Ayurvedic Treatment of Hypertension	449
406	केन्द्र का जे० जे० अस्पताल, बम्बई को अपने हाथ में लेना — Central take over of J. J. Hospital, Bombay	449
407	पंजाब में पानी का जमा हो जाना — Water Logging in Punjab	450
408	कलकत्ता में छापे — Raids in Calcutta	450
409	नर्सों का प्रशिक्षण — Training of Nurses	451
410	झुग्गियां तथा झोपड़ियां — Jhuggies and Jhompris	452
411	दामोदर घाटी निगम के पारेषण बुर्ज का गिरना — Collapse of D.V.C. Transmission Tower	452
412	कृष्णा और गोदावरी के पानी के बारे में विवाद — Krishna-Godavari Waters Dispute	452
413	बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्र — Badrarpur Thermal Power Station	453
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of urgent Public Importance—	453
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Cashewnut factories in Kerala Re : Calling Attention Notices (Query)	454
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	445
सूचना सम्बन्धी प्रश्न के बारे में	Re : Point of information	461
विशेषाधिकार समिति पहला प्रतिवेदन	Committee of Privileges— First Report	462
सभा का कार्य	Business of the House	462
कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Companies (Second Amendment) Bill Motion to consider, as reported by Joint Committee	463

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री हिम्मतसिंहका .	Shri Himatsinghka . . .	464
श्री बड़े . .	,, Bade	464
श्री रघुनाथ सिंह .	,, Raghunath Singh . .	465
श्री श्यामलाल सर्राफ .	,, Sham Lal Saraf . . .	465
श्री स० मो० बनर्जी .	,, S. M. Banerjee	466
श्री मोरारका . .	,, Morarka . . .	467
श्री वारियर . .	,, Warior .	470
श्री सिंहासन सिंह .	,, Sinhasan Singh .	471
श्री अ० ना० विद्यालंकार	,, Vidyalankar . .	472
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	472
सड़सठवां प्रतिवेदन	Sixty-seventh Report	472
विधेयक पुरःस्थापित . .	Bills Introduced—	
1. दण्डप्रक्रिया (संशोधन) विधेयक (धारा 127, 128 और 129 का संशोधन) (श्री विश्वनाथ पाण्डेय का)	1. Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill (*Amendment of sections* 127, 128 *and* 129) (by Shri Vishwa Nath Pandey).	472
2. संविधान (संशोधन) विधेयक, 1965 (अनुच्छेद 134 का संशोधन) (श्री विश्वनाथ पाण्डेय का)	2. The Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of Article* 134) by Shri Vishwa Nath Pandey	473
3. संविधान (संशोधन) विधेयक, 1965 (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना) (श्री विश्वनाथ पाण्डेय का)	3. The Constitution (Amendment) Bill (*Omission of Article* 314) by Shri Vishwa Nath Pandey.	473
4. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, (धारा 6 का हटाया जाना) (श्री विश्वनाथ पाण्डेय का)	4. The Prevention of Corruption (Amendment) Bill (*Omission of section* 6) by Shri Vishwa Nath Pandey . .	474
5. दण्डप्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा 252 का संशोधन) (श्री सिंहासन सिंह का)	5. The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill (*Amendment of Section* 252) by Shri Sinhasan Singh	474
6. अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक (नई धारा 3-ए का रखा जाना) (श्री चपल कान्त भट्टाचार्य का)	6. The All-India Services (Amendment) Bill (*Insertion of new section* 3*A*) by Shri C. K. Bhattacharyya . .	474

विषय	SUBJECT	PAGES
7. संविधान (संशोधन) विधेयक, 1965 (अनुच्छेद 117 और 207 का संशोधन) (श्री यशपाल सिंह का)	7. The Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of articles 117 and 207*) by Shri Yashpal Singh . .	475
8. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, (धारा 77 का संशोधन) (श्री यशपाल सिंह का)	8. The Representation of the People (Amendment) Bill (*Amendment of Secion 77*) by Shri Yashpal Singh .	475
विधान परिषदें (गठन) विधेयक, (श्री श्रीनारायण का)—वापस लिया गया	Legislative Councils (Composition) Bill—*withdrawn* (by Shri Shree Narayan Das)	476
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committee	
श्री जगन्नाथ राव . .	Shri Jaganatha Rao . . .	476
श्री श्रीनारायण दास .	,, Shree Narayan Dass . . .	477
सिख गुरुद्वारा विधेयक	Sikh Gurdwaras Bill . . .	477
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	*Motion to refer to Joint Committee*	
श्री अमर सिंह सहगल .	Shri A. S. Saigal .	477
श्री यशपाल सिंह .	,, Yashpal Singh	478
श्री श्यामलाल सर्राफ .	,, Sham Lal Saraf . .	479
श्री दी० चं० शर्मा	,, D. C. Sharma . . .	479
श्री तुलशीदास जाधव .	,, Tulsidas Jadhav . .	480
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी	,, J. P. Jyotishi . . .	480
श्री काशी राम गुप्त	,, Kashi Ram Gupta . . .	480
श्री दलजीत सिंह .	,, Daljit Singh	481
श्री कपूर सिंह . .	,, Kapur Singh . . .	481
आर्थिक स्थिति के बारे में वक्तव्य श्री ति० त० कृष्णमाचारी .	Statement Re : Economic Situation Shri T. T. Krishnamachari .	482
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1965 पुरःस्थापित	Finance (No. 2) Bill 1965-Introduced	493
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	Shri T. T. Krishnamachari . .	493

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 19 अगस्त, 1965 / 28 श्रावण, 1887 (शक)
August 19, 1966 / Sravana 28, 1887 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्य पदार्थों में मिलावट

*91. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बी० च० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री दे० जी० नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री वारियर :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा :
श्री रा० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कनकसर्वे :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किस्म-नियंत्रण लागू करने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये एक अलग निरीक्षणलाय बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू०शे० नाइकर): (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को समुचित रूप से लागू कराने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में एक केन्द्रीय एकक तथा उसके क्षेत्रीय संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

Shri Yashpal Singh: This august House passed that those who are guilty of adulteration might be punished with life imprisonment. I want to know whether anybody has been awarded life punishment?

Health Minister (Dr. Sushila Nayar): Whatever has been passed by the Select Committee and the House is embodied in the Law. There is no provision of life imprisonment anywhere.

Shri Yashpal Singh: I want to know the severest punishment given to any big company, other than vendors, on this account?

Dr. Sushila Nayar: I have not got seperate information regarding companies and others but have full information regarding the number of cases of prosecutions, imprisonments and fines. 6419 people were prosecuted in U.P. in 1964 and 76 people were imprisoned. I do not have any information of the maximum punishment awarded.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य की किस्म यदि हां, लागू करने तथा उसमें मिलावट को रोकने वाले निदेशालय ने राज्यों में काम शुरु कर दिया है, तो जिन राज्यों में उन्होंने काम आरम्भ किया है, उनकी संख्या क्या है, और कब तक सारे राज्य में इस विनियम के अन्तर्गत आ जायेंगे ?

डा० सुशीला नायर : सभी राज्यों में अधिनियम को कार्यान्वित कर रहे हैं । कई राज्यों में यह मशीनरी तुलनात्मक दृष्टि से अधिक अच्छी है । चतुर्थ योजना में इस मशीनरी की सुधार के लिए राज्यों को 12 करोड़ रुपये की सहायता देने का उपबन्ध है । मुझे आशा है कि हालात में सुधार हो जायेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : जिन राज्यों में यह अच्छी प्रकार काम कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है ?

डा० सुशीला नायर : मेरे पास इस बारे में लम्बा विवरण है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें दे दूंगी ।

Shri Ram Harkh Yadav: Whether the Government are satisfied with the working of their programme of prevention of food adulteration ? Whether the Government have any other scheme under consideration to prevent food adulteration?

Dr. Sushila Nayar: The scheme provides to increase the number of inspectors and to improve the terms of their service. Also we have to increase the laboratories and analysts. All these steps will improve the situation. Due to the deterrent punishments given last year, the percentage of adulteration has sufficiently decreased.

Shri Vishwa Nath Pandey: Whether Indian experts have been consulted in regard to the proposal put forth by Government of India for establishing a separate inspectorate to prevent the food adulteration and the details of this inspectorate?

Dr. Sushila Nayar: This has been done in consultation with the experts. There is also a special committee to advise in this matter.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय मंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थों की मिलावट रोकने के लिये देश में एक अन्य योजना कार्यान्वित की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या योजना को चलाने वाले कर्मचारियों को वित्तीय अथवा अन्य प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : पता नहीं किस प्रोत्साहन से ये लोग अच्छा और ईमानदारी से काम करेंगे। हम महसूस करते हैं कि कुछ तबदीलीयां करना जरूरी है। एक बात हम यह करना चाहते हैं कि निरीक्षकों की सेवाओं का प्रान्तीकरण कर दिया जाय, इससे नगरपालिकाओं को अलग से अपने इन्सपेक्टर नहीं रखने पड़ेंगे। दूसरा सेवा शर्तों में सुधार की बात है। तीसरे यह कि केन्द्रीय निरीक्षणालय इस बात का ध्यान रखे कि अन्तर्राज्यीय नियंत्रण ठीक प्रकार से हो रहा है।

Shri Onkar Lal Berwa: Situation in Rajasthan is that test laboratories for the State are in Madras with the result that the samples taken do not bring any result before six months. I want to know whether Government are thinking of having State-wise laboratories?

Dr. Sushila Nayar: This is also under consideration.

Shri Gulsan: Whether the honourable Minister can state any item other than poison which is free from adulteration?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Even poison is adulterated.

Dr. Sushila Nayar: This is the opinion of the honourable Member.

Shri D. J. Nayak: May I know whether the legislation passed for the preventions of food adulteration and other steps taken in this regard have led to any success?

Dr. Sushila Nayar: I have already stated that the percentage of adulteration was lower this year as compared to that of the last year.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस भीषण अपराध को रोकने के लिए सरकार ने समुचित मशीनरी स्थापित की है ताकि खाद्यान्न में मिलावट करने वालों को रोका जा सके ?

डा० सुशीला नायर : भारत सरकार ने तो कोई मशीनरी नहीं बनाई, राज्य सरकारों ने इस तरह की व्यवस्था की है। ये व्यवस्था कहीं अच्छी और कहीं कुछ कमजोर है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या 14 अगस्त के 'हिन्दुस्तान टाईम्स' में प्रकाशित एक लेख की ओर मंत्री महोदया का ध्यान गया है, जिसमें कहा गया था कि सस्ती दुकानों पर जो चावल 98 पैसे प्रति किलों मिलता है, उसमें 20 प्रतिशत पत्थर के टुकड़े होते हैं, 10 प्रतिशत दूसरा अनाज होता है, और 70 प्रतिशत हरिया चावल होते हैं ? क्या वर्तमान व्यवस्था स्थिति का मुकाबला करने के लिये काफी है अथवा कानून को कुछ और सरल बनाने की अपेक्षा है ताकि अपराधियों को सजा दी जा सके ?

डा० सुशीला नायर : मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि कानून अपना काम करेगा और अपराधियों को पकड़ने में सहायक होगा।

Shri Sarjoo Pandey: The honourable Minister has stated that several people have been punished for the offense of food adulteration. I want to know whether the Government have also found out the number of ordinary vendors and big businessmen separately?

Dr. Sushila Nayar: Heavy fines realized from them give an indication that they must be rich men otherwise they would not have been able to pay it.

श्री वारियर : क्या सरकारा को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि दक्षिण में खाद्यान्नों में मिलावट विशेषकर दालों और अनाजों में भेजने समय होती है, प्राप्त करते समय नहीं, परन्तु ऐसा करने वालों के विरुद्ध सम्बद्ध राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है ?

डा० सुशीला नायर : नहीं, नहीं। सभी जगहों पर पूरा नियन्त्रण रखा जाता है। यदि दुकानदार यह सिद्ध कर देता है कि उसने मिलावट नहीं की तो उसे पकड़ा जाता है, जहां से कि माल आया था ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या यह ठीक है कि उपमंत्री श्री नास्कर ने केन्द्रीय खाद्य मानक समिति में कहा कि :

> "कि इस वर्ष के आरम्भ में अधिनियम में जो संशोधन किये गये थे, उनमें कड़े पग उठाने की व्यवस्था की गयी है, कम से कम छः मास कैद की सजा का उपबन्ध प्रथम अपराध के लिए है। परन्तु मिलावटों के मामले कुछ अधिक कम हुए नहीं। अधिनियम को सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित भी नहीं किया गया है ।"
> आगे .....

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्यक्ति का मत हो सकता है, माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या उनके वक्तव्य के अनुसार दिसम्बर, 1963 तक 23000 मामले कचहरियों में पड़े थे ?

श्री पू० शे० नास्कर : यह ठीक है कि 1963 के अन्त तक लगभग 23000 मुकदमें विभिन्न अदालतों में थे। यह भी ठीक है कि 1964 के अन्त तक यह संख्या 19000 थी। हम इस मामले में राज्य सरकारों को कह रहे हैं कि वे शीघ्रता करें ।

Shri Bibhuti Misra: How far the staff of the Health Department are doing this work of preventing the food adulteration honestly? If they are working honestly, what is the necessity of having another department for this purpose?

Dr. Sushila Nayar: No employee of the Health Ministry is doing this work.

Shri D. N. Tiwari: Whether there is any enforcement directorate in Delhi, if so, what action is going to be taken against the vendors selling dirty things on the footpaths of Delhi?

Dr. Sushila Nayar: That is the jurisdiction of the Delhi Corporation. That is not the work of the Government of India.

Shri Vishram Prashad: Have Government discovered the different diseases resulting out of the food adulteration, how far it has affected the health of the country?

Dr. Sushila Nayar: We do not know the various diseases which have spread; we definitely know of what kind they are and are endeavouring to check them.

श्री पु० र० पटेल : खाद्यान्नों में पत्थर के टुकड़ मिला दिये जाते हैं। क्या इस तरह के पत्थर के टुकड़े बनाने के लिये कोई लाईसेंन्स दिये गये हैं और इस प्रकार का काम करने के लिये मशीनें आयात की गयी हैं ।

श्री पू० शे नास्कर : हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह प्रश्न सम्बद्ध मंत्रालय से पूछा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विवाद का स्तर नीचे नहीं जाना चाहिए ।

Installation of Statues in Delhi

*92. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1205 on the 6th May, 1965 and state:

(a) the progress so far made in connection with the installation of statues of Indian leaders in Delhi and New Delhi;

(b) the nature of decision taken in the matter; and

(c) when these decisions are likely to be implemented?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): A Committee has been appointed on the 10th August 1965 to consider the matter. The composition of the Committee is as in the statement laid on the Table of the House. The Committee has not met yet. The first meeting of the Committee is likely to be held within the next two or three weeks.

Statement

(1) Shri Mehr Chand Khanna, Minister of Works and Housing—*Chairman.*

Members

(2) Ch. Brahm Parkash, Member, Lok Sabha.

(3) Shri H. C. Mathur, Member, Lok Sabha.

(4) Shri Ganga Saran Sinha, Member, Rajya Sabha.

(5) Shri Nuruddin Ahmad, Mayor, Municipal Corporation of Delhi.

(6) Shri V. Vishvanathan, Chief Commissioner, Delhi.

(7) Sardar Mohan Singh, Senior Vice-President, New Delhi Municipal Committee.

(8) Shri N. G. Dewan, Chief Engineer, C.P.W.D.

(9) Shri S. K. Joglekar, Chief Architect and Town Planner, C.P.W.D.

(10) Shri S. Chaudhri, Under Secretary, Ministry of Works and Housing—Secretary.

Shri Parkash Vir Shastri: There has been a news item that ears and nose of the statue of George V at India Gate have been broken. Will Government remove such statues only under such pressures or have they decided that these statues will be removed by the particular date?

Shri Mehr Chand Khanna: This Committee is meant for construction of statues and not for removing it.

Shri Parkash Vir Shastri: What is this reply?

Mr. Speaker: You have put such a question.

Shri Parkash Vir Shastri: The statues made, can be installed only after the existing ones are removed. My second question is whether any such matter has been discussed inside and outside the Parliament that the statue of Netaji Subhash Chandra Bose opposite Red Fort, Swami Shradhanand's statue in place of old Clock Tower and Mahatma Gandhi's statue opposite India Gate will be installed. I want to know whether some decision has been taken in this regard?

Shri Mehr Chand Khanna: All the suggestions will be considered by the members when the Committee will meet for the first time.

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय सदस्य ने मृतकों को और जीवीत को एक स्तर पर रख दिया । श्री सुभाष चन्द्र बोस तो अभी जीवित हैं, उन्हें यहां कैसे रखा जा सकता है ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Are you thinking of installing the statues of those brave soldiers, who laid down their very lives for the defence of the country such as Brig. Hoshiar Singh?

Shri Mehr Chand Khanna: I have submitted that all suggestions will be placed before the Committee. We have also to see that all the statutes will be installed in Delhi or in the other parts of the country.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय को पता है कि उनके एक सहयोगी ने अपने हाल के यूरोप के दौरे में वहां एक देश के मंत्री को बताया था कि यदि श्री सुभाष चन्द्र बोस प्रथम युद्ध के बाद भारत में वापिस आ जाते तो अखण्ड देश के प्रथम प्रधान मंत्री बनते यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां पर नेताजी का बूत लगाने का प्रयास क्यों नहीं किया जहां कि 1944 में आजाद हिन्द फौज ने पहले पहल अपना झंडा फहराया , तीन वर्ष के बाद इसी स्थान पर श्री नेहरू ने स्वाधीन भारत का झंडा फहराया ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : ओह, आपके सहयोगी यहां पर नहीं है ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : प्रश्न पूछने वाले महोदय स्वयं ही उनका उल्लेख कर सकते हैं ।

प्रश्न के दूसरे भाग का जहां तक सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि नेताजी हमारे आदरणीय नेता हैं और उनके बुत बनाने के सुझाव पर सिमिति विचार करेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने आखिर का अंश सूना नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : जो समिति नियुक्त हुई है, वह इस बात पर विचार करेगी कि कहां उनका बुत लगाया जाये ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या भारतीय नेताओं के बूत लगाने से पूर्व विदेशियों के बुत वहां से हटा दिये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दे दिया गया है ।

Shri M. L. Dwivedy: Will some arrangements be made for the protection of such statutes?

श्री कपूर सिंह : क्या इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि लोग उन बुतों के नाक कान न काटें ?

अध्यक्ष महोदय : अव्यवहारिक बात है, मैं इस प्रश्न की अनुमिति नहीं दे सकता ।

Shri Bade: I thank you for this Committee which has been set up after 18 years. What is about the removing statutes of the foreigners?

Mr. Speaker: This is not the task of the Committee, the Minister has said.

लेखा बाह्य धन

*93. श्री स०मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभातकार :
श्री प्रकाशबीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री ही० ना० मकर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भरण्डी :
श्री उटिया :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री हरिश्चन्द्र मथुर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० श्रीनिवास :
श्री रामहरख यादव :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री शं० व० पाटिल :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री द० जा० नायक :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री हेम राज :
श्री हे० वी० कौजलगी :
श्री मणियंगाडन :
श्री बासप्पा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या वित्त मंत्री 18 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा वाह्य (अन अकाऊंटेट) धन का पता लगाने के कार्य में और कितनी प्रगति हुई है, तथा अब तक इससे कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) इस दिशा में और क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ?

[पुस्तकालय में रखा गया दिखिए संख्या एल० टी० 4564/65]

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह पता चलता है कि 30-6-65 तक जो कर अदा किया गया उसकी राशि 21,61,39,733 रुपये है । यह भी पता चलता है कि वित्त मंत्री ने स्वयं ही अपना धन जाहिर करने की जो अपील व्यापारियों से की थी उसका उत्तर बहुत बढ़िया नहीं हुआ है, तो इस बे हिसाब धन का पता लगाने के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : निरीक्षण, जांच और छानबीन से पता लगाया जाता है, और यही तरीका है जिसे अपवंचन किये धन का पता लगाया जा सकता है । तलाशियां भी ले ली जाती हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह भी ठीक है कि बहुत से बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग अपना काला धन विदेशों में रखते हैं । स्विटजरलैंड के बैंकों में भी इस तरह का धन है, क्या सरकार इसे पकड़ने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है, क्या एसी कार्यवाही संभव भी है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : बिना साक्षी के कोई बात करना सम्भव नहीं । कुछ साक्षी प्राप्त करने पर हम पार्टियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या बहुत से व्यापारी अपना काला धन अंगूरों के उत्पादन में लगा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हैदराबाद में जिस तरह कृषि चालन का कार्य चल रहा है ।

श्री ति० त० कृष्णनमाचारी : मुझे पता नहीं, परन्तु यह बहुत ही अच्छा व्यवसाय है ।

श्री प्र० चं० बरूआ : काले धन का पतालगाने की प्रतिशतता क्या है, उसे बड़े बड़े करेंसी नोटों में रखा गया था, क्या उससे बड़े बड़े नोटों को अवैध घोषित करने का औचित्य सिद्ध नहीं होता ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मैं इस बारे में जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ठीक तरह से पता नहीं । परन्तु यह राशि बहुत ही अल्प है । हमने यह प्रयोग किया है, परन्तु इससे कोई काम बना नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सत्य है कि बड़े बड़े व्यापारियों में से किसी ने भी अपना काला धन प्रकट नहीं किया है क्या इस अर्थ व्यवस्था में कोई नई प्रवत्तियों का पता चला है, क्या यह काला धन भूमिगत हो गया है और हमारी अर्थ व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : लोग काले धन को हुंडियों में लगा देते हैं । वे यह बता देते हैं कि उन्होंने किसी से कर्ज़ लिया है, परन्तु वास्तव में उन्होंने कहीं से कर्ज़ नहीं लिया होता । इस तरह के कई दस्तावेज भी हमने पकड़े हैं । इस तरह के दस्तावेज बनाने वालों ने ही हमें इस तरह

की सूचना दी है, और बताया है कि इससे किन लोगों को लाभ हो रहा है। मामलों पर और आगे कार्यवाही हो रही है ।

Shri Yashpal Singh: Honourable Finance Minister gave their warning that if this black money is not disclosed, he will take strong action. I want to know the strong action taken in this connection. Leaving aside few film actresses how many business houses have been searched?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्री स० मो० बनर्जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है। इस बारे में सामान्यत: निरीक्षण करने और तलाशी लेने से ही पता लगाया जाता है। मुझे पता नहीं कि श्री माथुर क्या जानना चाहते हैं। हमें पता चला है कि काला धन हुंडियों में लगा है। हम उनके प्रति जागरूक हैं और इस तरह इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh: Whatever was asked has not been replied. I want to know the number of business houses searched.

Shri Rameshwar Sahu: If the honourable Member will read the statement, he will come to know about it.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : समय पर यह जानकारी दी जाती रही है। यदि मुझे नोटिस दिया जाय तो मैं उसी दिन तक की जानकारी दे सकता हूं ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह अपनी विदेश यात्रा के बाद जो सुझाव संसद् कार्य मंत्री श्री सत्य नारायण सिंह ने दिया है उसकी ओर वित्त मंत्री का ध्यान गया है कि विदेशों में काला धन वास्तु-कला सम्बन्धी परियोजनाओं में लगाया जाता है, क्या इस प्रकार के स्फूर्तिदायक सुझाव को वित्त मंत्री ने पसन्द किया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उन्होंने मुझे अपने विश्वास में नहीं लिया है ।

Shri M. L. Dwivedi: It has been stated in the statement that all possible steps are being taken in the matter. I want to know whether any business house has declared of its own accord regarding their undiscovered money. May I know whether Government are of the opinion that there was nothing, and what steps have been taken by the Government in this direction.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इस दिशा में किसी विशेष वर्ग पर हाथ नहीं डालना चाहता। जो कुछ कार्यवाही की जा रही है, वह मैंने बता दी है। कोई उससे बच नहीं सकता। बड़े बड़े व्यापारी इस चक्कर में नहीं आते। अधिकतर इस चक्कर में लोग मध्यम वर्ग के हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : 1965 के वित्त विधेयक में इस योजना को प्रख्यापित करके सरकार ने छिपे धन की घोषणा करने के बारे में असाधारण कार्य किया है। क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये कोई और असाधारण कार्यवाही करने पर विचार कर रही है। सरकार के अनुमान के अनुसार अभी तक कितना और धन छिपा हुआ है और काले बाजार में है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है इस बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। कोई भी अनुमान लगाया जा सकता है ; लोगों का विचार है कि यह राशि दो हजार करोड़ रुपये की हैं। आप इसे 600 करोड़ रुपये कह सकते हैं। मैंने एक जिम्मेदार आदमी

को 200 करोड़ रुपये कहते सुना है। यदि ऐसा है, तो 50 करोड़ रुपये जो बताये गये हैं वह बहुत हैं। जहां तक असाधारण कार्यवाही का सम्बन्ध है ऐसा करना ही पड़ता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहुत अधिक लोगों का विश्वास है कि छिपे धन का बहुत बड़ा भाग एक सौ रुपये के नोटों में है। क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि इन नोटों का विमुद्रीकरण किया जाये ताकि यह नोट बाहर आ जायें ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में छिपे धन का बहुत बड़ा भाग चलार्थ नोटों में नहीं है। ऐसा धन सम्पत्ति, भवनों आदि के रूप में है। नोटों का विमुद्रीकरण करना ठीक नहीं है और इससे कोई परिणाम नहीं होंगे ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या यह सरकार की जानकारी में आया है कि बंगलौर के कांग्रेस अधिवेशन से पहले देश की चोटी के व्यापारियों को कुछ नहीं कहा गया क्योंकि उ होंने अधिवेशन के लिये धन दिया था ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त हो रही है और बड़ी रोचक है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि यह योजना असफल रही है और देश से बहुत अधिक धन उत्तरी स्थानों से बाहर चला गया है क्योंकि सरकार ने छिपे धन की घोषणा करने वालों को किस्तों में भुगतान करने की सुविधा नहीं दी है ? यदि हां, तो सरकार आगे क्या कार्यवाही करने वाली है ताकि छिपा धन बाहर आये और देश को धन मिले ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार की जानकारी के अनुसार इसका उत्तर 'नहीं' में है।

श्री हेडा : क्या यह सच है कि छिपे धन की घोषणा करने वालों में बहुत से वे लोग हैं जिन पर आय-कर सम्बन्धी अभियोग चल रहे थे और आय-कर विभाग को किसी तरह इसके बारे में पता लग गया है ?

श्री ति०त० कृष्णमाचारी : मैं कुछ मूढ़ मति वाला हूं और प्रश्न का आशय नहीं समझ पाया। यदि माननीय सदस्य स्पष्ट करे तो ठीक होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरा प्रश्न सुन नहीं पाया। मेरे विचार में उन्होंने कहा है कि क्या छिपे धन की घोषणा करने वालों में अधिकतर वही लोग थे जिन पर आय-कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के बारे में अभियोग चलाये जा रहे थे और उन्होंने इस भय से धन की घोषणा की कि उनका धन इस प्रकार न पकड़ा जाये ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं उन लोगों के इरादों को नहीं जानता ।

श्री हेडा : आप उनके नाम जानकर मालम कर सकते हैं कि आयकर सम्बन्धी अभियोगों से उनका सम्बन्ध है या नहीं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनको दण्ड नहीं दिया जायेगा। हां, उनके नाम लिख लिये जायेंगे और उन पर निगरानी रखी जायेगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Will the hon. Minister tell the number of politicians and Ministers whose houses were raided and black money seized? Has any Minister's house been raided, if so, the names of the Ministers?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : आयकर विभाग माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात के आधार पर वर्गीकरण नहीं करता ।

श्री दे० जी० नायक : क्या कुछ छिपा धन विदेशों में भी चला गया है ? क्या पाकिस्तान के पास भी बहुत सी भारतीय मुद्रा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह हो सकता है । मैं यह जानकारी भी दे दूं और माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने भी कहा है कि काश्मीर में पकड़े गये कुछ लोगों से भारतीय मुद्रा पकड़ी गई है । मेरे विचार में अन्य देश उस समय तक ऐसा धन एकत्र करते हैं जब तक कि वे ऐसी जाली मुद्रा बनाने न लगें । यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी मुद्रा बाहर गई है । यह होता अवश्य है । हांगकांग में भी कुछ भारतीय मुद्रा है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : वित्त मंत्री ने छिपे धन को घोषित करने के लिये रियायतें दी हैं किन्तु फिर भी अधिक धन बाहर नहीं आया । इसके अलावा बहुत सी जाली मुद्रा भी परिचालित हुई है । क्या माननीय वित्त मंत्री देश की अर्थ व्यवस्था पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, स्थिति का अनुमान लगा सकेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में मुझे मालूम नहीं । दूसरे भाग के बारे में मैं नहीं मानता कि बहुत अधिक जाली मुद्रा चल रही है । हम इधर उधर से अफवाहें सुनते हैं । परन्तु इसके लिये राज्य पुलिस की सराहना करनी होगी कि उस ने मुद्रा का पता लगा लिया है ।

Shri Sarjoo Pandey: Like Shri Kachhavaiya, I want to know whether any arrangements have been made to find out the unaccounted money lying with politicians, Ministers and ex-rulers of States? Where has it been found out that black-money is there or not?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जसा मैं ने कहा है कि जिस किसी के पास भी छिपा धन है हम उस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ।

Shri Sarjoo Pandey: How many places were raided?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Houses of how many Ministers were raided? I want to know the number and not names?

Shri Prakash Vir Shastri: Has the hon. Finance Minister received reports that some foreign ambassadors are helping in smuggling out of India the country's currency? If so, have any steps been taken to check the tendency among people of hiding money like that?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि प्रश्न का अनुवाद ठीक नहीं हुआ है । फिर भी, मैं कहूंगा कि जो धन विदेशों को जाता है उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है । पिछले सत्र में, कहते हैं, कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कई सौ करोड़ रुपया चला गया है । यदि सैकड़ों करोड़ रुपया बाहर चला जाये तो उस का प्रभाव हमें अवश्य मालूम होगा । कुछ धन जाता है । उसका साक्ष्य यह है कि हम उसे पकड़ते हैं । हम निगरानी करते हैं कि विदेशों में भारतीय मुद्रा

न जाये। परन्तु बच निकलने वाले होते ही हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं समाचार पत्रों में तथा कई स्थानों पर व्यक्त की गई बातें ठीक नहीं हैं। और बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं।

दिल्ली में पानी की व्यवस्था

*94. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० नमो० बनर्जी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बृज राज सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेम राज :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेडा :
श्री बासप्पा :
श्री कर्णी सिंहजी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष मई और जून के महीनों में राजधानी में पानी की व्यवस्था में बहुत भारी गड़बड़ हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण थे ?

(ग) प्राधिकारियों ने जनता की परेशानी को दूर करने के लिये संकट के समय तुरन्त क्या कार्यवाही की; और

(घ) दिल्ली में पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिये सरकार का विचार क्या दीर्घकालीन उपाय करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू०से० नास्कर) : (क) जी नहीं। तथापि दक्षिणी एवं पश्चिमी दिल्ली के कुछ इलाकों में जून, 1965 में पानी की कमी हो गई थी।

(ख) इस कमी का मुख्य कारण दिल्ली की आबादी में असाधारण वृद्धि तथा गर्मियों में पानी की अत्यधिक खपत है। कच्चे पानी वाले एक कंडूट के टपकने से 2 और 3 जून, 1965 को अस्थायी रूप से पानी की कमी हो गई थी।

(ग) पानी के टपकने का पता 2 जून, को लगा था और दिल्ली नगर निगम ने तत्काल ही उसकी मरम्मत का काम अपने हाथ में लेकर अगले दिन 4 बज प्रातः तक पूरा कर लिया था। इतने समय के लिये ही जल प्रदाय के घण्टों में कमी की गई थी और स्थानिक कमी की पूर्ति के

लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी के टैंकर भिजवा दिए गए थे। 4 जून, 1965 को पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई थी।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4565/65।]**

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या यह सच है कि मई के आरम्भ में दिल्ली प्रशासन ने पंजाब सरकार से कच्चे पानी की जितनी मात्रा मांगी थी वह तुरन्त प्राप्त हो गई थी और विशेषज्ञों के मतानुसार वह मात्रा राजधानी की आवश्यकताओं के लिये काफी थी। यदि हां, तो उस के पश्चात् इतनी अधिक कमी क्यों हो गई ?

श्री पू० शे० नास्कर : मैंने पहले ही कहा है कि 2 और 3 जून को बज़ीराबाद के पास पाइप टपकने लगा था और दिल्ली के कुछ भागों में पाईप की मरम्मत होने तक पानी बन्द करना पड़ा था। केवल इन्हीं दो दिनों को कुछ क्षेत्रों में कुछ मुश्किल हुई थी। बाद में पानी की सामान्य सप्लाई बहाल कर दी गई थी।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : नल कूप योजना और गाजियाबाद और शाहदरा क्षेत्र के लिये मिश्रित जल संभरण योजना के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकार तथा राज्य सरकार इन योजनाओं के पक्ष में हैं और दिल्ली नगर निगम इन का कड़ा विरोध कर रहा है। निगम किन कारणों से इन के विरुद्ध है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): हमें इन योजनाओं के विरोध की कोई जानकारी नहीं है। यह योजनायें अभी आरम्भ की स्थिति में हैं। इन पर अभी विचार हो रहा है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या निगम इसका विरोध कर रहा है या नहीं ?

डा० सुशीला नायर : विरोध का प्रश्न तब होगा जब यह तैयार हो जायेंगी। अभी यह ऐसी स्थिति में नहीं हैं।

Shri Bibhuti Mishra: Mr. Speaker, Sir, you are a Member of this House since 1952 and also I am. Almost every year there is shortage of water in Delhi. Water is more essential than food. In other cities water is obtained from underground by tubewells and it is only in Delhi that they are depending on water from Jamuna. Cannot the water from underground be cleaned and supplied? The hon. Minister has been an associate of Gandhiji. She should be more humane.

Dr. Sushila Nayar: It is correct that there is shortage of water in Delhi. Supply has been increased every year but we have not been able to meet the demand fully. We are supplying 6 million gallons of water drawn from under ground. Underground water is not fit for drinking everywhere. It is saltish at some places. As far as it is availed....

Shri Rameshwaranand: Mr. Speaker, I rise on a point of order.

Mr. Speaker: Please sit down, let her finish her answer.

Dr. Sushila Nayar: We consulted a foreign expert regarding the places where underground water can be obtained and we have had talks with a French specialist in this regard. Where it is available we make use of it.

Mr. Speaker: Swamiji, what is your point of order.

Shri Rameshwaranand: I want to say that there were wells in Delhi before the present Government and British Government. But it is said in answer here that Delhi's underground water is not fit for drinking. Water can be supplied in large quantity from here. This type of wrong answer should not be given.

Mr. Speaker: You had heard her complete answer. She said that tubewells are there and water is supplied. At some places it is fit for drinking and at some other places it is not. There is one such tubewell in front of my door. Its water is not fit for drinking. The question is whether that can be made fit for drinking by some process. There is no point of order in it. You are in the wrong.

Shri Rameshwaranand: Water is drawn from hand pumps in Delhi. It is good water. We have taken this water in Arya Samaj in Sita Ram Bazar. It may be that water, opposite your bunglow, is not good but where it is good it can be used.

श्री बासप्पा : क्या यह सच है कि पीने के पानी का बहुत अधिक मात्रा में बागवानी के लिये प्रयोग किया जाता है । यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० सुशीला नायर : मेरे विचार में पीने का पानी बड़ी मात्रा में बागवानी के लिये प्रयोग में नहीं लाया जाता । इस का कारण यह है कि यह बहुत महंगा पड़ता है । यदि कहीं ऐसा किया भी जाता है तो इसे बन्द कराया जा रहा है और आवास मंत्रालय इस बारे में कार्यवाही कर रहा है । I want to tell Swamiji that we are getting 60 lakhs gallons of drinking water from underground. We know where it is available.

Mr. Speaker: I had also thought that wherever unuseful water is available and unfiltered water is not available for gardening, why should we not use that water for gardening, which goes to Jamuna?

Dr. Sushila Nayar: This suggestion was put before experts. It is under consideration.

Shri Yashpal Singh: This foreign expert Dr. Taylor has said in his report that he is surprised as to how people are leading their life in the Capital *i.e.* Delhi. There is no laboratory. There are no arrangement for keeping the water clean. I want to know what action has been taken on Dr. Taylor's report.

Dr. Sushila Nayar: Sir, either the hon. Member has not read Dr. Taylor's full report for there has been some misunderstanding. Dr. Taylor has said that pollution is there in the Jamuna water during rainy season but so far as the drinking water is concerned it is cleaned and then supplied and its quality is uniformally good. He has recommended the expansion of laboratory. It is under consideration.

Shri Yashpal Singh: Has any laboratory been expanded?

श्री स० मो० बनर्जी : उप-मंत्री ने पहले उत्तर में कहा है कि जून, 1965 में पानी की कमी थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान दक्षिणी दिल्ली में विनय नगर तथा अन्य जगहों की ओर दिलाया गया है जहां पर एक घंटे के लिये भी पानी नहीं मिलता । वहां की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

डा० सुशीला नायर : जी नहीं । पहले कुछ दिक्कत थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : आजकल भी दिक्कत है ।

डा० सुशीला नायर : पानी का दबाव बढ़ जाने के कारण स्थिति में काफी सुधार हुआ है

Shri K. N. Tiwary: What action is being taken to set the pressure right?

Dr. Sushila Nayar: Sir, some booster pumps have been installed and some more reservoirs and lines are being laid. It will improve the distribution.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि पानी का दबाव बढ़ाने तथा उस के हर समय अच्छा रहने के लिये क्या किया जा रहा है ? मुश्किल यह है कि दबाव कम होता है और दिल्ली के विभिन्न भागों में पानी बहुत थोड़े समय के लिये आता है । स्थिति में सुधार करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : इस का मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने तथ्यों का कैसे पता लगाया है और क्या यह सच है कि कठिनाई तथा उस की अवधि के बारे में विवरण में पूरी बात नहीं कही गई है ?

डा० सुशीला नायर: जी नहीं । मेरे सहयोगी ने ठीक ठीक समय बताया है । 2 जून को बड़े सवेरे डेढ़ और ढ़ाई बजे के बीच पानी टपकने का पता चला । उसी समय कर्मचारी वहां गये । जब पानी उतरा तो उन्होंने मरम्मत का काम शुरू कर दिया और 3 तारीख को 4 बजे प्रातः पूरा हो गया पानी सीमित मात्रा में चालू किया गया——यह 4 घन फुट के स्थान पर 2 घनफुट था । 4 तारीख को सप्लाई सामान्य थी ।

Shri Naval Prabhakar: It has been said that water supply is normal in Western Delhi. I live there. The position there is that though the hours of drinking water supply have been reduced even then taps remain dry. What are its causes?

श्री पू० शे० नास्कर : यह ठीक है कि गर्मियों के महीनों में पश्चिमी दिल्ली में पानी की सप्लाई आशाओं के अनुरूप नहीं होती । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह देखें कि पानी व्यर्थ न जाये । सार्वजनिक नलकों को बन्द रखना चाहिये । कम से कम उन के क्षेत्र में पानी जाया नहीं होना चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Perhaps the hon. Minister is aware that recently a big demonstration was staged in Delhi by Jan Sangh. It was announced one month in advance that people in such a great number were coming to Delhi, but they were put to difficulty due to shortage of water on 16th August. I want to know what are the causes for this? People have taken the wrong impression that drinking water is not available here. When it was known that people in such a large number from outside were expected in Delhi, arrangements should have been made for drinking water. I want to know whether the concerned authorities had made the arrangements?

Dr. Sushila Nayar: The party which arranged the demonstration, should have brought some tankers with it.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I have not followed the reply.

Mr. Speaker: With their help, you should have made proper arrangements.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The Government received a secret report that a large number of persons would be coming to Delhi on this occasion. So it was Government's duty to make proper arrangement of water. The answer given by the hon. Minister is no answer.

श्री कर्णी सिंह जी: इस बात को देखते हुए कि दिल्ली का विस्तार बहुत अधिक हो रहा है, इससे पहले कि नई बस्तियों को बनने दिया जाये, सरकार पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं करती ?

डा० सुशीला नायर: यह किया जा रहा है। नई बस्तियों के बनने के साथ साथ पानी का इंतजाम भी किया जा रहा है। जैसा कि उपमंत्री ने बताया कि गाजियाबद और दिल्ली के कुछ भागों के लिये मिली जुली योजना बनाने पर भी बातचीत चल रही है ।

Shri Tulsidas Jadhav: In view of the rising population of Delhi and keeping in view the frequent electricity failures and water crisis, whether the Government have prepared any long-term scheme for making proper arrangements for Delhi?

Dr. Sushila Nayar: Yes, Sir, there is a long-term scheme which is included in the statement itself.

उड़ीसा सरकार के लेन देन पर विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

*95. **श्री हरि विष्णुकामत :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या वित्त मंत्री उड़ीसा सरकार और उड़ीसा एजेन्ट्स कालिंगा ट्यूब्स और कालिंगा इडस्ट्रीज के बीच हुए लेन देन के बारे में विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में 22 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 968 और 987 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के उपबन्ध के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवाने के, लिए उड़ीसा के राज्यपाल को भेज दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे विधान-मडल में रखवा दिये गये हैं और कब रखवाये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ये प्रतिवेदन सभा के पटल पर भी रखे जायेगे ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जब से राज्य सरकार को लेखापरीक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट मिली है तब से उड़ीसा विधान मंडल की बैठक ही नहीं हुई। इसलिये, अभी तक रिपोर्ट को राज्य विधान मंडल के समक्ष नहीं रखा गया ।

(घ) जी नहीं। राज्य सरकारों के लेखों से सम्बन्ध रखने वाली लेखापरीक्षा की रिपोर्टें सभा की मेज पर नहीं रखीं जातीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय का ध्यान उड़ीसा विधान मंडल के विरोधी दल के नेता के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने सरकार अथवा राज्यपाल के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उड़ीसा विधान मंडल का अगला अधिवेशन बुलाने में अत्यधिक बिलम्ब किया है ? क्या उनका ध्यान उड़ीसा के समाचार पत्रों में छपे इस अन्य समाचार की ओर भी दिलाया गया है कि उड़ीसा सरकार नियन्त्रक महा लेखा-परीक्षक पर दबाव डाल रही है कि वह अपनी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणों में संशोधन करे ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार रिपोर्ट को विधान सभा में जान-बूझ कर प्रस्तुत नहीं कर रही है क्योंकि इस रिपोर्ट में बीजू पटनायक और बीरेन मित्र के बारे में जो आक्षप हैं वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों से भी अधिक कटु हैं ?

अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय मंत्री इसका उत्तर कैसे दे सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत: क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इसमें तीन प्रश्न उठते हैं । मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा –

अध्यक्ष महोदय : वह एक ही प्रश्न का उत्तर दे दे । अर्थात् क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं महा-लेखा परीक्षकजपर दबाव डालने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । महा-लेखा परीक्षक बहुत ही सख्त व्यक्ति हैं । उन्होंने अनौपचारिक रूप से भी मुझे कुछ नहीं बताया है। उन्होंने कहा था "भारत सरकार का इस से कोई सम्बन्ध नहीं कि मैं कब अपनी रिपोर्ट पेश करता हूं ।" उन्होंने केवल तकनीकी स्थिति के बारे में मुझे बताया था जो मैंने पिछली बार सभा-पटल पर रख दी थी । सभा को महा-लेखाजपरीक्षक का समर्थन करना चाहिये , क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं जिस परजदबाव डाला जा सके ।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, मैंने कोई समाचार नहीं देखे हैं यदि देखे भी हैं तो मैं उसी स्थिति में हूं जिसमें माननीय सदस्य हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत: क्या विशेष रूप से इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उड़ीसा के बारे में सभी को पता है, क्योंकि सी० बी० आई० की रिपोर्ट सभा पट जपर रखी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रश्न पूछे ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इस बाधा का स्वागत करता हूं । परन्तु यदि आप मुझे डांटते हैं तो आप उन्ह भी डांटिये ।

अध्यक्ष महोदय: वह प्रश्न पूछ रहे थे ।

श्री हरि विष्णु कामत: आप उनको क्यों नही डांटते ।

श्री हरि विष्णु कामत : केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के सभा-पटल पर रखे जाने से श्री बीजू पटनायक और श्री मित्र की करतूतों का सभी को पता लग गया है, अतः क्या यह सम्भव नहीं है कि वित्त मंत्री उन प्रतिवेदनों की सूची सभा को बता दे, यदि आज नहीं तो किसी और दिन ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह मेरे अधिकार में नहीं है । यह गृह-कार्य मंत्री का उत्तरदायित्व है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री को पता है कि रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं । यदि उनका उत्तर नहीं है तो मुझे कुछ और नहीं पूछना ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी नहीं मुझे कुछ नहीं पता ।

ब्रिटेन की बैंक दर में कमी

*97. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने जून, 1965 में अपनी बैंक दर को 1 प्रतिशत कम कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय अर्थ व्यवस्था तथा विनियोजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) इससे भारत की अर्थ व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ेगा वह नगण्य है ।

Shri Bibhuti Mishra: It is being said that reduction in the bank rate in England is creating difficulties in the way of traders, who impart and take loan here, in securing loans. Is it a fact?

Shri B. R. Bhagat: There is no difficulty. If they get loan, they are charged interest at the prevalent rate.

Shri Bibhuti Mishra: Is it a fact that because of the reduction in the bank rate, the citizens of India do not get loan in England?

Shri B. R. Bhagat: It is not so. Sometimes if the rate over there is lesser than India, some people bring money from there.

Shri K. N. Tiwary: In view of the fact that England has reduced its bank rate, whether the Government propose to reduce the bank rate here?

Shri B. R. Bhagat: We are free to do whatever we like. We would increase or reduce the bank rate at our own convenience.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : वित्तीय कठिनाई और विशेषकर विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी को देखते हुए, क्या सरकार रुपये का अवमूल्यन करने पर विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : वित्त मंत्री इस से सहमत नहीं हैं । मेरे विचार में यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पू० र० पटेल : ब्रिटेन में बैंक की दर को घटा दिया गया है परन्तु हमारे देश में बैंक की दर 9 प्रतिशत है और साधारणतया यह दर 18 प्रतिशत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में उत्पादन—व्यय ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक है और हम निर्यात नहीं कर सके ।

श्री ब० रा० भगत : उनको 9 और 18 के आंकड़े पता नहीं कहां से मिले हैं ? बैंक दर में कमी होने के पश्चात् यह दर दोनों स्थानों पर 6 प्रतिशत है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या ब्रिटेन ने बैंक की दर घटाने से पहले भारत से राष्ट्र मण्डल का सदस्य होने के नाते, औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से परामर्श किया था और यदि नहीं, तो राष्ट्रमण्डल का सदस्य होने के नाते उसके क्या दायित्व हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इसमें किसी पर भी कोई दायित्व नहीं है, कोई भी सरकार किसी से परामर्श नहीं करती ।

Shri M. L. Dwivedi: Has the reduction of the Bank Rate in U. K. prompted the Indian Banks to pay old rate of interest on the deposits made before the announcement and to charge new rate of interest even on those loans which were advanced before this announcement? Chhapra Central Bank, for example, has done it. Other banks have also done it.

Shri B. R. Bhagat: What happens in England, does not affect our deposit rate.

Shri Yashpal Singh: Can the Government tell us as to what loss or gain we have had as a result of this reduction in Bank Rate?

Shri B. R. Bhagat: I have already told that it will have very little effect.

श्री श्यामलाल सर्राफ : बैंकों के धन पर नियंत्रण होना तो मैं समझ सकता हूं । परन्तु विकसोन्मुख आर्थिक व्यवस्था में, जैसी कि हमारे देश है । में क्या सरकार को पता है कि वैध कार्यों के लिये धन का मिलना बहुत दुर्लभ है और यदि मिलता भी है तो बहुत अधिक दर पर ।

श्री ब० रा० भगत : इसका ब्रिटेन में बैंक की दर के घटने अथवा बढ़ने से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि इस अवधि में भारतीय बैंकों की दरो में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो भारतीय बैंकों के कार्यों में अनुपाततः कमी करना क्यों सम्भव नहीं था ?

श्री ब० रा० भगत : ब्रिटेन की बैंक की दरों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । हम अपना स्वतन्त्र निर्णय लेते हैं। हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को विचार में रखना पड़ता है। यह सच है कि हाल ही में भारतीय बैंकों की दरों में वृद्धि हुई है।

कृषि के लिये पृथक् योजना

*98. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **योजना** मंत्री 25 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 579 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन को अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा

राज्य दोनों स्तरों पर कृषि उत्पादन के लिए एक पृथक् योजना तैयार करने के बारे में विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार का अन्तिम निश्चय क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग). "चौथी पंचवर्षीय योजना 1966–71 में कृषि का विकास" शीर्षक से पृथक प्रकाशन निकालने का प्रस्ताव है । राज्य सरकारों से कहा गया है कि व इस सम्बन्ध में ब्यौरा भेजे । प्रस्तावित प्रकाशन की प्रयोगात्मक विषय सूची सभा पटल पर प्रस्तुत है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4566/65]।

श्री विद्या चरण शुक्ल : विवरण के साथ हमें सारणी नहीं दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री विद्या चरण शुक्ल :क्या सरकार ने इस कृषि योजना को बनाने के लिये कोई पथ-प्रदर्शक सिद्धांत अथवा निदेश जारी किये हैं ?यदि हां, तो इस योजना के बनाने के लिये कौन से सिद्धांत अथवा निदेश जारी किये गये हैं और क्या राज्य सरकारों को उनके बारे में बता दिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : राज्य सरकारों को कृषि विकास के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कार्यक्रमों और मात्रा के बारे में ब्यौरे देने के लिये कहा गया है। अन्य कार्यक्रमों, जैसे बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं, ग्रामीण जनशक्ति विकास, उर्वरक की आवश्यकता संबंधी कार्यक्रमों और इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये अपेक्षित औद्योगिक उत्पादनों के बारे में भी ब्यौरा देना है । विषय सूची की सारणी में सभी ब्यौरा दिया गया है। मुझे खेद है यदि माननीय सदस्य को उसकी प्रति नहीं दी गई है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग ने कोई मार्ग निदेशक सिद्धांत निश्चित किये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : पूरा ब्यौरा देना कठिन है, परन्तु विषय सूची की सारणी में मोटे तौर से 32 शीर्षक दिये गये हैं, जिनके अन्तर्गत दयौरा दिया जाना है । जैसा कि मैंने पहले कहा था, चौथी योजना की अवधि में कृषि विकास की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को कृषि विकास की अन्य आवश्यकताओं के साथ, वे चाहे जनशक्ति की आवश्यकता हो या सामान संबंधी या औद्योगिक आवश्यकता हो, देना होगा । इनके लिए समन्वित रूप में व्यवस्था करनी होगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आसाम में जठर-आंत्रशोथ

*99. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
डा० सारादीश राय :
श्री रा० बरुआ :
श्री मधुलिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में, विशेष रूप से आसाम में, हाल के महीनों में जठर-आंत्र

शोथ हैजे से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई ;

(ख) यदि हां, तो इससे उस समूचे क्षेत्र तथा आसाम में मई, 1965 से अब तक कुल कितने व्यक्ति मरे ; और

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां ।

(ख) मई से जुलाई, 1965 तक सारे क्षेत्र में इस कारण लगभग 2,150 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, इसमें से 806 व्यक्तियों की मृत्यु आसाम में हुई । 2,150 में से जो 90 व्यक्तियों की मृत्यु उड़ीसा में हुई वह 24 जुलाई तक हुई थी और त्रिपुरा में जो 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई वह 3 जुलाई तक हुई थी ।

(ग) आसाम के अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र के और किसी राज्य ने केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की है । आसाम के कामरूप जिले में जठर आंत्र शोध के फैलने के बारे में सुनते ही, कलकत्ते की स्वास्थ्य विज्ञान और लोक स्वास्थ्य की अखिल भारतीय संस्था के महामारी विज्ञान के दल को आसाम में आवश्यक जांच करने के लिये भेज दिया गया था । इसके अतिरिक्त, कलकत्ता के संक्रामक रोगों के अस्पताल से दो मेडिकल अधिकारियों को भी भेजा गया है, वे कामरूप और दारांग, जहां रोग का प्रकोप सबसे अधिक है, के मेडिकल अधिकारियों को हैजे के आधुनिक उपचार के बारे में बतायेंगे । एक और दल जिसमें एक मेडिकल अधिकारी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कलकत्ता के हैजा अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारी हैं, इस रोग के फैलने की जांच करने आसाम गया है । स्वास्थ्य जानकारी के केन्द्रीय ब्यूरो के निदेशक, इस दल की सहायता करने तथा इस रोग के फैलने के कारणों की जांच करने के लिये 22 जून को आसाम गए थे । जून और जुलाई, 1965 में आसाम सरकार को हैज़े के टीके की 15 लाख खुराके दी गई थी ।

सरकारी उपक्रमों से लाभ

*100. **श्री स० चं० सामन्त :** **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक देश के समस्त सरकारी उपक्रमों में लगे हुए लगभग 17 अरब 80 करोड़ रुपये पर केवल 2 प्रतिशत लाभ होता है ;

(ख) क्या कम लाभ के कारणों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस तरह का कुल प्रतिशत कुछ भ्रामक है, क्योंकि निवश का लगभग चालीस प्रतिशत भाग निर्माणाधीन प्रायोजनाओं, पूरी की जाने वाली विस्तार योजनाओं और प्रवर्तन तथा विकास सम्बन्धी उन प्रतिष्ठानों पर लगा है जो नफ़ा कमाने के लिए नहीं है । यदि इन्हें शामिल न किया जाय तो लगी हुई पूंजी पर 1963-64 में कुल 4.2 प्रतिशत लाभ निकलता है ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य की 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट में इस स्थिति की समीक्षा की गयी है। यह रिपोर्ट 9 मार्च, 1965 को लोक-सभा में पेश की गयी थी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रतिनिधि-मण्डल का भारत आना

*101. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेडा :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि का तीन-सदस्यीय प्रतिनिधि-मण्डल भारत की विदेशी मुद्रा और भुगतान-शेष की समस्या पर बातचीत करने के लिए मई, 1965 के दूसरे सप्ताह में भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उपपत्तियां क्या हैं और उनकी यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के करार के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद XIV की धारा 4 के अधीन, भारत सरकार के साथ परामर्श करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के तीन अधिकारी मई, 1965 में भारत आये थे। यह परामर्श विशेष रूप से यह जानने के लिए किया गया है कि चालू अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की अदायगियों और अन्तरणों पर प्रतिबन्ध लगाये रखने की आवश्यकता है या नहीं।

(ख) उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के करार के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद XIV की धारा 4 के अधीन निधि को यह बताने का अधिकार है कि "किसी विशेष प्रतिबन्ध को हटाने या सभी प्रतिबन्धों को समाप्त कर देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.....।" अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने एसी कोई बात नहीं कही है।

जल दूषण नियंत्रण बोर्ड

*102. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम राज :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री 6 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) संघ सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार क्या केन्द्र तथा राज्यों में जल दूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि इस विषय पर केन्द्रीय विधान एक ही कानून के अन्तर्गत तैयार किया जाय जिसमें समिति द्वारा केन्द्रीय जल दूषण नियंत्रण अधिनियम प्रारूप तथा राज्य जल दूषण नियंत्रण अधिनियम प्रारूप में सुझाये गये उपबन्ध यथासम्भव सम्मिलित हो जाय। इनमें एक केन्द्रीय जलदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य जलदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की बात निहित है।

परिवार नियोजन

*103. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बरवा :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन के परिवार नियोजन केन्द्रों में गर्भ निरोध का एक सरल तरीका "लूप" जिस पर केवल 2 पैंस लागत आती है, इस्तेमाल किया जाता है और वह बहुत ही सफल सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे अपने परिवार नियोजन केन्द्रों में आरम्भ करने की सम्भावना पर विचार किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि सदस्य महोदय किस रिपोर्ट विशेष का उल्लेख कर रहे हैं। सम्भवतः उन का मतलब इण्टरनेशनल प्लैण्ड पैरेण्टहुड फैडेरेशन द्वारा अपने क्लीनिकों में अन्तः गर्भाशयी गर्भ-रोधक साधन के प्रयोग से है। यदि ऐसा है तो इस साधन के प्रयोग को पहले ही हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है और इस के प्रचार पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस साधन के प्रयोग का प्रचार करने के लिये 15 से 21 जुलाई, 1965 तक एक विशेष परिवार नियोजन सूचना सप्ताह मनाया गया जो बड़ा सफल रहा।

ति व्यक्ति शुल्क (कैपीटेशन फीस)

*104. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रों में यह आम प्रथा बन रही है कि चिकित्सा कालेजों में प्रवेशार्थी छात्रों से कैपीटेशन फीस ली जाती है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को राय दी है कि इस प्रकार अत्यधिक शुल्कों के भरोसे ले चलने वाले चिकित्सा कालेज खोलने की योजनाओं को प्रोत्साहन न दें; और

(ग) पहले से ही चल रहे और निकट भविष्य में स्थापित किये जाने वाले चिकित्सा कालेजों के वित्तीय संसाधनों का पता लगाने के लिये क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) भारत सरकार को मालूम है कि हमारे देश में कतिपय प्राइवेट मैडिकल कालेज प्रवेश के लिये प्रति-व्यक्ति (कैपीटेशन) फीस ले रहे हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । तथापि भारत सरकार ने देश के प्राइवेट मैडिकल कालेजों के कार्य-संचालन की जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की थी उस ने कतिपय प्राइवेट मैडिकल कालजों के वितीय संसाधनों के बारे में कुछ सूचना एकत्र की है। सामान्यता विश्वविद्यालय किसी संस्था की अन्य बातों के साथ साथ आर्थिक स्थिति की जांच तब करते हैं जब वह सम्बद्ध होने तथा / अथवा किसी पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त करने के लिये आवेदन करती है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

*105. **श्री म० ला० द्विवेदी :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को सारे देश में लागू करने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाइयां हैं, तो वे क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रस्ताव पर भी विचार किया गया है कि इस योजना को सारी दिल्ली की जनता पर लागू किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना 8 नवम्बर, 1963 से बम्बई में चालू कर दी गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस स्कीम को देश के दूसरे बड़े बड़े नगरों जैसे कलकत्ता, मद्रास, नागपुर में चालू करने का विचार है। इलाहबाद, हैदराबाद तथा अमृतसर स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये इस योजना को चालू करने की वांछनीयता तथा व्यवहारिकता पर भी विचार किया जा रहा है। उपलब्ध साधन सीमित होने के कारण, सभी क्षेत्रों में स्कीम को धीरे धीरे चालू किया जायेगा ।

(ग) इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के 8 औषधालयों की उदाहरणत:, लक्ष्मीबाई नगर, मोती बाग, किदवई नगर, एण्ड्रयजगंज, चाणक्यपुरी, कांस्टिट्यूशन हाउस, नार्थ ऐवेन्यू तथा साउथ ऐवेन्यू सीमा में रहने वाले जन-साधारण के लिये यह योजना लागू कर दी गई है। इस स्कीम को दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले जन-साधारण के लिये लागू करने के विषय पर आवश्यक धन तथा कर्मचारियों की उपलब्धि को ध्यान में रख कर ही विचार किया जायेगा ।

(घ) दिल्ली में सामान्य जनता को लिये चालू की गई स्कीम की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०—4567/65]**

पैन्शन

*106. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम : श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की सम्भावना पर हाल में विचार किया है कि सेवा निवृत्त व्यक्तियों की पेंशन को उनके जैसे वेतन-क्रमों तथा सेवावधि वाले व्यक्तियों को आजकल देय पेंशन के स्तर पर लाने के उद्देश्य से पेंशन के ढांचे व मात्रा में पर्याप्त परिवर्तन किया जाये; और

(ख) क्या सरकार महसूस करती है कि पेंशन की वर्तमान दर बहुत ही कम है विशेष कर इस दृष्टि से कि निर्वाह-व्यय अत्याधिक बढ़ गया है।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :(क) जी, नहीं।

(ख) पेंशनों का आधार उस समय के वेतनमान होते हैं जिन्हें निर्धारित करते समय सरकार सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखती है।

जीवन बीमा निगम के लिए इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर

*107. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम में इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटरों का प्रयोग करने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने मशीन की उपयोगिता की जांच की है; और

(ग) क्या इस से देश में रोजगार की स्थिति पर कुप्रभाव पड़ेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां, महोदय।

(ख) मशीन की उपयोगिता की जांच करने का कार्य निगम का है जो कि उन्हों ने कर लिया है और इस प्रश्न पर वे सन्तुष्ट हैं।

(ग) पालिसी-धारकों की बढ़ती हुई संख्या की तुरन्त तथा दक्षतापूर्ण सेवा हेतु इस मशीन का प्रवेशन किया जा रहा है। निगम ने कमचारियों को आश्वासन दिया है कि इस से छंटनी नहीं होगी। जहां तक रोजगार की स्थिति पर पड़ने वाल प्रभावों का प्रश्न है, उन के सारभूत होने की संभावना नहीं और जो इस द्वारा प्राप्त लोगों की अपेक्षा बहुत ही कम है।

विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिए विदेशी मुद्रा

*108. श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री बासप्पा :
श्री यशपाल सिंह : श्री राम हरख यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध हाल में ही और अधिक कड़े कर दिये गये हैं;

(ख) इन प्रतिबन्धों का उन विद्यालयों पर क्या प्रभाव पड़ा है जो विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नये प्रतिबन्धों के घोषित किये जाने से पहिले ही आगामी शिक्षा सत्रों के लिये दाखिला ले चुके हैं; और

(ग) क्या ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी हां। नई नीति दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4568/65]

(ख) नई नीति के अन्तर्गत जिस की अधिसूचना, 24 मई, 1965 को दी गई थी, सुपात्र व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा दी जा रही है।

(ग) जी नहीं ।

राज्यों को दी जाने वाली बिजली में कटौती

*109. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री मणियंगाडन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री मधु लिमये :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राज्यों को कुछ समय से पहिले की अपेक्षा कम बिजली दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को तथा उस के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस के लिये क्या कदम उठाये हैं कि भविष्य में बिजली संकट पैदा न हो ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) उन राज्यों के नाम जिन को बिजली में कटौती करनी पड़ी और कटौती के कारण नीचे दिये गये हैं :—

(1) आन्ध्र प्रदेश

बिजली उत्पादन में कमी के कारण थे थे—(1) तुंगभद्र बांध से कृष्णा डेल्टा में दूसरी फसल की सिंचाई के लिये पानी छोड़ने के कारण तुंगभद्र जलाशय में पानी का निम्न स्तर हो गया, और (2) आन्ध्र प्रदेश को मैसूर राज्य को 21 मैगावाट बिजली की सप्लाई करनी पड़ी।

(2) मध्य प्रदेश

बिजली उत्पादन म इसलिये कमी आ गई क्योंकि चम्बल पन बिजली स्टेशन के बाह-क्षेत्र में 1964 में मानसून कमजोर वाली थी और इस के परिणामस्वरूप जलाशय में बाढ़ पानी असाधारण रूप से कम रहा।

(3) महाराष्ट्र

बम्बई में टाटा के दो उत्पादन यूनिटों के फेल हो जाने के कारण बिजली उत्पादन में कमी हो गई।

(4) केरल

मानसून वर्षा के न होने के कारण पन-बिजली जलाशय में जल संचय की कमी के कारण बिजली उत्पादन में कमी हो गई ।

(5) राजस्थान

अपर्याप्त अन्तःजल प्रवाह के कारण गान्धी सागर जलाशय के जलस्तर में एकदम गिरावट आ जाने से बिजली उत्पादन में कमी हो गई ।

(6) उत्तर प्रदेश

बिजली की मांग तेजी से बढ़ती जा रही थी और इस से गंगा-शारदा ग्रिड से उत्पन्न होने वाली बिजली में कमी हो गई । हरदुआगंज में एक वृहद भाप शक्ति केन्द्र में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण भी बिजली के उत्पादन में कुछ कमी हो गई ।

(ग) देश की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता लगभग 90 लाख किलोवाट है । इस क्षमता को तृतीय योजना के अन्त तक बढ़ा कर 110 लाख किलोवाट कर देने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं और यह आशा की जाती है कि देश की बिजली सम्भरण स्थिति लगभग संतोषजनक हो जाएगी । विविध राज्यों में बिजली संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिये क्षेत्रीय ग्रिडों के स्थापनार्थ सहवर्ती राज्यों की ग्रिड प्रणालियों में अतः सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ।

बिजली पैदा करना

*110. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत में अधिक बिजली पैदा करने तथा ट्रांसमिशन सिस्टम से विस्तार के लिये हाल में कुल 8 करोड़ 40 लाख डालर के ऋण की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों का उपयोग किन परियोजनाओं के लिये किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) जी हां । विश्व बैंक के साथ दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं । इन में से एक 700 लाख डालर का ऋण है जो कि सभी राज्य बिजली बोर्डों, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव के संघीय प्रदेशों, दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम और मसर्स टाटा तथा अहमदाबाद बिजली सम्भरण कम्पनियों के पारेषण कार्यक्रमों के लिये है ।

दूसरा ऋण करार 140 लाख डालर का है, और यह कोठगुदाम चरण 2 के लिये है, जिस में उत्पादन क्षमता का विस्तार और इस के उपयोग के लिये पारेषण आवश्यकतायें शामिल हैं ।

विदेशों में लगी भारतीय पूंजी

*111. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशों में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं में कुल कितना धन लगाया है ;

(ख) ये औद्योगिक परियोजनायें किन देशों में स्थापित की गई हैं अथवा की जा रही हैं ; और

(ग) यह धन किन शर्तों पर लगाया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अब तक भारतीय उद्योगपतियों को विदेशों में विभिन्न औद्योगिक प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में कुल मिलाकर 980.79 लाख रुपया लगाने की अनुमतियां दी जा चुकी हैं ।

(ख) जिन देशों में पूंजी के इन निवेशों के लिए मंजूरी दी गयी है उनके नाम हैं : कनाडा, श्रीलंका, कोलम्बिया, पूर्वी अफ्रीका, इथोपिया, ईरान, ईराक, लिबिया, मलयेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, उत्तरी आयरलैण्ड, सऊदी अरब, उगांडा, इंगलैण्ड और जम्बिया ।

(ग) विदेशों में आम तौर पर, संयुक्त उद्यमों अथवा पूर्ण स्वामित्व वाले भारतीय सहायक उद्योगों में ही पूंजी लगाने की अनुमति दी जाती है । चूंकि पूंजी का अभाव है, इसलिए समान्यतः मशीनों की सप्लाई और तकनीकी जानकारी के रूप में ही पूंजी लगाने की अनुमति दी जाती है । लेकिन, कुछ मामलों में, आरंभिक व्यय के लिए थोड़ी नकद रकमें लगाने की अनुमति भी दी गयी है।

पूंजी बाजार में गिरावट

*112. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी बाजार में वस्तुतः गिरावट आ गई है तथा जनता सामान्य शेयरों में कम पूंजी लगाती है ;

(ख) क्या इससे देश के विकास पर जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का संबंध है प्रभाव पड़ने की संभावना है और

(ग) यदि हां, तो उद्योगों में धन लगाने के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) पूंजी बाजार कुछ दबा हुआ है, यद्यपि 1965 के पहले अर्ध के दौरान जनता को जारी की गई पूंजी 1964 के तदनुरूपी अवधि की पूंजी से सारवान रूप से कम नहीं थी । फिर भी 1964 की अपेक्षा 1965 में जनता को जारी किए गए शेयरों का बड़ा अनुपात ऋण पत्रों के रूप में था और सामान्य शेयरों के रूप में कम ।

(ख) और (ग) गैर सरकारी क्षेत्र की आवश्यकतायें हामीदारों के रूप में कार्य कर रही आर्थिक संस्थाओं द्वारा पूरा करने के लिए सरकार ने कार्यवाही की है । ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित आय के ऋण-पत्रों की मांग है और सामान्य शेयरों की पूंजी और ऋण पूंजी के अनुपात में छूटें दे दी गई हैं ताकि निजी क्षेत्र अपनी पूंजीगत मांगें पूरी कर सके ।

पाकिस्तान को पानी देने में कटौती

*113. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पश्चिमी पाकिस्तान को पानी देना और कम कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सिन्धु जल सन्धी 1960 के परिशिष्ट 'ज' के साथ हाल ही में लगाए गए भाग 11 की एक प्रति, जिस में खरीफ 1965 के लिये एतदर्थ प्रबन्धों का ब्यौरा दिया गया है , सभा पटल पर रखी है । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 4569/65]**

केन्द्रीय सरकार के कमचारियों को मंहगाई भत्ता

*114. **श्री स० मो० बनर्जी** : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता जो 145 अंक के आधार पर दिया जाता है, दास आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बात की जांच करने के लिये, कि क्या मंहगाई भत्ते में की गई वृद्धि पर्याप्त है अथवा नहीं, कोई मध्यस्थ नियुक्त किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ; पहली अक्टूबर 1964 से महंगाई भत्ते में जो वृद्धियां की गयीं वे श्री एस० के० दास की सिफारिशों के अनुसार थीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होते ।

नर्मदा जल के विकास के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन

*115. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री म० ला० जाधव :
श्री जेधे :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रा० बरुआ :
श्री तन सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 6 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1203 के

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल के विकास के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी मुद्रा स्थिति

*116. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री द० ब० राज :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री कजरोलकर :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत खराब है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) वित्त मंत्री ने 17 फरवरी, 1965 को इस सभा में जो वक्तव्य दिया था उसमें और बजट भाषण में विदेशी मुद्रा की स्थिति को सुधारने के उपायों का संक्षेप में उल्लेख किया गया था । अभी हाल में, 17 जुलाई के अपने रेडियो भाषण में उन्होंने विदेशी मुद्रा की स्थिति और शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमैन्ट्स) की स्थिति को सुधारने के लिए किये गये उपायों की पूरी समीक्षा की थी ।

वेंकटारमन समिति का प्रतिवेदन

*117. **श्री हेम बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री न० प्र० यादव :
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मा० स० जाधव :
श्री जेमे :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कं० देव :
श्री सोलंकी :
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत् शुल्क सम्बन्धी वेंकटारमन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को अंशतः अथवा पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

सिंचाई और विद्यत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4570/65]**

छिपे धन को विदेशी मुद्रा में बदलना

*118. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री जेधे :**
श्री रघुनाथ सिंह : **श्री सं० ब० पाटिल :**
श्री मा० ल० जाधव : **श्री दे० जी० नायक :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि छिपे धन की बहुत बड़ी राशि को ऊंची बट्टे की दर पर विदेशी मुद्रा में बदल कर विदेशों को भेज दी है तथा कुछ धन का सोना खरीद लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस तरह उपयोग किये गये छिपे धन की राशि निर्धारित करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) और (ख) इस प्रकार की खबरें अखबारों में छपी हैं । इन कार्यवाहियों के विस्तार का अनुमान लगाना संभव नहीं है । ऐसे अपराधों का खोज-पता लगाने वाले अभिकरणों को सदा-सर्वदा सतर्क रखा जाता है ।

तवा परियोजना

*119. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषि :**
श्री विद्याचरण शुक्ल : **श्री वाडीवा :**
श्री अ० सिं० सहगल : **श्री चाण्डक :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना की क्रियान्विति में फिर से तेजी तथा सक्रियता लाई गई है अथवा लाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो नई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) यह कब तक चालू हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) बाहर से आये हुए व्यक्तियों को परियोजना पर रोजगार देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा गत् वर्ष एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण दिये जाने के कारण परियोजना पर कार्य प्रगति कर रहा है । चालू वर्ष में भी इसी प्रकार का 25 लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया है ।

(ग) चिनाई बांध की नीवों की खुदाई, मिट्टी बांध के लिये 'कट-आफ-टैंच' की खुदाई और दो मुख्य नहरों पर खुदाई का कार्य प्रगति कर रहा है ।

(घ) सिंचाई लाभ 1969-70 से प्राप्त होने की और इसके तीन वर्ष पश्चात परियोजना के पूर्ण होने की सम्भावना है ।

रूस को निर्यात

*120. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन रूस को भारतीय सामान के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तथा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रूसी सहयोग प्राप्त करने के लिये रूस गये थे ; और

(ख) यदि हां, उनकी यात्रा का क्या परिणाम रहा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां, व्यापार के विस्तार की गुंजाइश और भारतीय सामान के अधिक निर्यात के विषय में रूस सरकार के प्रतिनिधियों से बात-चीत की गई ।

(ख) इसके कार्यान्वयन के लिए आगे कदम उठाने के बारे में अभी दोनों सरकारों के विशेषज्ञों के मध्य बातचीत होनी है ।

चत्रा नहर परियोजना

296. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में चत्रा नहर परियोजना की शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्विति के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ;

(ख) नेपाल में अन्य भारतीय-सहायता प्राप्त परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) क्या इन उपायों को अन्तिम रूप देने के लिये दोनों देशों के प्रतिनिधियों की हाल ही में काठमांडू में बैठक हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत द्वारा बनाई जा रही चत्रा परियोजना स्रोत सभी परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) भारतीय सहायता मिशन द्वारा परियोजना के कार्यान्वियन से सम्बद्ध अधिकारियों से कार्य तथा व्यय की समय सूचियां और मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं ।

(2) परियोजनाओं के निर्विघ्न कार्यान्वन में आने वाली कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करने तथा कार्य की प्रगति के पुनरविलोकन के लिये भारतीय सहायता मिशन, काठमान्डू में समय समय पर प्रगति पुनरावलोकन बैठकें की जाती हैं । निदेशक, भारतीय सहायता मिशन, नेपाल तथा भारतीय सहायता द्वारा बनाई जा रही मिश्रित परियोजनाओं के कार्यभारी सदस्य परियोजनाओं के स्थलों पर निरीक्षण करने के लिये काफी दौरे भी लगाते हैं और उन को पूर्ण करने में शीघ्रता लाते हैं ।

(3) जब कभी आवश्यकता हो नेपाल सरकार के और भारतीय सहायता मिशन के अधिकारियों के बीच परियोजनाओं की प्रगति के पुनरावलोकन के लिये उच्चस्तरीय वार्तालाप भी किये जाते हैं ।

(4) अगस्त, 1964 में विदेश मंत्री के नेपाल के दौरे के दौरान यह मान लिया गया था कि दोनों सरकारें भारतीय सहायता द्वारा नेपाल में बन रही परियोजनाओं की प्रगति का सामयिक पुनरवलोकन करें, ताकि उनके कार्यान्वियन में तेजी लाई जा सके । अभी तक काठमान्डू में दो पुनरविलोकन किये गये हैं—एक अक्तूबर, 1964 में और दूसरा मई, 1965 में ।

विशेषत:, चत्रा नहर परियोजना के लिये भारत तथा नेपाल सरकारों के बीच 2 नवम्बर, 1964 को हुए समझौते के अधीन एक प्रगति पुनरविलोकन समिति भी बनाई गई है, ताकि समय समय पर कार्य की प्रगति का पुनरवलोकन किया जा सके । इस समिति के चार सदस्य हैं—दो प्रतिनिधि नेपाल सरकार के, एक प्रतिनिधि बिहार के नदी घाटी परियोजना विभाग का और एक प्रतिनिधि निदेशक, भारतीय सहायता मिशन का ।

(ग) भारतीय सहायता द्वारा बन रही परियोजनाओं की प्रगति पर विचार करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि मई, 1965 में काठमांडू में मिले ।

नई आंखों का परिवहन

297. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था ने ब्रिटिश चक्षु बैंक के प्रयोगात्मक कार्यक्रम के संबंध में भारत को बिना किसी शुल्क के नई आंखों का परिवहन करने के अपने निर्णय की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ग) अब तक कितनी नई आंखों का आयात किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एअर इण्डिया को यह निदेश दि हैं कि रीजनल आई बैंक, क्वीन विक्टोरिया अस्पताल, ईस्ट ग्रिनस्टेड सुसेक्स (यू०के०) के निदेशक द्वारा दान की गई कोर्निया सम्बन्धी सामग्री के प्रेषणों को लाने के लिये जब कभी उस कार्पोरेशन की सेवाओं की आवश्यकता हो तो वे उस माल को लन्दन से नई दिल्ली तक मुफ्त ले आवें ।

(ग) अभी तक एयर इंडिया दो प्रेषण (कनसाइनमेन्ट) मुफ्त लाया है जिसमें प्रत्येक में 6–6 मानव नेत्र (परिरक्षित कार्निया) थे ।

विद्युत परियोजनाएं

298. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मणियंगाडन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल की विद्युत् परियोजनाओं के लिये 3.36 करोड़ रुपये और अधिक देने के लिये केन्द्र से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में धन की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सबरीगिरी, कुट्टियादी तथा इडिक्की परियोजनाओं के लिये कितनी धन राशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार ने केरल के बिजली कार्यक्रम के लिये 1965-66

वर्ष निमित 2.35 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त व्यय निम्नलिखित रूप से मान लया है :—

1. साबरीगिरी	.	21 लाख रुपये
2. इदिक्की	. . . .	100 लाख रुपये
3. कुट्टियादी	. .	114 लाख रुपये
	कुल .	235 लाख रुपये

केरल में जल विद्युत

299. श्री अ० क० गोपलन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की परिवहन, उद्योग तथा विद्युत उप-समिति की एक बैठक हुई है ;

(ख) क्या इस समिति में केरल राज्य का भी कोई प्रतिनिधि था ;

(ग) क्या केरल के जल विद्युत संसाधनों को इस्तेमाल करने के बारे में कोई सुझाव दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् की परिवहन, उद्योग और विद्युत उपसमिति की 23 फरवरी, 1965 को हुई दूसरी बैठक में केरल राज्य के प्रतिनिधि ने कहा कि केरल जल क्षमता से भरपूर है । इन साधनों का उपयोग केवल केरल की आवश्यकताओं पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए वरन् क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रख कर इनका विकास किया जाना चाहिए । इन साधनों के विकास में राज्य योजना की अधिकतम सीमा बाधक है । केन्द्रीय संचालित योजना चालू करने के बारे में इन्हें कोई आपत्ति नहीं ।

(घ) राज्य की चौथी योजना के आकार के बारे में, सरकार ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया है । राज्य सरकार के प्रारंभिक ज्ञापन में प्रस्तावित केरल राज्य का बिजली का कार्यक्रम अभी विचाराधीन है ।

Forms of Central Excise Department in Hindi

300. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of forms of the Central Excise Department translated into Hindi so far;

(b) the number out of them printed in diglot form; and

(c) the number of forms which have not so far been translated into Hindi and also the number of those which have been translated but have not been printed in diglot form?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) 158.

(b) 87.

(c) 41 and 71 respectively.

जल विद्युत उत्पादन

301. श्री पु० रं० पटेल : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1964 से 1 अगस्त, 1965 तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात में कितने किलोवाट जल विद्युत का उत्पादन किया गया, और

(ख) इस अवधि में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात को किसी अन्य राज्य में स्थित केन्द्रों में कितने किलोवाट बिजली दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) 1 अगस्त, 1964 से 1 अगस्त, 1965 तक राज्य में उत्पादन की गई और बाहर से प्राप्त पन बिजली शक्ति का ब्यौरा

राज्य	राज्य में उत्पन्न पन बिजली-लांख किलोवाट में	राज्य से बाहर के बिजली केन्द्रों में प्राप्त पन बिजली-लाख किलोवाट में
1. मध्य प्रदेश	3638	15 (30-6-65) तक- मचकंड पन-बिजली केन्द्र उड़ीसा से)
2. महाराष्ट्र	30400	कुछ नहीं
3. राजस्थान	कुछ नहीं	1819 (गान्धी सागर पन बिजली केन्द्र, मध्य प्रदेश से)
4. गुजरात	कुछ नहीं	1045 (भाखड़ा नंगल बिजली केन्द्र, पंजाब से)

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद

302. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय परिषद ने 19 तथा 20 जुलाई, 1965 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा अपनी बैठक में की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4571/65]**

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में दूकानें

303. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में आवेदनकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों को अब कितनी सूकानें दी गई है;

(ख) दूकानों के लिये कुल कितने कमरे/कवार्टर उलब्ध किये गये हैं;

(ग) इस बस्ती (रामकृष्णपुरम के नये सैक्टरों में और कितनी दूकानें बनाई जायेंगी; और

(घ) ये दूकानें किन व्यक्तियों को दी जा सकती हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री(श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) रामकृष्णपुरम में सैक्टर 1 से 4 तक अब तक आवंटित दुकानों, स्टालों, ईंधन डिपों की कुल संख्या 187 है।

(ख) रामकृष्णपुरम के सैक्टर एक में और दो कमरे वाला क्वार्टर सहकारी स्टोर के प्रयोग के लिए आवंटित किया गया है ।

(ग) रामकृष्णपुरम के शेष सैक्टरों में लगभग 288 दूकानें, स्टाल ईधन डिपों आदि के बनाने का प्रस्ताव है ।

(घ) दूकानें, स्टाल आदि का आवंटन विभिन्न व्यवसाय और प्रतिवेदकों के साधनों को ध्यान में रख कर समान रूप में किया जाता है ।

केरल में किसानों की बेदखली

304. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल में कोट्टायम के अध्यापनकोविल उद्बंचोलाई नालूक में परियोजना कार्यों के लिये किसानों को बेदखल करने के लिये नोटिस जारी किये कये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा और उन्हें पुनः बसाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं;

(ग) क्या भूमि को खाली करने से पहले किसानों को अपनी फसल काटने की अनुमति होगी; और

(घ) किसानों को क्षतिपूर्ति किस दर पर दी जाएगी तथा उन्हें और क्या सुविधाएं दी जाएंगी

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर चिकित्सा कालिज

305. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने चिकित्सा कालिज, कानपुर को 1963–64 तथा 1965 में दिये गये वचन के अनुसार कोई रकम नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान प्रणाली के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को सभी केन्द्र सहायियत योजनाओं के लिये जिनमें मेडिकल कालेजों की स्थापना और विस्तार की योजना भी सम्मिलित है। 1963–64 और 1964–65 के दौरान क्रमश: 144.13 लाख और 111.80 लाख रुपये के अनुदान एक मुश्त दिये गये। केन्द्र सहायियत कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान पृथक-पृथक योजनाओं के लिये नहीं दिये जाते हैं।

मेडिकल कालेजों के विस्तार की आपात्कालीन योजना, जो केन्द्र समर्थित योजना हैं, के अन्तर्गत 1963-64 में इस राज्य सरकार ने 60,111 रुपये की मांग की थी और यह राशि उन्हें दे दी गयी थी। राज्य सरकार ने अपात्कालीन योजना के अन्तर्गत चार मेडिकल कालेजों के विस्तार के लिये जिसमें मेडिकल कालेज, कानपुर भी सम्मिलित है, केन्द्रीय सहायता के रूप में 2.11 रुपये की जो मांग की थी वह 1964-65 में दे दी गई।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत का राज्य बैंक

306. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य बैंक के बोर्ड में एक निर्देशक को तीसरी बार नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या पहले यह आश्वासन दिया गया था कि ऐसी नियुक्ति लगातार दो बार से अधिक नहीं की जायेगी; और

(ग) तीसरी बार ऐसी नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग) : राज्य बैंक के केन्द्रीय बोर्ड का पुनर्गठन 1 जुलाई 1957 को और फिर 1 दिसम्बर 1964 को किया गया था। इसलिए किसी भी निदेशक (डारेक्टर) के बारे में, जिसे बैंक कानून के किसी भी उपबन्ध के अन्तर्गत बोर्ड में नामजद किया गया हो यह नहीं माना जा सकता कि उसने दो सामान्य अवधियां पूरी करली हैं। ऐसा भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि यदि किसी निदेशक ने लगातार आठ वर्ष से अधिक अवधि तक निदेशक के रूप में सेवा कर ली है, तो उसे फिर से नामजद नहीं किया जायेगा।

सिंचाई परियोजनाएं

307. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृता करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में तेजी से सिंचाई के साधन बढ़ाने के तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिये कुछ वरिष्ठ-अधिकारियों की एक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त की है,

(ख) यदि हां, तो यह समिति क्या कार्य करेगी, और

(ग) इसका प्रतिवेदन कब तक पेश किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति उन परियोजनाओं की जो निर्माण की प्रौढ़ अवस्था में हैं प्रगति की जांच करेगी और जहां तक हो सकेगा उन कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करेगी ।

(ग.) विशेष परियोजनाओं पर हुए कार्य की प्रगति की जांच के लिये समिति की समय समय पर बैठकें होती हैं । समिति ने अभी तक चम्बल परियोजना, महानदी डेल्टा सिंचाई परियोजना, कंगसावती परियोजना, मन्दर नहर परियोजना कोसी परियोजना, सोन परियोजना, परिम्बिकुलम अलियार परियोजना तथा राजस्थान नहर परियोजना पर हुए कार्य की प्रगति की जांच की है । यह रिपोर्ट राज्य सरकारों तथा परियोजना बोर्ड को आवश्यक कार्यवाहीं के लिये भेज दी गई हैं ।

बम्बई में सरकारी कर्मचारी को छुरा मारना

308. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **वित्त** मंत्री बम्बई में प्रवर्तन निदेशालय के उपनिदेशक को छुरा मारने के बारे में 6 मई 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1218 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में मुकदमे की क्या स्थिति है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) आरोप-पत्र अभी तक दायर नहीं किया गया है क्योंकि कुछ अभियुक्तों द्वारा लिखें बताये गये कुछ कागज-पत्रों के बारे में हस्त लेख विशेषज्ञ की राय प्रतीक्षित है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण गृह-निर्माण योजनाय

309. श्री दलजीत सिंह: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 के लिये पंजाब में ग्रामीण गृह-निर्माण योजनाओं के लिये कितनी धनराशि निर्धरित की गई है और अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : ग्रामीण गृह-कार्य निर्माण योजना के अन्तर्गत पंजाब सरकार ने 1965-66 की अपनी वार्षिक आयोजना में किसी निधि की व्यवस्था नहीं की है । इस लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कोई राशि निर्धारित नहीं की गयी । फिर भी उन्होंने योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए जीवन बीमा निगम निधि से 5 लाख रुपये निर्धारित करने के लिए कहा है ।

Electricity from the Ganges

310. Shri Yashpal Singh:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for the generation of electricity in the Ganges basin;

(b) if so, broad features thereof; and

(c) the expenditure likely to be incurred thereon?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) There are already fifteen power stations in the Ganges basin with a total installed capacity of about 554,000 KW. in operation. This capacity would increase to 629,000 KW. when the additions in some of them, which are currently in progress, are completed. Nine more major schemes with an aggregate installed capacity of about 980,1000 KW. are currently under construction. The economically utilise hydro power potential of the Ganga basin has been assessed at about 4.8 million KW. at 60 per cent load factor.

(b) The major power stations under operation at present are:—

(i) 8 stations on the Ganga Canal with an aggregate capacity of 46,000 KW.

(ii) Khatima Power Station on the Sarda Canal (41,400kW).

(iii) The power stations of the DVC at Tilaya, Maithon and Panchet Hill with an aggregate capacity of 104,000 kW.

(iv) Gandhisagar (at present 92,000 kW., ultimate 115,000 kW.).

(v) Rihand Power Station (at present 250,000 KW. ultimate 300,000 KW.).

(vi) Matatila Power Station (at present 20,000 kW., ultimate 30,000 kW).

Schemes currently under construction are:—

(a) Yamuna Stage I (84,500 kW.).

(b) Yamuna Stage II (324,000 kW.).

(c) Ramganga (165,000 kW.).

(d) Obra (100,000 kW.).

(e) Kosi (20,000 kW.).

(f) Gandak (15,000 kW.).

(g) Ranapratapsagar (172,000 kW.).

(h) Kotah (100,000 kw).

(c) The total outlay on power generation for the schemes currently under construction has been estimated at about Rs. 130 crores. The cost of the other potential schemes have not so far been estimated.

दिल्ली म रफी मार्ग पर नयी इमारतों का निर्माण

311. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्त्ती :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में रफी मार्ग पर दो नई इमारतों पर अभी कब्जा नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं । इनमें से एक इमारत श्रम और रोजगार मंत्रालय और सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को आवंटित की जा चुकी है और आंशिक रूप से उन पर कब्जा किया जा चुका है । यह गतिविधि पिछले महीने आरम्भ हुई थी । दूसरी इमारत (विट्ठलभाई पटेल हाउस) के दो भाग हैं, अर्थात् संसद सदस्यों का क्लब तथा रिहायशी

फ्लैट। क्लब का भाग संसद सचिवालय को पहले ही दिया जा चुका है। दूसरे भाग में, 144 फ्लैटों में से केवल 84 फ्लैट तैयार हुए हैं। इन में से 78 फ्लैट आवंटित किये जा चुके हैं तथा शेष छः शीघ्र आवंटित हो जायेंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में भूमि व्यवस्था सम्बन्धी अमरीकी अध्ययन दल की रिपोर्ट

312. **श्री विद्याचरण शुक्ल:** क्या **योजना** मंत्री 11 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1020 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में भूमि व्यवस्था सम्बन्धी अमरीकी अध्ययन दल की रिपोर्ट पर अन्तिम विचार कर लिया ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब०रा०भगत) : (क) और (ख) श्री वुल्फ लार्देजिंस्की, सलाहकार, फोर्ड फाउन्डेशन के "सघन खेती वाले जिलों में मिल्कियत के हक की दशाओं का अध्ययन" की प्रतियां राज्य सरकारों को भेजी गई थीं। यह रिपोर्ट राज्य सरकार के विचारों सहित प्रकाशित कर दी गई है। इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं और संसद सदस्यों को भी वितरित की जा रही हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण के कर्मचारियों के लिय मजूरी बोर्ड

313. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेम राज :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ ने हाल ही में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख) मजूरी बोर्ड स्थापित करने की मांग करते हुए केन्द्रीय निर्माण लोक विभाग कमचारी संघ के दिल्ली क्षेत्रीय सम्मेलन द्वारा जून 1965 में पारित प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि मंत्रालय को मिली थी। मांग की बड़ी सावधानी के साथ परीक्षा की गई है। दो केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर 1947 में और फिर 1959 में वर्क चार्ज्ड एस्टब्लिशमेंट के वेतन मान का पुनरीक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने वर्क चार्ज्ड एस्टब्लिशमेंट के लिये एक तदर्थ समिति की स्थापना की थी जिसकी सिफारिशों पर वर्क चार्ज्ड स्टाफ के प्रशासन के सम्बन्ध में विभिन्न सुधार किये जा चुके हैं। वर्क चार्ज्ड एस्टब्लिशमेंट पर विभिन्न वर्गों को वर्गीकृत करने तथा विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार ने वर्गीकरण तथा विषमता निवारण समिति की स्थापना की थी। समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृत कर ली गई हैं तथा उनमें से बहुतों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश पहले ही जारी कर दिये गये हैं। उदार बनाई गई पेंशन नियमावली (लिबरलाईज्ड पेंशन रूल्स) के अन्तर्गत स्थायित्व, पेंशन, चिकित्सा के खर्चे की प्रतिपूर्ति, केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा

योजना (सी० जी० एच० एस० स्कीम), तथा जिस प्रकार नियमित सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना स्टाफ को यात्रा एवं अन्य भत्ते ग्राह्य हैं, उनका केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का वर्क चार्ज्ड स्टाफ पहले ही से अधिकारी है ।

यदि औद्योगिक कर्मचारियों को ग्राह्य अन्य कानूनी अधिकार शामिल कर लिये जायें तो वर्क चार्ज्ड स्टाफ की सेवा की शर्तें नियमित सरकारी स्टाफ को ग्राह्य शर्तों से कम अनुकूल नहीं हैं। इसलिए सरकार समझती है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड की स्थापना करने का कोई औचित्य नहीं है ।

फरक्का बांध

314. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती रेणुका राय :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री कोल्ला वैकया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
डा० सारादीश राय :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध परियोजना को क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या इस पर मूल अनुमान से अधिक व्यय होने की सम्भावना है और यदि हां, तो कितना अधिक?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा०कु ल० राव) : (क) तथा (ख) फरक्का बराज तथा फीडर केनाल पर कार्य काफी प्रगति पर है और आशा है कि यह परियोजना 1970–71 तक काफी हद तक पूर्ण हो जाएगी। प्रगति की ओर निरन्तर ध्यान दिया जाता है और जब जब भी कठिनाइयां या बाधायें आती हैं उनको हटाने के लिए उच्चतम स्तर पर उपाय किये जाते हैं ।

(ग) उक्त परियोजना का वर्तमान अनुमान 68.59 करोड़ रुपये है । साज सामान सामग्री आदि की लागत में और श्रमिकों आदि की मजदूरी में बढ़ोतरी होने के कारण इस अनुमान का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

उपकरणों की खरीद

315. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सत्रह देशों, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन द्वारा दिये गये ऋणों से सरकार ने 2,865.93 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण खरीदने के लिये आर्डर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों से कौन से तथा कितने उपकरण खरीदे जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद विदेशी ऋणों के आधार पर सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए 2865.93 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण और सामान (अमरीकी पब्लिक ला 480 के अधीन मंगाये जाने वाले अनाज और रेशों से भिन्न) के लिये आर्डर दिये गये हैं ।

(ख) एक विवरण, सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4572/65]

निम्न मध्यवर्ती व्यक्तियों के लिये पलट

316. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने निर्माण भवन का उद्घाटन करते समय यह सुझाव दिया था कि निम्न मध्यवर्गीय व्यक्तियों के लिए सरकार को स्वयं फ्लैटों का निर्माण करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रीय प्रशासनों के द्वारा इस मंत्रालय की पहले ही से मंजूर हुई आवास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जो मुख्यतः निम्न तथा मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों की आवास आवश्यकता की पूर्ति के लिए हैं । राज्य सरकारें तथा संघ क्षेत्रीय प्रशासन अथवा उनकी प्रतिनिधि एजेंसियां मकानों, टैनमेंटों और फ्लैटों को बना रही हैं । उन्हें किराया-खरीद (हायर-परचेज़) के आधार पर पात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जाते हैं । इन योजनाओं का विवरण मंत्रालय की 1964–65 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है जो कि संसद के सामने अप्रैल 1965 में प्रस्तुत की गई थी । इन योजनाओं के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक नियतन किये जाने की आशा है ताकि राज्य सरकारें और प्रशासन निर्माण कार्य तेज़ कर सकें ।

भारत सहायता सार्थ-संघ

317 **श्री यशपाल सिंह :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता कन्सरशियम ने भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मी. (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

मकान-बन्धक निगम

318. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डय :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मकान बन्धक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

वित्त मंत्री (श्रीति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). इस विषय में विचार किया जा रहा है, लेकिन ब्यौरा तैयार किया जाना अभी बाकी है ।

दिल्ली के आस-पास उपनगर

319. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या फरीदाबाद, शाहदरा, गुड़गांव जैसे उपनगरों का विकास करने तथा दिल्ली में कोई नये कार्यालय न खोलने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) दिल्ली के मास्टर प्लान में दिल्ली के विकास के साथ साथ उसके इर्द गिर्द गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़, नरेला, लोनी और बल्लभगढ़ में 7 उपनगरों की योजना तथा उनके विकास की सिफारिश की गई है । दिल्ली के मास्टर प्लान की सिफारिशों को सम्बन्धित राज्य सरकारों अर्थात् उत्तर प्रदेश और पंजाब के ध्यान में लाया जा चुका है जो अपनी अपनी सीमा में पड़ने वाले उपनगरों के लिये विस्तृत प्लान तैयार करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । जहां तक दिल्ली में कार्यालयों के खोलने का प्रश्न है, भारत सरकार ने दिल्ली में नये कार्यालय न खोलने का कोई निर्णय नहीं किया है । तथापि सरकार की वर्तमान नीति यह है कि दिल्ली में केवल वही कार्यालय खोले जायें जो प्रशासकीय कार्य-कुशलता पर आंच आये बिना दिल्ली के बाहर कार्य नहीं कर सकते हैं । इस पर भी दिल्ली में आवास की वर्तमान संकीर्णता तथा अभाव को दृष्टि में रखते हुए सरकार की यह भी नीति रही है कि ऐसे सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाया जाये जो अपनी कार्यकुशलता में किसी प्रकार की कमी आये बिना दिल्ली से बाहर काम कर सकते हैं । यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को खोलने या कार्यालयों को दिल्ली से बाहर जाने के सभी प्रश्नों पर मंत्रिमंडल की एक समिति निर्माण एवं आवास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में चल रही आवास सलाहकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय करती है ।

केरल में समुद्र से होने वाले भूमि के कटाव को रोकना

320. **श्री वारियर :** **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्रभात कार : **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में समुद्र से होने वाला भूमि का कटाव रोकने का कार्य अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). अब तक राज्य सरकार केरल में समुद्र कटाव निरोध कार्यों को भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से कार्यान्वित करती रही है। बहर हाल, समुद्र कटाव निरोध कार्यों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता पद्धति में तब्दीली का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है

जन-शक्ति का उपयोग

321. **श्री श्रीनारायण दास :** **श्रीमती तारकेश्वरी**
श्री द्वा० ना० तिवारी : **श्री बसवन्त :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगली योजना में ग्रामीण जन-शक्ति के उपयोग सम्बन्धी कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने सम्बन्धी रूपरेखा तैयार करने के लिए 14 अप्रैल, 1965 को नई दिल्ली में हुए अन्तर्राज्य सम्मेलन में क्या क्या सुझाव दिये गये और क्या क्या निर्णय किये गये ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). ग्रामीण जन-शक्ति के उपयोग के सम्बन्ध में अन्त: राज्य सम्मेलन 14 से 16 अप्रैल, 1965 को हुआ। उसने सिफारिश की कि ग्रामीण जन-शक्ति कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना का अभिन्न अंग होना चाहिए। यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में चालू किया जाये जहां काफी बेरोज़गारी तथा अर्ध-रोज़गारी हो और उनको निर्दिष्ट किया जाय। सम्मेलन ने अनुभव किया कि इन क्षेत्रों के अन्तर्गत 1500 से 2000 तक विकास खंड आ सकते हैं। सम्मेलन ने आगे प्रस्ताव किया कि इस कार्यक्रम को विद्यमान दक्षता के अनुसार चुने हुए क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध करना चाहिए और उन क्षेत्रों में नई दक्षता के विकास का प्रयत्न करना चाहिए।

ये प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन हैं।

कृत्रिम अंग

322. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री पू० ना० खां :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी जर्मनी ने भारत में कृत्रिम अंग बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सरकार को पूर्वी जर्मनी से इस सम्बन्ध का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

323. **श्री हेम बरुआ :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बासप्पा :
श्री पें० वेंक्टासुब्बया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री न० प्र० यादव :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का उन बड़ी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने के लिये जिनका प्रबंध इस समय राज्य सरकारों के हाथ में हैं, कुछ मार्ग दर्शी सिद्धान्त बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऐसा करने के लिये कहा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पदा ही नहीं होता ।

(ग) कुछ राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है कि सिंचाई और बिजली की बड़ी-बड़ी प्रायोजनाएं राज्यों की आयोजनाओं में शामिल न की जायं और उनके लिए धन की व्यवस्था सीधे केन्द्र द्वारा की जाय ।

भारतीय सिक्कों का चोरी छिपे भारत से बाहर ले जाया जाना

324. **श्री हेम बरुआ :** **श्री म० ल० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री विश्नाथ पाण्डेय :**
श्री पू० ना० खां : **श्री राम हरख यादव :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री कजरोलकर :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सिक्कों को चोरी छिपे भारत से बाहर ले जाने का धंधा हाल में काफी बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को करने वाले तस्कर व्यापारियों की कार्यप्रणाली क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) सिक्कों को चोरी छिपे भारत से बाहर लेजाने के कुछ छुट-पुट मामले हाल ही में हुए हैं। यद्यपि अभिगृहणों के मूल्य में वृद्धि हुई है, यह नहीं कहा जा सकता कि वे किसी बड़े पैमाने पर तस्करी की ओर संकेत करते हैं।

(ख) निम्नलिखित कुछ तरीके ध्यान में आये हैं :—

(1) बोरों, समाचार-पत्रों अथवा चीथड़ों में लपेट कर जहाजों में रखना, जहाज में लदी रसद अथवा पाल के बीच छिपाकर जहाज पर चढ़ा देना।

(2) जहाज के चालकों द्वारा जहाज पर चोरी छिपे माल लाना।

(3) खुले समुद्र में लांचों पर ले जाने के लिए मछलिया पकड़ने वाली नावों द्वारा अनधिकृत जगहों से सामान भर कर ले जाना।

(ग) सरकार ने तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न विधायी तथा कार्यकारी उपायों को अपनाया है, जिनमें ये उपाय शामिल हैं : (1) तस्कर विरोधी काम पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के जांच-पड़ताल सम्बन्धी अधिकारों में वृद्धि; (2) संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की ठीक तरीके से तलाशी; (3) समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के पार करने योग्य भागों को नियमित तथा आकस्मिक गस्त; (4) सूचना के पीछे विशेष ध्यानपूर्वक लगे रहना; (5) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन भारी दण्ड देना जिसमें अवैध माल की जब्ती, योग्य मामलों में अभियोजन भी शामिल हैं; (6) विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के तस्कर-विरोधी कामों का अधिक सक्रिय रूप से समन्वय करने के लिए केन्द्र में राजस्व गुप्त चर्चा निदेशालय की स्थापना।

मकानों की अधिकतम लागत

325. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीब लोगों के लिये बनाये जा रहे मकानों की अधिकतम लागत बढ़ाने का निश्चय किया है ; और

(ख) लागत में निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस नवीनतम निश्चय से इस वर्ग के लोगों को और क्या सुविधायें दीं गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी हां, मकानों की बढ़ती हुई लागत को दृष्टि में रखते हुए गरीब लोगों के रहने के मकानों की अधिकतम लागत लगभग 15 प्रतिशत बढ़ाई जा चुकी है।

(ख) इन मकानों की लागत को सरकार पहले ही से 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता दे रही है। वह, अधिकतम लागत बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए किराये के भार को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता के परिमाण को बढ़ाने के प्रश्न पर भी, विचार कर रही है।

Children's Park in Delhi

326. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to construct a Children's Park near Delhi Gate by the Delhi Development Authority;

(b) if so, the area and other features thereof; and

(c) the estimated expenditure to be incurred thereon?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) The Delhi Development Authority has no such proposal. The Delhi Municipal Corporation, however, propose to develop a children's corner on the land between Delhi Gate and Turkman Gate (in Ram Lila Grounds).

(b) and (c). The details of the proposal are yet to be worked out.

Slum Clearance in Delhi

327. Shri Naval Prabhakar:
Shri Hem Raj:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the progress made in the slum clearance work in Delhi in 1964-65 and 1965-66 so far;

(b) the number of slum areas cleared so far; and

(c) the places to which these slum dwellers were shifted?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) During 1964-65 and 1965-66 (June 1965), 2,200 tenements have been sanctioned for construction in Delhi under the Slum Clearance Scheme at an estimated cost of Rs. 98.87 lakhs, 422 have been built and 1,744 are under construction. In addition, improvements have been carried out in 390 katras and bastis involving an expenditure of Rs. 10.16 lakhs.

(b) and (c). During the above period, 15 areas/properties have been cleared and 248 families shifted to Amrit Kaur Puri, Dujana House, G.T. Road Shahdara and Sarai Rohilla.

नये इमारती सामान का निर्माण

328. **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **महाराजकुमार विजयानन्द :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार न चौथी इमारती सामान की मांग पूरी करने के लिये नये इमारती सामान के निर्माण के लिये चुने हुए स्थानों पर उ ोग स्थापित करने के परियोजना प्रस्ताव तैयार कर लिये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन ने कुछ अनुसंधान कार्य किया था तथा कई सुझाव दिये थे; यदि हां, तो उनके मुख्य प्रस्ताव क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये प्रस्ताव राज्य सरकारों की राय जानने के लिये भेज दिये गये थे; यदि हां, तो उनकी इन पर क्या प्रतिक्रिया रही; और

(घ) योजना के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां। निर्माण तथा आवास मंत्रालय के राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने नई भवन सामग्री बनाने के लिए चौथी योजना में, इस प्रकार की सामग्री की संभावित मांग को पूरा करने के लिए, कुछ उद्योगों की स्थापना करने की प्रायोजना के प्रस्तावों की रूप रेखा तैयार की है।

(ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने उनके द्वारा किये गये अन्वेषणों तथा केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था (सी० बी० आर० आई०) रुड़की के द्वारा प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान के साथ साथ अन्य देशों में जहां इस प्रकार की सामग्री पर अनुसंधान किया गया है, उनकी सूचना के प्रयोग के आधार पर प्रायोजना के प्रस्तावों की रूप रेखा तैयार की।

तैयार किये गये मुख्य प्रायोजना प्रस्ताव हैं:—

1. एस्फाल्ट की छतों का बनाना।
2. परफोरेटड ब्रिक्स, फेसिंग ब्रिक्स, हैवी-ड्यूटी ब्रिक्स, होलो फ्लेट टाइल्स आदि के उत्पादन के लिए यांत्रिक ईंट संयंत्र (मैकेनाइज्ड ब्रिक प्लान्ट्स)
3. भवन निर्माण उद्योग में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का प्रयोग।
4. फ्लाई एश अथवा रेत (सेन्ड) तथा चूने का प्रयोग करते हुए छिद्रिल क्रीट ब्लाकों (कैल्यूलर कंक्रीट ब्लाक्स) का बनाना।
5. जिप्सम प्लास्टर का उत्पादन
6. फ्लाई ऐश पोज्जोलाना सीमेंट का उत्पादन
7. रेडी मिक्सड कंक्रीट का उत्पादन
8. सैन्ड लाईम ब्रिक्स का उत्पादन
9. हल्के मिलावे (लाईट वेट एग्रीगेटस) का उत्पादन

10. सुर्खी पोज्ज़ोलाना संयंत्र (प्लान्ट)

11. इमारती लकड़ी के लिए कम्पोजिट सीजनिंग और प्रजर्वेशन संयंत्र (प्लान्टस)

(ग) जी हां। इन प्रस्तावों को अभिरूचित राज्य सरकारों को उनकी सूचना और राय के लिए भेज दिया गया है।

सामान्य प्रतिक्रिया उत्साहजनक हुई है तथा उनमें से कुछ राज्य नई भवन सामग्री के उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार कर रही हैं।

(घ) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने की निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह विभिन्न इलाकों, जहां पर प्रायोजनाओं को स्थापित किया जा सकता है, के तकनीकी और आर्थिक सर्वेक्षण करन पर निर्भर करता है। कुछ प्रायोजनाओं के मामले में, जैसे कि छिद्रिल कंक्रीट फैक्ट्रीज, विदशों से उपकरण और मशीनरी के आयात की भी व्यवस्था करनी है।

शिक्षकों को आयोजन सम्बन्धी प्रशिक्षण

329. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **योजना** मंत्री 11 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 978 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्थानीय योजनाओं के आयोजन तथा कार्यान्विति के सम्बन्ध में शिक्षा शास्त्रियों तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भाग लेने वाली सैक्षणिक संस्थाओं से सलाह ली जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार की सलाह-मशवरे में कुछ समय लगगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन

*330. **श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 17 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 550 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन की वे कौन सी योजनायें है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : ग्रामीण क्षेत्रों में सब से अधिक लोकप्रिय परिवार नियोजन की योजनायें इस प्रकार हैं :—

(1) अनुंवरीकिरण,

(2) ओरियेन्टेशन कैम्पस,

(3) गर्भ निरोधकों का प्रयोग,

(4) आई० यू० सी० डी० का जहां कहीं भी प्रयोग किया गया है बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुआ है ।

दिल्ली में जमीनों का पट्टा

331. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 1 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 688 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पट्टा करार को अन्तिम रूप देने तथा पंजीकरण करने के लिये दो वर्ष की समय-सीमा को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) मकान-निर्माताओं को अधिक सुविधायें देने के लिये और क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग). समयावधि को दो वर्ष के लिए बढ़ाना अभिप्रेत नहीं है किन्तु भूमि और विकास अधिकारी को एक वर्ष की अवधि के लिए समयावधि बढ़ाने का अधिकार दे दिया गया है जब कि इस प्रकार का समय बढ़ाना योग्यता के आधार पर उचित हो ।

राजस्व विभागों में भ्रष्टाचार

332. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वित्त मंत्री 29 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1094 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए विशेष पुलिस संस्थान द्वारा नई प्रक्रिया अपनाये जाने से क्या कोई सफलता मिली है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : कार्यक्रम हाल ही में आरम्भ किया गया है और उसके परिणामों का निर्णय इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता । लेकिन प्रारम्भिक संकेतों से पता चलता है कि कुछ सुधार हुआ है ।

दिल्ली में मलेरिया

333. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 10 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1243 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या हाल ही में दिल्ली में मलेरिया के रोगियों का पता चला है और क्या मच्छर भी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : 1965 में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक मलेरिया के 5 मामलों का पता लगा है, जिनमें से 3 व्यक्ति बाहर से आए हैं। पहले के मुकाबले में यह बहुत कम है। मच्छरों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है ।

केरल में सरकारी अस्पतालों में दाखिल रोगी

334. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दाखिल हुए रोगियों से औषधियों का मूल्य तथा खुराक का खर्चा वसूल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान नियमों को बदलने के क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष में इससे कितनी राशि प्राप्त होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). अस्पताल में रहने का तथा खुराक का खर्चा उन रोगियों से लिया जा रहा था जिन की आय 100 रुपये प्रतिमास या उससे अधिक थी। 24-5-65 से केरल सरकार ने उन सम्पन्न अन्तरंग रोगियों के मामले में इस शुल्क को बढ़ा दिया है जिनकी मासिक आय 200 रुपये या उससे अधिक है। इसी प्रकार उन सरकारी कर्मचारियों को छोड़ कर जो कि नि:शुल्क चिकित्सा सेवा के अधिकारी हैं, विशेष तथा सशुल्क वार्डों के सभी रोगियों से औषधियों का पूरा खर्च वसूल करने के आदेश दे दिये गये हैं। जिन रोगियों की वार्षिक आय 48 00 रुपये और इससे अधिक है जनरल वार्डों में अब उनको औषधियों का पूरा खर्च देना पड़ता है और जिन रोगियों की वार्षिक आय 2400 रुपये से 4799 रुपये के बीच है उन को औषधियों का आधा खर्च देना पड़ता है। हैं ये उपाय कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए बरते गये हैं ।

(ग) इन उपायों से 41000 रुपये की प्राप्ति का पूर्वानुमान किया गया है। 9000 रुपये अस्पताल में रहने और खुराक के निमित्त लिये गये खर्च से तथा 32000 रुपये सम्पन्न रोगियों से ली गई औषधियों की लागत से ।

कन्नानोर, तेलीचेरी और माहे को जल की सप्लाई

335. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर केरल के कन्नानोर, तेलीचेरी और माहे में स्वच्छ जल की सप्लाई करने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कितना खर्च होगा; और

(ग) काम कब आरम्भ होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). राज्य के चीफ इंजीनियर से कन्नानोर, तेलीचेरी और माहे के लिए अनुमानतः 2 करोड़ रुपये के खर्च की एक संयुक्त जल प्रदाय योजना इस मंत्रालय की केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संस्था द्वारा छानबीन किये जाने के लिये प्राप्त हुई है। इस योजना में कतिपय संशोधन करने के लिये तथा तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति देने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त विवरण भेजने के लिये राज्य सरकार से कहा जा रहा है। जैसे ही यह योजना स्वीकृत हो जायेगी, राज्य सरकार का विचार है कि इस को कार्यान्विति के लिये कार्यवाही शुरू कर देगी।

रंजीत सिंह रोड, दिल्ली पर सरकारी आवासस्थान

336. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास-स्थान देने के लिये दिल्ली में रंजीत सिंह रोड पर एक पांच मंजिली इमारत बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थान का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया है और निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ग) यह इमारत रहने के लिये कब तक बन कर तैयार हो जायेगी; और

(घ) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ). रंजीत सिंह रोड पर आंशिक रूप से चार मंजिला और आंशिक रूप से छः मंजिला एक इमारत निर्माणाधीन है। उस की अनुमानित लागत 28.68 लाख रुपये है। इमारत लगभग दो महीनों में तैयार हो जायेगी। इस का प्रयोग 240 बिस्तरों का सरकारी होटल चलाने के लिए होगा।

उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन

337. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से परिवार नियोजन के बारे में कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) उस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रस्ताव विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ निवारण का काम

338. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में कुष्ठ निवारण के लिये 1964–65 में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ख) इस काम के लिये उस राज्य को 1965–66 में कितनी धनराशि देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) कुष्ठ नियंत्रण योजना स्वास्थ्य मंत्रालय की केन्द्र सहाय्यित योजनाओं में से एक है। केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिये धन का नियतन योजनावार नहीं किया जाता वरन् सहाय्यानुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में योजनाओं के मोटे मोटे समूहों अथवा वर्गों के लिये दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार को 1964–65 में सभी केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिये जिन में कुष्ठ उन्मूलन योजना भी सम्मिलित है एक मुश्त 141.21 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है ? उत्तर प्रदेश सरकार ने कुष्ठ उन्मूलन के लिये 1964–65 में ठीक ठीक कितना अनुदान लिया है यह सूचना उपलब्ध नहीं है किन्तु राज्य सरकार ने इसी वर्ष के लिये राज्य में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार विस्तार के लिये 2.94 लाख रुपये की व्यवस्था की थी। कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता के निर्धारित ढ़ांचे के अनुसार राज्य सरकार इस योजना पर अपने द्वारा किये गये अनावर्ती खर्च का 75 प्रतिशत तथा आवर्ती खर्च का 50 प्रतिशत ले सकती है। इस के अलावा राज्य ने काम करने वाली स्वेच्छिक कुष्ठ संस्थाओं को 1964–65 में 55,573.00 रुपये दिया गया।

(ख) केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिये 1965–66 में राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी इस का अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है तथापि राज्य सरकार ने 1965–66 में 5 कुष्ठ नियंत्रण एककों तथा 30 सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों की स्थापना के लिये कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 11.61 लाख रुपये की व्यवस्था कर रखी है।

उत्तरकाशी में बांध

339. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर काशी (उत्तर प्रदेश) में बांध बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर तथा कितने क्षेत्र में बनाया जायेगा;

(ग) काम कब आरम्भ किया जायेगा; और

(घ) इस योजना पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार भागीरिथी नदी के ऊपर मनेरीभाली पन-बिजली परियोजना के एक भाग के रूप में एक 134.5 फुट ऊंचा बांध बनाने का विचार रखती है ;

(ख) यह बांध भागीरिथी नदी के ऊपर मनेरी में काशी से लगभग 10 मील प्रतिस्त्रोत, स्थित है, जब कि बिजली घर भाली ग्राम में काशी के लगभग 10 मील अनुस्त्रोत स्थित है। यह स्कीम यमुना ग्रिड प्रणाली के साथ मिल कर उत्तर प्रदेश को बिजली सप्लाई करेगी।

(ग) इस योजना को चतुर्थ योजना में सम्मिलित करने के लिए विचार किया जा रहा है।

(घ) इस स्कीम को वर्तमान अनुमित लागत 3285.90 लाख रुपये है।

ग्रामीण जल सम्भरण परियोजनायें

340. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसी कुल कितनी ग्रामीण जल सम्भरण परियोजनायें हैं जिन के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में (अब तक) संघ सरकार ने सहायता दी है; और

(ख) अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सूचना नीचे दी गई है :—

परियोजना की किस्म	संख्या
(1) राष्ट्रीय जल सप्लाई और स्वच्छता कार्यक्रम	76
(2) स्थानीय विकास कार्य कार्यक्रम	7
(3) यूनीसेंफ की सहायता के अन्तर्गत परियोजना	1

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण जल सप्लाई और सफाई कार्यक्रम को केन्द्र की सहायता प्राप्त है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये, जिस में ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं भी शामिल हैं, केन्द्र योजनाओं के मुख्य वर्गों के लिये इकमुश्त सहायता देता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में, जिस में ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं भी शामिल हैं। केन्द्रीय सहायता-प्राप्त योजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को 557.28 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये गये थे। 1965–66 के लिये अभी धन नहीं दिया गया है।

1964–65 में स्थानीय विकास कार्यों के कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण नल जल सप्लाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार को 30 लाख रुपये दिये गये हैं।

ग्रामीण और कमी वाले क्षेत्रों में विशेष जांच विभाग स्थापित करने के लिये राज्य सरकार को 11.48 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

गांजे का तस्कर व्यापार

341. श्री किन्दरलाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने डेढ़ लाख रुपये से अधिक मूल्य का इक्कीस मन नेपाली गांजा जो चोरी छिपे बाहर भेजने के लिये रखा गया था मई 1965 में गोरखपुर के पास के एक जंगल से पकड़ा था; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) 29 मई 1965 को राजस्व जंगल केम्पियरगंज गोरखपुर में स्थानीय पुलिस द्वारा 370 किलोग्राम अवैध गांजा पकड़ा गया जिस के बारे में विश्वास किया जाता है कि वह नैपाल से आया था और जिस की कीमत लगभग 79,550 रुपये थी ।

(ख) छः व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तथा पुलिस द्वारा अदालत में चालान पेश कर दिया गया है । मामला अब न्यायाधीन है ।

Allotment of Government Quarters

342. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government servants getting less than Rs. 700 per month as their pay are not eligible for accommodation next below the type for which they are entitled, while those getting more than Rs. 700 as pay can get accommodation of the type to which they are entitled as well as the accommodation of the type next below their entitlement; and

(b) if so, the reason for this discrimination and the steps being taken by Government to remove it?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) While the percentage of satisfaction in all other types of accommodation ranges from 48 to 65 per cent, the satisfaction in type II is only 28 per cent and in type III 29 per cent. In order to ensure that the satisfaction of Government servants entitled to accommodation of types II and III whose satisfaction in the matter of accommodation was already so small, was not further reduced by pressure from Government servants eligible for the higher types of accommodation, it was decided not to permit allotments in the next below type for Government servants entitled to accommodation in types II, III and IV.

Reduction in Tax Burden on Private Sector

343. **Shri D. N. Tiwary:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the speech made by Shri S. K. Patil in the meeting of Marwari Traders and Industrialists in Calcutta on the 4th April, 1965 wherein he had said that the burden of taxation on the private sector industries should be lightened and reduced; and

(b) if so, the Government's reaction thereto?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes.

(b) It is apparently the Minister's personal view.

कालीकट में जल सम्भरण

344. **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कालीकट नगर निगम ने शहर में स्वच्छ जल की सप्लाई बढ़ाने के लिये केन्द्र से किसी सहायता की मांग की है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) कालीकट निगम ने राज्य सरकार से प्रार्थना की है कि वह शहर में स्वच्छ जल की सप्लाई बढ़ाने के लिये केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त करे ।

(ख) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

हिमाचल प्रदेश के लिये चिकित्सा कालेज

345. **श्री हेम राज :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में एक चिकित्सा कालेज खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो क्या इस का खर्चा पूर्णतया हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा या इस में केन्द्रीय सरकार का भी कोई सहयोग होगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस में कुछ स्थान पंजाब की सीमा से लगे हुए अविकसित पहाड़ी क्षेत्रों के लिये नियत करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी हां, हिमाचल प्रदेश में एक मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय किया गया है । भारत सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को सब प्रकार की सहायता देगी ।

(ग) हिमाचल प्रदेश के छात्रों के अतिरिक्त अन्य छात्रों को कुछ सीटें देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

परिवार नियोजन सम्बन्धी फिल्में

346. **डा० श्रीनिवासन :**
श्री परमशिवन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि परिवार नियोजन सम्बन्धी कितनी संख्या में छोटी फिल्म बनाने का विचार है तथा उन का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : इस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फिल्म डिवीजन निम्नलिखित शीर्षकों की छः लघ फिल्मे (क्विकीज) तैयार कर रहा है :—

(1) टू फैमिलीज

(2) ए टाक विप

(3) इकोनोमिक इप्लिकेशन्स आव इन्क्रीज इन पापुलेशन

(4) दि ग्रेटस्ट गिफ्ट

(5) बैनिफिट्स आव वैसेटामी

(6) परिवार नियोजन पर एक और फिल्म (उस समय शीर्षक रहित)

इन फिल्मों का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Goods Recovered from a Pakistani Ship

347. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that goods worth Rs. 50,000 have been recovered from a Pakistani ship in Calcutta on the 30th May, 1965;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if so, the name of the Port from which it had come?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Miscellaneous goods worth about Rs. 6,000 c.i.f. (Market Price Rs. 27,000 approximately) (excluding jewellery which has not yet been valued) were recovered by Calcutta Customs from a Pakistani ship s.s. Sakhawat on the 30th May, 1965.

(b) The details of the goods are as under:—

(i) 123 pcs. Wrist Watches.

(ii) 4600 pcs. Cigarettes.

(iii) 537 pcs. Ball Bearings.

(iv) 591 Pak Currency.

(v) Jewellery (1 pc. ring set with stone, 2 pcs. Ear Rings, 2 pcs. Ear Tops set with stone, 6 pcs. Churi, 2 pcs. Bala (Bangles), 1 pc. Necklace with pendant).

(vi) Misc. Goods (199 pcs. Needle files, 12 pcs. pitsaw files, 22 pcs. Glass cutters, 133 pcs. Clinical Thermometers, 8 pcs. Metal Measuring Calipers and 888 dozen Sawblades, etc.

(c) Chittagong.

Loan from West Germany

348. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Viswa Nath Pandey:
Shri R. Barua:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a loan agreement has been signed with West Germany on the 27th May, 1965;

(b) if so, whether this aid would be given in cash or in the form of machines; and

(c) the amount of aid and the main features thereof?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) to (c). Yes, Sir. An agreement for a loan of DM 93.6 million (Rs. 11.14 crores) was signed on the 26th May, 1965 with the Kreditanstalt fur Wideraufbau (the German Bank for Re-

construction) to refinance a part of the repayment liabilities that would arise during 1965-66 on account of the Rourkela Steel Works, which otherwise would have had to be paid in cash. The loan is for a period of 16 years and carries interest at 5-1|2 per annum.

Price Stabilisation Board

349. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Brij Raj Singh:
Shri Bade:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any proposal to appoint a Price Stabilisation Board; and

(b) if so, by what time final decision is likely to be taken in this regard?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में धोबियों के लिए आवास

350. **(श्री द्वा० ना० तिवारी : (श्री हुकमचन्द कछवाय :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली में धोबियों के आवास के संबंध में 11 मार्च 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 993 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है; और

(ख) यदि हां तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख). समिति के प्रतिवेदन की शीघ्र पूरा होने की सम्भावना है ।

दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों को अनधिकृत रूप से किराये पर देना

351. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों के विरुद्ध दिल्ली । नई दिल्ली में उनको अलाट किय गये क्वार्टरों के अनधिकृत रूप से शेयर किये जाने अथवा किराये पर दिये जाने के बारे में 1963–64 तथा 1964–65 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) उन में कितनी बिना नाम के तथा फर्जी नाम से दी गई थीं; और कितनी शिकायतों की जांच की गई;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट शिकायतों की जांच करने से पहले उन की सत्यता का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में उन कर्मचारियों को जिन के नाम में क्वार्टर थे दण्ड दिया गया हालांकि उन्होंने शेयर करने के बारे में अनुमति ली हुई थी;

(ङ) यदि हां, तो कितने मामलों में और किन कारणों से ?

निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) शिकायतें प्राप्त होने की कुल संख्या

	1963–64	1964–65	कुल
श्रेणी III.	70	5	75
श्रेणी I . .	195	60	255
(ख) बगैर नाम के	फर्जी	अन्य	कुल
262	36	32	330

जिन मामलों की जांच की गई उन की संख्या 30 थी।

(ग) शिकायतों की सत्यता का पता लगाने के लिये कोई प्रारम्भिक जांच नहीं की गयी। शिकायत ठीक है या गलत इस का निर्धारण सहायक निदेशक संपदा के द्वारा मौके की जांच के बाद ही हो सकता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि बंधक बैंक

352. **श्री दे० द० पुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनियोजक संस्थाओं जैसे भारत का रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम. भारत का राज्य बैंक ने सहकारी भूमि बन्धक बैंकों के ऋणपत्रों में अपने अंशदानों में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां तो इस का क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि ऐसे अंशदानों में कटौती के किये जाने से भूमि बन्धक बैंकों का ऋण देने संबंधी कार्यक्रम सीमित हो जायेगा और इस के परिणामस्वरूप कृषि विकास धीमा पड़ जायेगा; और

(घ) यदि हां तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और ( ) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राज्य बैंक और जीवन बीमा निगम ने भूमि बन्धक बैंकों के ऋण-पत्रों में अपने अंशदानों में कोई गमी नहीं की है। हाल के वर्षों में निधियों के कुल परिमाण में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने से जिसे भूमि बन्धक बैंकों के ऋण पत्रों के रूप में जुटाने का विचार है इन संस्थाओं ने अतिरिक्त अंशदान की मांग की है।

(ग) और (घ) 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष में ऋण-पत्र जारी करने के कार्य-क्रम पर फिर से विचार किया गया है और अनुमान है कि वर्ष के बाकी महीनों में जारी किये जाने वाले ऋण, पत्रों की रकम में काफी वृद्धि होगी।

आगरा में कुष्ठ रोग केन्द्र

353. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगरा में स्थापित किये जा रहे भारतीय कुष्ठ निवारण केन्द्र के प्रमुख

के रूप में काम करने के लिये जापान के कुष्ठ रोग विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने में सफल हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सेवा की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या आगरा में कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र काम आरम्भ करने के लिये पूरा हो गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). स्वास्थ्य मंत्रालय और जापानी लेप्रसी मिशन फार एशिया (जिसे आम तौर पर जाल्मा कहते हैं) के बीच हुए समझौते के अनुसार जाल्मा द्वारा आगरा में एक आधुनिक कुष्ठ उपचार पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान केन्द्र खोला जा रहा है। इस केन्द्र के लिए जितने डाक्टरों और नर्सों की आवश्यकता होगी उस का प्रबन्ध जाल्मा द्वारा किया जायेगा। इन में से कुछ स्टाफ तो पहले ही आ चुका है। जाल्मा इस केन्द्र को पांच वर्ष तक चलायेगा ।

(ग) जी नहीं। इस केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है :

Food Adulteration Cases

354. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Gulshan:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the cases of adulteration in food grains are increasing in Delhi; and

(b) if so, the measures being taken to check them?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Government have received no reports regarding any increase in the number of cases of adulteration in food grains in Delhi.

(b) Does not arise.

Gandak Project

355. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri Bishwanath Roy:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a meeting of the Gandak Control Board was held at Mussoorie in June, 1965;

(b) If so, the salient points of the decisions arrived at;

(c) whether it is also a fact that the work done by the National Projects Construction Corporation was adversely commented upon by the Board; and

(d) If so, the measures Government propose to take in the matter?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (c). Yes. At this meeting, the Gandak Control Board discussed various matters connected with

the execution of the Gandak Project, The main items which came up for consideration of the Board and the decisions of the Board thereon, are as follows:—

Construction of the Gandak Barrage by the N.P.C.C.—The Board was not satisfied with the performance of the National Projects Construction Corporation as the Corporation had not fulfilled the targets of works laid-down.

Programme of work of Gandak Project.—The Board decided that work on schemes for the benefit of Nepal should be given the highest priority.

To accelerate the completion of the project falling within Bihar State, the Board approved a programme involving irrigation of 7 lakh acres by June, 1967.

Lining of the Main Western Canal.—It was decided that the Western Gandak Canal, beyond Mile 55-4, passing through U.P. territory, should be lined up to Mile 81-5.

(d) The progress of works awarded to the National Projects Construction Corporation on the Gandak Project was reviewed by the Minister of Irrigation and Power on the 5th July, 1965. The National Projects Construction Corporation have been directed to concentrate attention on the Gandak Barrage Works. The Corporation are taking adequate steps to make up the shortfall during the next working season and complete the works by June, 1967.

केरल राज्य के गांवों में बिजली की व्यवस्था करना

356. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 1964–65 में कितने गांवों में बिजली की व्यवस्था की गई;

(ख) क्या इस बारे में निर्धारित किया गया लक्ष्य पूरा नहीं हो सका; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 56

(ख) जी, हां। लक्ष्य से 64 गांव कम रहे।

(ग) लक्ष्य की पूर्ति के न होने के निम्नलिखित कारण थे :—

(1) ट्रांसफार्मर और आवश्यक साज सामान की प्राप्ति में देरी।

(2) इन गांवों में इच्छुक व्यक्तियों ने अपेक्षित न्यूनतम गारंटी प्राप्त करने में देरी।

कालीकट की जल सम्भरण व्यवस्था

357. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कालीकट में जल सम्भरण व्यवस्था में सुधार करने के लिये जल परिष्करण संयंत्र जो वहां लगाया जा रहा है, का स्थापना-कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) योजना के लिये अभी तक जो इंजीनियरिंग ब्यौरा तैयार किया गया था, उसे राज्य सरकार ने उपयुक्त नहीं समझा है, विशेषतया स्रोत की विश्वसनीयता के बारे में आगे और जांच हो रही है।

तिब्बिया कालेज तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

358. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 18 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बिया कालेज, दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार करने के मामले में क्या कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). कुछ प्रगति हो गई है। तिब्बिया कालेज बोर्ड, दिल्ली तथा तिब्बिया कालेज, अलीगढ़ से परामर्श करके प्रस्ताव का विवरण तैयार किया जा रहा है। इस विवरण के तैयार हो जाने पर विश्वविद्यालय प्राधिकारियों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

दिल्ली भूमिगत जल

359. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने इस बात का अध्ययन किया है कि राजधानी में भूमिगत जल के स्तर को बढ़ने से रोकने के लिये 1962 में नल कूप खोदने की बनाई गई योजना सफल रही है अथवा नहीं; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम रहा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). जी, हां। अभी अध्ययन चल रहा है क्योंकि अभी तक उसके परिणाम निर्णयक नहीं हैं। सम्पूर्ण नई दिल्ली के क्षेत्र में भूमि तल से 10' के बाद उसका स्तर गिराना, जैसा कि सोचा गया था, अभी तक सम्भव नहीं हो सका है, जबकि भूमिगत जल के स्तर के बढ़ने की प्रवृत्ति रोक दी गयी है।

सुन्दरवन का कृष्यकरण

360. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग पश्चिमी बंगाल में सुन्दरवन के सर्वेक्षण, कृष्यकरण और विकास के लिए एक दीर्घकालीन व्यापक योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजना का प्रथम चरण, पश्चिमी बंगाल सरकार चौथी योजना में शुरू करने की आशा करती है। डच विशेषज्ञों के तकनीकी अध्ययन के आधार पर राज्य सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करा रही है। इस योजना में ज्वार जल से भूमि के कृष्यकरण और बचाव की तथा सिंचाई, कृषि और मछली पालन के विकास की कल्पना की गई है।

कांगसावती नदी घाटी परियोजना

361. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगसावती नदी घाटी परियोजना का निर्माण-कार्य निर्धारित समय से काफी पीछे हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री डा० (कु० ल० राव) (क) जी, हां ।

(ख) निर्धारित समय से पीछे रह जाने का मुख्य कारण इस परियोजना के लिये राज्य योजना में धन के अप प्ति प्रबन्ध का होना है ।

संयुक्त राज्य अमेरीका से ऋण

362. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री दलजीत सिंह : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री किन्दर लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका भारत के औद्योगिक आयात के लिए सहायता देने और उसे चालू रखने के लिये कुल 92.3 करोड़ रुपये के दो ऋण देने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऋणों की शर्तें क्या हैं; और

(ग) ऋणों का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). 92.3 करोड़ रुपये के दो अमरीकी ऋण इस प्रकार हैं :

(एक) 1964–65 के लिये 19 करोड़ डालर (90.5 करोड़ रु०) की पण्य कार्यक्रम सहायता जिसे पांचवीं गैर-योजना ऋण भी कहा जाता है (एड लोन संख्या 386–एच–138); और

(दो) 1.8 करोड़ रु० का सातवां रेलवे ऋण (एड लोन नम्बर 386–एच–137) पण्य कार्यक्रम सहायता का प्रयोग अमरीका से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा पर खर्च करके किया जायेगा, जैसे उर्वरक, इस्पात, गंधक, कीटनाशी, रसद्रव्य मशीनें और मशीनों के पुर्जे आदि, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिये आवश्यक हैं ।

सातवें रेलवे ऋणों का प्रयोग चौड़ी पटरी के 21 डीज़ल इलेक्ट्रिक शंटिंग इंजनों को, फालतू पुर्ज़ों सहित, मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा के व्यय को उठाने के लिये किया जायेगा ।

दोनों ऋण 40 वर्ष की अवधि में लगभग 61 अर्धवार्षिक किश्तों में डालरों में वापिस किये जा सकते हैं; ऋण की पहली किश्त की अदायगी की तारीख से 40 वर्ष के साथ दस वर्ष की अनुग्रह अवधि भी होगी । पहले दस वर्षों में ब्याज 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर अर्ध-वार्षिक रूप में डालरों में दिया जायेगा, और दस वर्ष की अवधि के पश्चात् बाकी तीस वर्षों के लिये ब्याज $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर दिया जायेगा । ऋण की पहली किश्त के प्राप्त होने से सूद लिया जायेगा और ब्याज की पहली किश्त ऋण के प्राप्त होने से छः महीने के बाद दी जायेगी अथवा किसी ऐसी तारीख से जिसे अन्तर्राष्ट्रीय विकास की संयुक्त राज्य अमरीकी एजेन्सी निश्चित करेगी ।

सरकारी उपक्रम ब्यूरो

363. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री राम हरख यादव :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई सरकारी उद्यम ब्यूरो बनाया गया हैं ;

(ख) यदि हां तो इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) ब्यूरो पर कितना वार्षिक व्यय होगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) यह कार्यालय मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए सेवा समन्वय और मूल्यांकन अभिकरण (एजेंसी) के रूप में काम करेगा ।

(ग) इस साल के लिए बजट में इसके लिए 3.28 लाख रुपये की व्यवस्था है ।

भोजनालय

364. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी के कुछ प्रमुख जलपान गृहों तथा अधिकांश भोजनालयों में खाद्य पदार्थ सफाई का ध्यान रखे बिना तैयार किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां । निरीक्षण के समय ऐसा देखा गया है कि बहुत से स्थानों पर न्यूनतम सफाई सम्बन्धी मानकों को लागू नहीं किया जा रहा है ।

(ख) दिल्ली खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली 1956 तथा छावनी अधिनियम 1924 की धारा 210 के अधीन क्रमशः निगम तथा केनटोन्मेण्ट क्षेत्रों में सभी रेस्तोराओं तथा भोजनालयों को लाइसेंस लेना जरूरी है जोकि तभी दिया जाता है जबकि उनमें सफाई सम्बन्धी

स्थितियां न्यूनतम निर्धारित मानकों के अनुकूल हों । इसके उपरान्त पुनर्निरीक्षण करने तथा सफाई के अपेक्षित मानकों की संतोषप्रदरूप से पूर्ति होने पर इन लाइसेन्सों का प्रति वर्ष नवीनीकरण किया जाता है । वर्ष के दौरान समय-समय पर अधिकारियों द्वारा रेस्तोराओं तथा भोजनालयों का निरीक्षण किया जाता है तथा जो कमियां पाई जाती हैं उन्हें कह सुन कर दूर कराया जाता है और जब सुधार करने के लिए दिये गये नोटिसों पर अमल न किया जाता हो तो आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्यवाही द्वारा उन कमियों को दूर कराया जाता है ।

अनुसंधान कार्यक्रम समिति

365. **श्री दे० जी० नायक :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने राजस्थान राज्य के बहुत से गांवों का सर्वक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति की उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इन उपपत्तियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) (1) अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने "राजस्थान में भूमि सुधार के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन" किया जिसके लिए स्कीमों के निदेशक द्वारा इस प्रकार के अध्ययन किये गये ।

(2) इसके अलावा, अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने अपने कर्मचारियों द्वारा, सिंचाई (गंग नहर) के प्रतिफलों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में राजस्थान के एक जिले का ग्रामीण सर्वेक्षण किया ।

(ख) (1) उपर्युक्त 1 (1) में संदर्भित अध्ययन की प्रकाशित प्रतिवेदन की एक प्रति संसद् पुस्तकालय को भेजी जा चुकी है ।

(2) 1(2) में संदर्भित अध्ययन का प्रतिवेदन अभी प्रकाशित किया जाना है ।

(ग) (1) सवक्षण के निष्कर्षों को राज्य सरकार के ध्यान में लाने के लिए प्रतिवेदन की एक प्रति उन्हें भेजी जा रही है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

कृष्णा तथा गोदावरी नदियों पर सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें

366. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों पर कोई सिंचाई या विद्युत् परियोजना बनाने की मंजूरी दिये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं के विरुद्ध अभ्यावेदन किया गया है या उसका विरोध किया गया है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के विरोध में क्या कारण बताये गये हैं; और

(घ) सरकार ने प्रत्येक परियोजना के बारे में क्या निश्चय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). महाराष्ट्र सरकार ने पोचमपाद परियोजना, श्रीसेलमपन बिजली परियोजना तथा नागार्जुनसागर परियोजना के चरण–2 के लिये ऐतराज़ किया है। उनका ऐतराज़ मुख्यतः कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के पानी के आवंटन के बारे में है। पोचमपाद तथा श्रीसेलम स्कीमें 23-6-63 को सभा-पटल पर रखे विवरण में दिये गये निर्णयों के आधार पर स्वीकार की गई हैं। नागार्जुनसागर परियोजना चरण–2 स्वीकार नहीं की गई है।

दिल्ली में चेचक

367. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1965 से दिल्ली में चेचक का प्रकोप बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च से अगस्त, 1965 की अवधि में चेचक से कितने व्यक्ति मरे; और

(ग) इस रोग पर काबू पाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) पहली मार्च से 16 अगस्त, 1965 तक 36 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं :—

मार्च	3
अप्रैल	5
मई	11
जून	5
जुलाई	8
अगस्त (16-8-65 तक)	4
कुल	36

पिछले वर्ष इसी अवधि में 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

(ग) टीका लगाने के कार्य में वृद्धि कर दी गई है। 103 टीका लगाने वालों के अतिरिक्त, जो पहले यह कार्य कर रहे थे, 3 इन्सपेक्टरों और 15 टीका लगाने वालों की 3 महीनों, मार्च से मई, 1965 तक के लिये फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई थी; इसका कार्य गंदी बस्तियों, झुग्गियों–झौंपड़ियों और इंटें बनाने के भट्टों में और जहां कहीं चेचक की बिमारी हो वहां बड़े पैमाने पर टीका लगाना था। मार्च से जुलाई, 1965 तक की अवधि में पूरे शहर में 58,131 प्रथम टीके और 5,15,660 टीके दोबारा लगाये गये।

(दो) समाचार पत्रों में इश्तहार द्वारा, दिवारों पर इश्तहार लगा कर और सिनेमा स्लाइडों द्वारा जनता को यह राय दी गई है कि वह प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार टीका लगवा लें।

(तीन) महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अन्तर्गत अरक्षित व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से टीका लगाया जाता है और चेचक की बिमारी से पीड़ित व्यक्तियों को संक्रामक रोगों के अस्पताल में भेज दिया जाता है।

(चार) सामान्य उन्मूलन कर्मचारियों के अतिरिक्त जो पहले से ही दिल्ली राज्य में कार्य कर रहे थे, भारत सरकार ने एक विशेष धड़-पकड़ यूनिट की मंजूरी दे दी है यह यूनिट जनता के उन छोटे वर्गों में टीका लगायेगा जहां अभी तक टीके नहीं लगे हैं और यह उन लोगों की ओर भी ध्यान देगा जो दिल्ली में स्थायी तौर से नहीं रहते।

केरल में जठर-आंत्र शोथ

368. **श्री सेज़ियान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1965 में केरल में जठर-आंत्र शोथ रोग बड़े पैमाने पर फैल गया था ;

(ख) इस रोग से अब तक कितने व्यक्तियों के मरने के समाचार मिले हैं; और

(ग) इस रोग के निवारण के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जनवरी, 1965 में केरल में बड़े पैमाने पर जो रोग फैला था वह हैज़ा था।

(ख) 20 जुलाई, 1965 तक 594 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(ग) सभी निवारक उपाय किये गये हैं। रोग ग्रस्त क्षेत्रों में अधिक टीका लगाने वालों की नियुक्ति से टीका लगाने के कार्य में वृद्धि हो गई है। 23 जुलाई, 1965 तक 34 लाख व्यक्तियों को टीके लगाये थे। बीमार व्यक्तियों को पृथक करने के लिये तथा उनके इलाज के लिये आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है।

Aid from Czechoslovakia for Fertilizers and Chemical Industries

369. **Shri Kindar Lal:**
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Czechoslovakia are prepared to assist India in the development of fertilizers and other chemical industries during the Fourth Plan period; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). As per an Agreement dated 11th May, 1964, signed in Prague, the Government of Czechoslovakia have already offered a credit of Rs. 40 crores which is to be utilised primarily for Fourth Plan Projects. Beyond this, there has been no as yet for further discussions with the Government of that country for any specific further credits.

राजस्थान नहर क्षेत्र में बस्तियां बसाना

370. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर से होने वाले लाभ का पूरा फायदा उठाने तथा उस क्षेत्र में समुचित रूप से बस्तियां बसाने के लिये कुल लगभग 500 मील लम्बी सड़कें बनाये जाने का अनुमान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़कें बनाना भी केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी समझा जायेगा; और

(ग) क्या निर्माण काय का प्लान इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि यह कार्य राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में हुई प्रगति के साथ-साथ होता रहे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). राजस्थान नहर प्राधिकार की स्थापना और तत्सम्बन्धी केन्द्रीय उत्तरदायित्व के प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है ।

स्वर्ण बांड

371. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण बांड योजना के लागू होने की तारीख से अब तक कुल कितने मूल्य के स्वण बांड बेचे गये हैं;

(ख) यह योजना पहली स्वर्ण बांड योजना की तुलना में कैसी है; और

(ग) क्या यह योजना पहली योजना की अपेक्षा अधिक सफल सिद्ध हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). स्वर्ण बाण्डों के दोनों निर्गमों में लगाये गये सोने के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	.995 की शुद्धता प्रति दस ग्राम का मूल्य 53.58 रुपये
पहला क्रम (12-11-1962 से 28-2-1963 तक प्राप्त सोना)	8,61.45 लाख रुपये
दूसरा क्रम (22-3-1965 से 31-5-1965 तक प्राप्त सोना)	3,29.31 लाख रुपये

Demonetisation of Higher Denomination Notes

372. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri D. J. Naik:
Dr. Mahadeva Prasad:
Shri Kajrolkar:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to demonetize 100 and 1,000 rupee notes;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government also contemplate to reduce their size?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It is proposed to reduce the size of 100 rupee notes. Details regarding design, colour scheme etc. are being worked out. There is no proposal to reduce the size of 1,000 rupee notes.

Jhuggi-Jhonpri Colony near Naraina, Delhi

373. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the residents of Jhuggi-Jhonpri Colony near Naraina, Delhi are living there without basic amenities; and

(b) if so, the reasons for not providing basic amenities in this colony?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) No. Basic amenities like community latrines and baths, hands pumps for drinking water, roads, open storm water and sullage drains have been provided in the Naraina Jhuggi and Jhonpri colony. There is also a primary school. A mobile dispensary visits the colony twice a week.

(b) Does not arise.

राजस्थान में ग्रामीण आवास

374. श्री कृष्णपाल सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राजस्व विधि आयोग ने राजस्थान में ग्रामीण आवास की दयनीय स्थिति के बारे में टिप्पणी की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं तो वे क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य राज्यों में भी आवास की स्थिति कोई बहुत सन्तोषजनक नहीं है । 1961 की जनगणना के अनुसार 82 प्रतिशत गृहस्थियां अर्थात् कुल 68.9 मिलियन में से 56.7 मिलियन, कच्ची झोंपड़ियों में रहती थीं ।

(ग) राजस्थान राजस्व विधि आयोग की रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है । देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति में सुधार करने के लिए इस मंत्रालय ने "ग्रामीण आवास योजना" नामक योजना पहले से ही चलाई हुई है । इस योजना में यह व्यवस्था है—(क) जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उन्हें मकान बनाने के लिए ऋण की पेशगी ; और (ख) राज्य सरकारों को चुने हुए ग्रामों में सड़कों, नालियों तथा खेती हीन किसानों को मकान के स्थान की व्यवस्था करने के लिए आर्थिक सहायता का अनुदान देना । योजना ने अब तक वांछित प्रगति नहीं की है तथा राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि उसे अमल में लाने की गति को तेज़ करें।

किसान को भूमि देना

375. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "किसान को भूमि देने की नीति" लागू करने की राज्यवार स्थिति क्या है ;

(ख) किसानों तथा साझीदारों के भूधारण तथा खेती करने के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों और साझीदारों को अधिक प्रभावी संरक्षण देने के लिए एकसा विधान लागू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी०—4573/65]**

चेचक

376. श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष चेचक के रोगियों की संख्या क्या थी ; और

(ख) क्या यह सच है कि गत बारह वर्षों से यह रोग एशिया में फैल रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 1962, 1963 और 1964 में चेचक से क्रमश: 55,595, 83,423 और 36,646 व्यक्ति पीड़ित हुए ।

(ख) जी नहीं ।

नर्मदा परियोजना

377. श्री जसवन्त मेहता :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश सरकारों के बीच हुए करार के अनुसार जल सन्धि में नर्मदा परियोजना को अपनी स्वीकृति तथा अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं । जल सन्धि की परियोजना रिपोर्ट सिंचाई व बिजली मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्पादिता के अनुसार मजूरी दिया जाना

378. श्री बासप्पा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजक परिषद् ने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है जिसमें उत्पादिता के अनुसार मजूरी दिये जाने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना आयोग द्वारा गठित चौथी योजना की श्रम नीति सम्बन्धी पैनल इस ज्ञापन पर विचार करेगा ।

मिट्टी हटाने वाली मशीनों सम्बन्धी "पूल"

379. **श्री बासप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी हटाने वाली मशीनों तथा निर्माण यंत्रों की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय यंत्र "पूल' बनाने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मिट्टी हटाने के साज सामान तथा निर्माण मशीनरी का सेंट्रल पूल स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) यह स्कीम मशीनरी के ठीक रखरखाव तथा उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये तैयार की गई है ।

(ग) स्कीम अभी विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में आवास योजनायें

380. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आवास योजनाओं की धीमी प्रगति तथा आवास के लिये रखे गये धन के अन्य परियोजनाओं पर खर्च किये जाने की ओर दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी सलाह पर ध्यान दिया है और अपनी पिछली गलतियों को ठीक करने के लिये उसने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) अन्य किन राज्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार की तपह आवास कार्यक्रम की उपेक्षा की है और क्या चौथी योजना में आवास कार्यक्रम की कमी को पूरा करने के लिये कोई विशेष उपाये सुझाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां :

(ख) राज्य सरकार से अभि तक कोई उत्तर नहीं मिला है ।

(ग) प्राय: सभी राज्यों में आवास की प्रगती धीमी है । आवास योजनाओं के लिये अपनी वार्षिक आयोजनाओं में तथा अपनी चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में अधिक निधि की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकारों पर बराबर दबाव डाला जा रहा है । योजना आयोग से भी अनुरोध किया गया है कि वह "आवास" के लिये निर्धारित निधियों को अन्य विकास शीर्षकों की ओर न मोड़ने के लिये राज्य सरकारों को निदेश देने की वांछनीयता पर विचार करें । चौथी योजना में आवास के लिये नियतन में पर्याप्त वृद्धि को भी प्रस्तावित किया गया है ।

डाम्बरू परियोजना (त्रिपुरा)

381. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में डाम्बरू परियोजना के लिये कोई धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं । गुमती पन-बिजली परियोजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विकास योजनाओं के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

382. **श्री द० ब० राजू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों को राज्य विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे उनके लिए राज्य में वित्त व्यवस्था करने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या इन राज्यों ने केन्द्र से विशेष वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में मैसूर राज्य ने विशेष रूप से अनुरोध किया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

नादिया जिले में सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

383. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में करीमपुर बाजार के पटसन विक्रेताओं से सीमा शुल्क अधिकारियों के रुपया लेने के आरोपों के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि पटसन उत्पादकों तथा विक्रेताओं को तंग न किया जाए ?

वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी) : (क) सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की पूरी तरह जांच पड़ताल की गयी थी लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए थे ।

(ख) वास्तविक जूट उत्पादकों और विक्रेताओं को परेशानी न होने देने के लिए, वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ कमचारियों पर काफी देख-रेख करते रहते हैं ।

Business by Indian Banks in Foreign Countries

384. **Dr. Mahadeva Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to a report on the business transacted by Indian banks in foreign countries submitted by the Reserve Bank of India last year, the business with Pakistan and Thailand has declined; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes.

(b) The decline in business is due to the fact that the deposits and other resources, which are locally available to the Indian banks, are now limited because of competition from other institutions.

वार्षिक जमा योजना

385. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत पैसा जमा करने वालों को वर्ष 1964–65 के लिये जमा की गई राशि के प्रमाणपत्र 30 जून, 1965 तक नहीं मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रमाणपत्र जारी करने में देर होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रमाणपत्रों को शीघ्रातिशीघ्र जारी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) लगभग 60 प्रतिशत जमाकर्ताओं को प्रमाणपत्र दे दिये गये हैं । विलम्ब मुख्यत: इस कारण हुआ कि शुरू शुरू में बहुत से जमाकर्ताओं ने कम मूल्यों के बहुत अधिक प्रमाणपत्रों की मांग की थी और प्रमाणपत्रों को लिखने में काफी समय लगा । अधिक प्रमाणपत्र जारी न करने पड़ें, इसलिए यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक आवेदनपत्र पर कम से कम प्रमाणपत्र जारी किये जायें । काम को और तेजी से करने के लिए अब यह फैसला किया गया है कि निश्चित मूल्यों के प्रमाणपत्र जारी करने के बजाय प्रत्येक आवेदनपत्र पर केवल एक ही प्रमाणपत्र जारी किया जाये ।

वारापोल परियोजना

386. **श्री हु० च० रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य की वारापोल परियोजना की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और केन्द्र की ओर से इसके लिये कितनी धन राशि दी जायेगी ;

(ग) इस परियोजना से कितनी बिजली पैदा की जायेगी ; और

(घ) इसकी कार्यान्विति का काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भूतपूर्व कुर्ग सरकार द्वारा 1954 में परियोजना के प्रथम चरण के केवल प्रारम्भिक अनुसन्धान किए गए थे । विस्तृत अनुसन्धान चौथी योजना में किए जाने की सम्भावना है ।

(ख) परियोजना का मसौदा अभी तैयार नहीं किया गया है और इसलिये केन्द्रीय अंशदान का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार प्रथम चरण में 60 प्रतिशत भार अनुपात पर स्कीम की विद्युत सम्भाव्यता लगभग 125000 किलोवाट है और जब दूसरा चरण भी प्रगति पर होगा विद्युत क्षमता तब 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 2 लाख किलोवाट होगी ।

(घ) विस्तृत अनुसन्धान पूरे होने तथा परियोजना के मसौदे को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् ही परियोजना को कार्यान्विति करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

काली नदी परियोजना

387. **श्री हु० चं० रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली नदी परियोजना की जांच पड़ताल पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है और उस में से केन्द्र कितनी रकम देगा;

(ग) इस परियोजना से कितनी बिजली पैदा की जा सकेगी; और

(घ) इस की कार्यान्विति का कार्य कब तक आरम्भ होगा ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) अनुसन्धान कार्य के पूर्ण होने पर ही अनुमित लागत का पता लगेगा और परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी । परियोजना के स्वीकृत होने पर ही केन्द्रीय सहायता का प्रश्न उठेगा ।

(ग) 60 प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग 13 लाख के० डब्ल्यू० ।

(घ) चतुर्थ योजना के दौरान ।

नागपुर से केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को हटाना

388. **डा० मा० श्री अणे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर शहर से मध्य प्रदेश की राजधानी हटाये जाने से पहले वहां केन्द्रीय सरकार के कितने तथा कौन कौन से कार्यालय थे; और

(ख) विदर्भ का महाराष्ट्र में विलय होने के बाद अब तक दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों से केन्द्रीय सरकार के कितने तथा कौन कौन से नये कार्यालय नागपुर भेजे गये हैं तथा वे कब कब और किन किन स्थानों से भेजे गये थे ।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों का हटाया जाना

389. डा० मा०श्री अणे : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1965 के अन्त तक नागपुर से केन्द्रीय विभागों के कितने कार्यालय अन्य स्थानों पर भेजे गये हैं तथा उन के नाम क्या हैं और उन्हें किन स्थानों पर तथा किस किस तारीख को भेजा गया है ;

(ख) केन्द्रीय विभागों के उन कार्यालयों के नाम तथा संख्या क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार निकट भविष्य में अन्य स्थानों पर भेजने का विचार कर रही है; और

(ग) विदर्भ को महाराष्ट्र में मिलाते समय नागपुर शहर का महत्व बनाये रखने के लिये जो वचन दिया गया था उसे पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार नागपुर में कितने और किन किन कार्यालयों को भेजने का विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फर्राखा में बिजली की कमी

390. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिमी बंगाल बिजली बोर्ड ने बिहार सरकार से प्रार्थना की है कि पश्चिमी बंगाल सरकार को पोरनिया से बिहार-बंगाल सीमा तक 132 किलोवाट बिजली की संचारण लाइन दी जाये ताकि फर्राखा में बिजली की कमी के कारण कार्य में होने वाली कठिनाई दूर हो सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने बिहार राज्य बिजली बोर्ड से प्रार्थना की थी कि 132 के. वी. पारेषण को काटिहार से पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा के निकट दोनों को मान्य किसी उचित स्थल तक बढ़ा दे । प्रस्ताव के तकनीकी तथा माली पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशों से ऋण

391. **श्री ह० च० सोय** :
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितना ऋण लिया गया है तथा उस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा ; और

(ख) कितने ऋण से हमें 4 प्रतिशत लाभांश मिल रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर 3 जून, 1965 तक 2444.35 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण (अमरीकी पब्लिक ला 480 के अधीन अनाज और रेशे के आयात के लिये रुपयों में जमा की गयी रकम को छोड़ कर) लिया गया है । अनुमान है कि (इन ऋणों पर इन के पूरी तरह से चुकाये जाने तक) 819.89 करोड़ रुपया ब्याज देना पड़ेगा ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

Alkaloid Factory at Neemuch

392. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2297 on the 15th April, 1965 and state the progress made in setting up the Alkaloid Factory at Neemuch?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Action is being taken to have the necessary plans and designs drawn up.

पश्चिमी बंगाल सरकार को स्टेट बैंक द्वारा ऋण

393. **श्री सोलंकी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने खाद्यान्न खरीदने के लिये केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने तथा स्टेट बैंक को सामान्य रूप में 12 करोड़ रुपये देने की अनुमति देने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) स्टेट बैंक द्वारा दिये जाने वाली अग्रिम राशियां कम करने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के लिए स्वीकृत 8 करोड़ रुपये की सीमा में वास्तव में भारतीय राज्य बैंक ने कमी नहीं की है। राज्य बैंक से धन के लिए दूसरी मांगें की जाने के कारण इस सीमा को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकी। चूंकि राज्य सरकार राज्य में अनाज का वितरण करने के लिये राज्य बैंक या केन्द्रीय सरकार से इस प्रयोजन के लिये और सहायता लिये बिना ही अन्न की खरीद के लिए धन की व्यवस्था कर सकी है इसलिये राज्य सरकार की प्रार्थना पर अब कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं जान पड़ता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति द्वारा चलाये जाने वाले बैंक

394. **श्री सोलंकी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के स्टेट बैंक का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति द्वारा चलाये जाने वाले बैंक खोलने का है ;

(ख) आरम्भ में ऐसे कितने बैंक खोले जायेंगे तथा कहां कहां खोले जायेंगे; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) जी हां। प्रयोग के रूप में भारतीय राज्य बैंक के प्रत्येक सहायक बैंक द्वारा एक एक कार्यालय खोला जा रहा है। जिन क्षेत्रों में राज्य बैंक का कारबार होता है वहां भी कुछ कार्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) ये कार्यालय ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं जहां इस समय बैंक सम्बन्धी सुविधायें नहीं हैं। रकमें जमा करने और सम्बद्ध बैंकों की तरफ से कुछ सीमित पेशगी रकमें देने के अलावा इन कार्यालयों के कार्यभारी व्यक्तियों से यह आशा की जायगीं कि वे पास-पड़ोस के गांवों में जायें और फसल उगाने अथवा दूसरी विकास सम्बन्धी गतिविधियों के सम्बन्ध में लोगों को आवश्यक परामर्श दें और इन गांवों में बैंकों की सुविधाओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करें।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान संस्था

395. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में केन्द्रीय होम्योपेथी अनुसन्धान संस्था स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यह संस्था कहां स्थापित होगी; और

(घ) यह कब से कार्य करने लगेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान संस्था का उद्देश्य निम्न है :—

(एक) होम्योपैथी के सिद्धान्तों और उपचार के वैज्ञानिक पहलू और उपयोगिता सिद्ध करना।

(दो) होम्योपैथी में अनुसन्धान करने वाली संस्थाओं के लिये उपयुक्त मानक बनाना तथा उन में समन्वय करना।

(तीन) होम्योपैथी में अनुसन्धान के बारे में जानकारी एकत्रित, संगठित और वितरित करना।

(चार) उपर्युक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा-पाठयक्रमों, सम्मेलनों, भाषणों और गोष्ठियों का आयोजन, संगठन करना और उन्ह सुविधाजनक बनाना।

(पांच) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पत्रिकाओं, अनुसन्धान सम्बन्धी पत्रों और पुस्तकों को छापना तथा पुस्तकालयों की व्यवस्था करना।

(ग) और (घ) जिस स्थान पर संस्था बनाई जायेगी तथा जिस तारीख से यह कार्य आरम्भ करेगी उस का निश्चय तभी होगा जब योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया जायेगा।

मेडिकल कालेज

396. श्री पू० रं० पटेल : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) संघ सरकार ने देश में विभिन्न मैडिकल कालेजों में कितने स्थान आरक्षित किये हैं; और

(ख) 1964-65 तथा 1965–66 में क़िन किन राज्यों के कितने कितने लड़के तथा लड़कियों को ये स्थान दिये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) सूचना सभा पटल पर रखे गये अनुबन्धों में दी है । [पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—4574/65]

"Trade Notices in Hindi"

397. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the reasons for delay in making arrangements for making available the Hindi version of the trade notices regarding Central Excise issued by the Central Board of Revenue for the benefit of businessmen; and

(b) the time by which this arrangement will be made effective?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari: (a) No trade notices regarding Central Excise are issued by the Central Board of Excise and Customs.

(b) Does not arise.

श्रीसेलम परियोजना

श्री लक्ष्मी दास :
398. श्री म० ना० स्वामी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक मशीनों के अभाव के कारण श्रीसेलम परियोजना के कार्य में विलम्ब हुआ था;

(ख) यदि हां, तो मशीनें प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) परियोजना कब पूरी होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन संयंत्र तथा साज सामान को देशी संसाधनों (हैवी इस्क्ट्रीकल्ज) से प्राप्त करने का विचार हैं । आन्ध्र राज्य के अधिकारियों ने निर्माण मशीनरी के लिये 200 लाख रुपये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बताई है । इस में से 35 लाख रुपये का आवंटन रूसी व्यापार सन्धि के अन्तर्गत पहले से ही कर दिया है । बाकी अपेक्षित विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने की संभावनाओं की जांच-पड़ताल हो रही है ।

(ग) 110 मैगावाट के पहले यूनिट के मार्च, 1971 में और इसी क्षमता के बाकी तीन यूनिटों के उस के पश्चात 6–6 मास के अन्तर से चालू होने की संभावना हैं ।

नागार्जुन सागर परियोजना

399. **श्री लक्ष्मी दास :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नागार्जुन सागर परियोजना के निर्माण के लिये 13 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी रकम दी गई है; और

(ग) परियोजना कार्य तेजी से करने के लिये शेष रकम कब दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल०राव) :(क) से (ग) योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 50 करोड़ रुपये के तृतीय योजना प्रबन्ध के प्रति 44.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता पहले से ही दी जा चुकी है। इस वर्ष में 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता होगी। चाल वर्ष में और सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

राजस्थान की सिंचाई और विद्युत क्षमता

400. **श्री तन सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने 1965–66 में विद्युत तथा सिंचाई की क्षमता का विकास करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निश्चय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल०राव) : (क) और (ख) सिंचाई कार्यक्रम के लिये कोई ऐसी प्रार्थना नहीं आई है। फिर भी कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि पम्पों को बिजली से चलाने के लिये ग्राम विद्युतनार्थ 436.00 लाख रुपये की मांग के प्रति, यह फैसला किया गया है कि राजस्थान सरकार को राज्य योजना के लिये निर्धारित राशि के अतिरिक्त 95.00 लाख रुपये की ऋण सहायता दी जाए ।

क्वाटरों का आवंटन

401. **श्री कु० चं० शर्मा** :क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मकान का किराया काटने के लिए नगर भत्ते को वेतन का भाग माना जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्वाटरों के आवंटन के लिये नगर-भत्ते को वेतन का भाग नहीं माना जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) मामले की जांच हो रही है ।

दिल्ली में मकानों की कमी

402. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण और आवास तथा पुनर्वास मंत्रालयों के विशेषज्ञों की समिति ने सुझाव दिया है कि दिल्ली में मकानों की कमी को पूरा करने के लिये और अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस के अलावा और क्या क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (ग) संभवतः प्रश्न का आशय आवास तथा शहरी एवं ग्रामीण योजना पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट से है जिसकी नियुक्ति 1965-66 के लिए दिल्ली प्रशासन की वार्षिक योजना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये की गयी थी । इस वर्किंग ग्रुप ने चालू वर्ष के दौरान दिल्ली प्रशासन को आवास योजनाओं के लिए 5.62 करोड़ रुपयों के नियतन की सिफारिश की थी । इन योजनाओं के लिए 4.98 करोड़ रुपयों का नियतन निम्न प्रकार कर दिया गया है :—

योजना	वर्किंग ग्रुप की सिफारिशें (रुपये लाखों में)	अन्तिम नियतन
1. आर्थिक सहायता प्राप्त आवास योजना	15.00	10.00
2. निम्न आय वर्ग आवास योजना	68.20	68.20
3. गन्दी बस्ती हटाने की योजना जिस में झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना शामिल है	400.00	† 340.40
4. ग्रामीण आवास योजनाएं	2.50	2.50
5. मध्य आय वर्ग आवास योजना	76.60	76.60
कुल	562.30	497.70

†दिल्ली प्रशासन के कार्यों को देखकर इसे 353 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है ।

लोअर सिलेरू जल-विद्युत परियोजना

403. **श्री कोल्ला वैंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 15 अप्रल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोअर सिलेरू जल विद्युत् परियोजना के लिये रूस से भवन निर्माण मशीनें बिजली पैदा करने वाला संयन्त्र तथा उपकरण मंगाने के लिये अब आवश्यक विदेशी मुद्रा मंजूर कर दी है ;

(ख) यदि हां , तो कब और कितनी रकम मंजूर की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) निर्माण सामग्री को प्राप्त करने के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा का अन्तिम आवंटन अभी नहीं किया गया क्योंकि यह सामान कहां से आएगा, इस पर विचार किया जा रहा है । उत्पादन संयंत्र और सामान की प्राप्ति का मामला भी विचाराधीन है और अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं किया गया है ।

दिल्ली में सरकारी आवास

404. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले एक अधिसूचना जारी कर के सरकारी क्वार्टरों वाले उन कर्मचारियों से प्रार्थनाप्त्र मांगे गये थे जो दिल्ली के किसी भी स्थान पर अपने वर्तमान क्वार्टर के बदले अन्य क्वार्टर लेना चाहते थे तथा उन के नाम उन की वरिष्ठता के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने श्रेणी एक से श्रेणी चार में क्वार्टर बदलने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये (श्रेणीवार); और

(ग) 1 अगस्त, 1965 तक श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को क्वार्टर बदलने की अनुमति दी गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी हां । अनुपूरक नियमावली 27 अप्रैल, 1965 को संशोधित हुई थी तथा संशोधित नियमावली के अन्तर्गत आवंटन 1 जून, 1965 से आरम्भ हुए थे ।

(ख) और (ग) 1 जून से 31 जुलाई, 1965 तक स्थिति निम्न प्रकार है :—

वास का टाईप	जिन व्यक्तियों ने वास परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र दिये हैं उन की संख्या	31-7-1965 तक जिन व्यक्तियों को परिवर्तन मिले हैं उन की संख्या
टाईप i	3,019	174
i	1,826	286
iii	523	54
iv	692	57
v	359	36
vi	94	9
योग	6,513	616

रक्त चाप का आयुर्वेदिक इलाज

406. श्री जी० ना० हजारिका : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या जामनगर स्थित आयुर्वेदिक अनुसन्धान संस्था को अल्प तनाव के मामलों में जटामंसी बूटी के आम प्रयोग की गुणकारिता के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन देने का कार्य सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Centra Take Over of J.J. Hospital, Bombay

406. Shri Baswant: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to take over the J.J. Hospital, Bombay;

(b) whether any post-graduate education would be imparted and improvements effected in the Hospital;

(c) the time likely to be taken in making a start; and

(d) the capital likely to be invested therein?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar): (a) to (d). A proposal to establish an Institute of Post-graduate Medical Education and Research in the campus of the J.J. Group of Hospitals/Grant Medical College, Bombay by utilizing the training facilities existing there, and developing them further, is under consideration of the Government of India. The time schedule and the details of financial outlay have not been finalized yet.

पंजाब में पानी का जमा हो जाना

407. **श्री रा० बरुआ :** **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री बसुमतारी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में पानी के जमा हो जाने तथा बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के हेतु विश्व बैंक के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने के लिये केन्द्र से निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) "पंजाब जल-लग्नता और बाढ़ नियंत्रण परियोजना चरण–2 के लिये विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐजेन्सी से ऋण लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है।

कलकत्ता में छापे

408. **श्री रा० बरुआ :** **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री बसुमतारी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी निदेशालय ने 24 जुलाई, 1965 को कलकत्ता के डलहौजी स्क्वयार में चाय तथा पटसन निर्यात करने वाली फर्मों के कार्यालयों पर छापे मारे थे; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित फर्मों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) यह वांछनीय है कि पकड़े गये कागजातों की छानबीन और मामले की जांच-पड़ताल पूरी होने तक फर्मों के नाम नहीं बताये जायें।

नर्सों का प्रशिक्षण

409. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में नर्सों की अपेक्षा डक्टरों की संख्या अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नर्सों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़ाने के लिये तत्काल उपाय करने का है; और

(ग) क्या एक अखिल भारतीय नर्सिंग संस्था स्थापित करने का भी विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) नर्सों के प्रशिक्षण के लिये नई संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता दे कर वर्तमान संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार के लिये पहले ही कदम उटाये जा चुके हैं । नर्सों की संख्या जो दूसरी योजना अवधि के अन्त तक 27,000 थी, तीसरी योजना अवधि के अन्त तक सम्भवत: 45,000 हो जायेगी । इस के अलावा अगले पांच वर्षों में 45,00 नर्सों को प्रशिक्षण देने के लिये राज्यों तथा निजी संस्थाओं को सहायता दे कर चौथी योजना के अन्त तक नर्सों की संख्या दुगनी करने का विचार है ।

(ग) जी नहीं । नियमित उपचर्या पाठ्यक्रमों को चलाने के लिये निम्नलिखत चार अखिल भारतीय संस्थायें पहले से ही काम कर रही हैं । उन के द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं :—

1. **नर्सिंग कालिज, नई दिल्ली** ।

(क) नर्सिंग की बी. एस.-सी (आनर्स) डिग्री ।

(ख) मास्टर आव नर्सिंग डिग्री ।

(ग) (i) वार्ड सिस्टर

(ii) नर्सिंग ट्यूटर्स

(iii) मिडवाइफ ट्यूटर्स

(iv) नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स के पोस्ट-सर्टिफिकेट कोर्स

2. **लेडी रीडिन्ग स्वास्थ्य स्कूल दिल्ली**

जन स्वास्थ्य नर्सिंग का सर्टिफिकेट कोर्स

3. **अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता**

जन स्वास्थ्य नर्सिंग का सर्टिफिकेट कोर्स

4. **अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, बंगलौर**

मनोविकार उपचर्या का डिप्लोमा कोर्स ।

Jhuggies and Jhompris

410. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Jhuggies and Jhompris of Harijans situated at compound No. 25, Ferozeshah Road, New Delhi have been demolished;

(b) if so, when these were put up there; and

(c) the arrangements made by Government to provide them with alternative accommodation?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes. Demolition operations were carried out on various dates in March, July and August 1964 and in July 1965, as unauthorised huts were put up again and again by the squatters.

(b) and (c). These squatters put up unauthorised huts for the first time in 1963. Being fresh squatters, they were not eligible for any alternative accommodation under the Jhuggis and Jhopris Removal Scheme.

दामोदर घाटी निगम के पारेषण बुर्ज का गिरना

411. डा० सारादीश राय : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के कोलाघाट के पारेषण बुर्ज (ट्रांसमिशन टावर) के गिर जाने के कारण की जांच पड़ताल की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या पता लगा है ; और

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पता चला है कि कोलाघाट में पारेषण टावर के फेल हो जाने का मुख्य कारण उस के आधार के चारों ओर मिट्टी का एकसम जमा न होना था । मिट्टी के विशिष्ट लक्षणों से जो मिट्टी का अधःपतन तथा खिसकाव हो गया था वह भी टावर के फेल होने का एक कारण था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृष्णा और गोदावरी के पानी के बारे में विवाद

412. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा और गोदावरी के पानी के बारे में विवाद से सम्बन्धित मैसूर, आंध्र, महाराष्ट्र राज्यों के बीच परस्पर कोई समझौता हो गया है ;

(ख) क्या नदियों के पानी के बारे में विवादों को निपटाने के लिये मैसूर राज्य ने एक न्यायाधिकरण नियुक्त करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राज्यीय पानी विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी, नहीं ।

(ख) चूंकि इस मामले को हल करने के लिये बातचीत हो रही है, इस समय मैसूर सरकार न्यायाधिकरण को नियुक्ति के लिये जोर नहीं दे रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Badarpur Thermal Power Station

413. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Thermal Power Station is under construction at Badarpur with foreign assistance;

(b) if so, the names of the countries who have given assistance and on what terms; and

(c) when it is likely to be commissioned?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (c). The Thermal Power Project at Badarpur has not yet been finally approved by the Planning Commission. The question of its tying up with any aid will be considered after the project has been approved. The project is expected to be completed by 1970-71.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल में काजू के कारखाने

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> आयात मूल्य का 25 प्रतिशत जमा कराने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये निदेशों के कारण केरल में काजू के लगभग 150 कारखानों द्वारा काम बन्द कर दिये जाने का समाचार" ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अफ्रीका से कच्चे काजू के आयात के सम्बन्ध में रकम जमा कराने की आवश्यकताओं के कारण केरल के काजू कारखानों को जो कठिनाइयां होने की बात कही जाती है उनके बारे में, मैं इस सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 197 के अन्तर्गत एक वक्तव्य दे रहा हूं । जैसा कि सभा को मालूम है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 जून 1965 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 20 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी थी जिसके अनुसार आयातकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे भारत में जहाज द्वारा हर बार

मंगाये गये माल के लिये उसके मूल्य का 25 प्रति शत भाग भारत में विदेशी मुद्रा के किसी अधिकृत व्यापारी के पास जमा करायें। इस अधिसूचना को जारी करने का उद्देश्य यह था कि मौजूदा परिस्थितियों में, जहां तक संभव हो, आयात को स्थगित करने या माल को अन्तर दे दे कर मंगाने की व्यवस्था हो जाय। जिस समय मूल अधिसूचना जारी की गयी थी, उसी समय यह सोच लिया गया था कि शायद कुछ छूटें देनी पड़ें ; और इसीलिये, यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि यदि किसी को इस सम्बन्ध में बहुत कठिनाई हो तो उसके मामले में रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाय।

रिजर्व बैंक ने कुछ व्यक्तिगत मामलों में मूल अधिसूचना की पाबन्दियों को ढीला कर दिया है और 29 जून 1965 के बाद दो सामान्य आदेश भी जारी किये हैं जिनमें निर्दिष्ट श्रेणियों के माल के लिए छूट देने की व्यवस्था की गयी है। बैंक ने 5 अगस्त 1965 को जारी किये गये दूसरे सामान्य आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि कच्चे काजू के किसी आयात के लिए अब कोई रकम जमा कराना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक को यह वचन दे दिया जाय कि तैयार की गयी (प्रोसेस्ड) गिरी का निर्यात, आयात की तारीख से, नब्बे दिन के अन्दर कर दिया जायगा।

महोदय, मुझे मालूम है कि केरल के काजू कारखानें इस समस्या को लेकर विक्षुब्ध हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि काजू उद्योग को कोई नुक्सान पहुंचा है या उस पर किसी तरह का प्रभाव पड़ा है। रिजर्व बैंक, क्विलोन के तीन संघों के साथ, जो निर्माताओं के हितों के प्रतिनिधि हैं, और काजू निर्यात संवर्धन परिषद से सम्पर्क बनाये हुये हैं ; और मुझे विश्वास है कि मेरा यह कथन ठीक है कि जो रियायत दी गयी है उससे वे सन्तुष्ट हैं। मुझे आशा है कि इस उद्योग को अब पहले की तरह आयात करने या पुनर्निर्यात करने या अपना अन्य सामान्य कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री कपूर सिंह : बैंक के इस आदेश के बारे में जिम्मेदारी किस की थी जिससे कि 13 जुलाई से 18 अगस्त तक कारखानों का काम बन्द रहा ? इसके कारण कितनी हानि हुई है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इस बारे में यह बता देना चाहता हूं कि सम्बद्ध लोग मेरे पास आये थे, मैंने उन्हें रिज़र्व बैंक से सम्पर्क स्थापित करने को कहा था। एक अनुभवी डिप्टी गवर्नर (उप महाप्रशासक) से बातचीत करके यह तय किया गया था। मुझे उन लोगों ने बताया था कि वे इससे सन्तुष्ट हो गये हैं। इस मामले में कोई हानि नहीं हुई है।

श्री सोलंकी (कैरा) : 26 और कारखानें बन्द हो गये हैं और 16000 कर्मचारी बेकार हो गये हैं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : परन्तु मुझे जो लोग मिले हैं उन्होंने बताया है कि स्थिति अच्छी है।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLIG ATTENTION NOTICES (Query)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे कुछ निवेदन करना है, उसका सम्बन्ध कार्य सूची से है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (बैरकपुर): इससे पूर्व मेरा ध्यान आकर्षण नोटिस भी है जिसका सम्बन्ध साम्यवादी दल पर रोक लगाने से है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखिए, मैं निश्चित रूप में इस पर पुनः विचार करूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : इसे कभी भी लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : : जी, नहीं।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सरकारी भू-गृहादि (अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) नियम, 1965

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): मैं सरकारी भूगृहादि (अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखली) अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तगत सरकारी भूगृहादि (अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 22 मई, 1965 को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 751 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। दखिये संख्या एल० टी० 4551/65]**

भारतीय चिकित्सा परिषद् (लाइसेंसधारियों का चुनाव) नियम, 1965 इत्यादि

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हू :—

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद् (लाइसेंसधारियों का चुनाव) नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 5 फरवरी, 1965 को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 216 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4192/65]**

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 10 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2183 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4552/65]**

(दो) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1963-64 के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर परीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4553/65]**

(तीन) 4 से 22 मई, 1965 तक जनेवा में हुई 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4554/65]**

(चार) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गयी उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगर पालिकायें अधिनियम, 1960 की धारा 345 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एंक प्रति :—

(क) जी० ओ० एम० एस० 4/64 डी० डी० जो दिनांक 14 जनवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केरल नगरपालिकायें (लोक निर्माण तथा सम्भरण) नियम, 1963 दिये गये हैं ।

(ख) एस० आर० ओ० 110/64 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केरल नगरपालिकायें [परती-भूमि (पोरमबोक्स) के अनाधिकृत कब्जे के लिये अर्थ दण्ड] नियम, 1964 दिये गये हैं ।

(ग) एस० आर० ओ० 240/64 जो दिनांक 4 अगस्त, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केरल नगर आयुक्त (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1964 दिये गये हैं ।

(घ) एस० आर० ओ० 348/64 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ङ) एस० आर० ओ० 351/64 जो दिनांक 17 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा केरल नगरपालिकायें (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये थे ।

(च) एस० आर० ओ० 361/64 जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केरल नगरपालिकायें (चिकित्सा सुविधा के लिये सहायक अनुदानों की अदायगी) नियम, 1964 दिये गये हैं ।

(छ) एस० आर० ओ० 373/64 जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केरल नगरपालिकायें (खेल कद संस्थाओं को सहायक अनुदानों की अदायगी) नियम, 1964 दिये गये हैं ।**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4555/65]**

(पांच) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च 1965 को जारी की गई उद्घोषणा, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगर निगम अधिनियम, 1961 की धारा 367 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) एस० आर० ओ० 393/64 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा कालीकट शहर नगर-

पालिका (स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(ख) एस० आर० ओ० 416/64 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा कालीकट नगरपालिका (निर्वाचन विवादों का निर्णयन) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(ग) एस० आर० ओ० 412/64 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा कालीकट नगर निगम (पार्षदों का निर्वाचन) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(घ) एस० आर० ओ० 38/65 जो दिनांक 2 फरवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ङ) एस० आर० ओ० 121/65 जो दिनांक 23 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केरल नगर निगम कर्मचारी सेवा नियम, 1965 दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4556/65]**

(छ) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल आंख की पुतली लगाना अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत संख्या 18784/डी० 4/63/एच एल डी जो दिनांक 7 जनवरी 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केरल आंख की पुतली लगाना नियम, 1963 दिये हुए हैं ।

(ख) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित गुरुवयूर नगरी अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० 23/64 जो दिनांक 25 जनवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गुरुवयूर नगरी समिति का पुनर्गठन किया गया था ।

(ग) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कालीकट शहर नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 367 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० 64/64 जो दिनांक 17 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(घ) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल किराये की गाड़ी अधिनियम, 1963 की धारा 54 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० 207/64 जो दिनांक 7 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 22 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 56800/एल/आई/64/एच एण्ड एल डी द्वारा युद्ध किये गये रूप में केरल किराये की गाड़ी नियम, 1964 दिये गये हैं ।

(ङ) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 की धारा 137 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० 349/64 जो दिनांक 10 नवम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास (सभापति की नियुक्ति), नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये थे ।

(च) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 367 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० 149/65 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कालीकट निगम (आयुक्त की नियुक्ति) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये थे । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—4557/65]**

सरकारी बचत प्रमाण पत्र सम्बन्धी अधिसूचनायें

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र, अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) डाकघर बचत प्रमाण-पत्र नियम (पहला संशोधन) 1965 जो दिनांक 6 मार्च, 1965 को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 332 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पहला निर्गम) नियम 1965 जो दिनांक 25 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 497 में प्रकशित हुए थे **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4558/65]**

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 जो दिनांक 25 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 183 में प्रकाशित हुए थ ।

(दो) डाकघर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 25 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 495 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) डाकघर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम 1965 जो दिनांक 25 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 896 में प्रकाशित हुए थे **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4559/65]**

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 25 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 494 ।

(दो) डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 के अनुसरण में जारी की गई दिनांक 25 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 496।

(तीन) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत, आपात जोखिम (माल) बीमा (दूसरा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 28 जन, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2054 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (दूसरा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 28 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2055 में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत बीमा (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 15 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 710 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) जीवन बीमा निगम, अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम, (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 31 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1094 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) कृषि तथा समवर्गी खण्ड में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को तैयार करने—सामान्य ढांचे—राज्य, जिला और खण्ड योजनाओं को तयार करने और "चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—1966–71 में कृषि का विकास" (एग्रीकलचरल डेवेलपमेंट इन दी फोर्थ फाइव इयर प्लान—1966–71) के विषय में स्वत: पूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशन के बारे में योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को लिखा गया दिनांक 6 मई 1965 का पत्र संख्या 14–3 (6)/65 ऐग्री, तथा उसके अनुबन्ध। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4560/65]**

भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):–

(1) मैं भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुन: सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय विद्युत् (संशोधन) नियम, 1964 जो दिनांक 7 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1591 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिनांक 21 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1642 **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—4193/65]**

(2) भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत भारतीय विद्युत् (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 5 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 795 में प्रकाशित हुए थे **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० ,टी०—4561/65]**

वित मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 10 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 939

(दो) दिनांक 31 जुलाई, 1965 की जी० एस० आर० 1092

(तीन) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1117

(चार) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1118

(पांच) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1119

(छः) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1130

(सात) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1131

(आठ) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1132

(नौ) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1133

(दस) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1134

(ग्यारह) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1135

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4562/65]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति, जिनके द्वारा सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क—वापसी (सामान्य) नियम, 1960 में कतिपय और संशोधन किये गये हैं :—

(एक) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1116

(दो) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1120

(तीन) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1121

(चार) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1122

(पांच) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1123

(छः) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1124

(सात) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1125

(आठ) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1126

(नौ) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1127

(दस) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1128

(ग्यारह) दिनांक 7 अगस्त, 1965 की जी० एस० आर० 1129

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4563/65]

सूचना सम्बन्धी प्रश्न के बारे में

RE: POINT OF INFORMATION

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : दो दिन हुए कुछ माननीय सदस्यों ने खाद्य समस्या की चर्चा करने का सुझाव दिया था । आपने खाद्य मंत्री महोदय से पूछा भी था कि क्या उनके लिए वक्तव्य देना सम्भव होगा । हमारे सारे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान देने वाले नोटिस भी रद्द कर दिये गये थे ।

देश की खाद्य स्थिति खराब है । दिल्ली में भी चावल उपलब्ध नहीं हो रहा । क्या आज खाद्य मंत्री के लिए वक्तव्य देना सम्भव होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह आज शायद वक्तव्य दे दें।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री मि० सुब्रह्मण्यम) : मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर लिखा था कि मैं वक्तव्य को सर्कूलेट कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आज ही ऐसा कर रहे हैं।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES
पहला प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 23 अगस्त, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) मंत्री परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा।

(2) आज के सरकारी कार्य-क्रम की किसी अवशिष्ट मद पर विचार।

(3) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 पर विचार तथा पारित करना।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मिट्टी के तेल तथा खाद्य स्थिति के बारे में भी चर्चा होनी चाहिये।

Shri D. S. Patil : We should also discuss the Report of Backward Classes Commission. This is very important matter.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I Submit that the Statement of Shri Chavan of 16th instant may be taken into Consideration.

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आपकी अनुमति से तीन बातें कहना चाहता हूं। गत बजट अधिवेशन में, समय के अभाव के कारण, तीन चार मंत्रालयों की अनुदान की मांगें पास तो कर दी गई थीं, परन्तु उन पर चर्चा नहीं हो सकी थी। उन मंत्रालयों के कार्यों पर जैसा कि आपने कहा था, अब चर्चा हो जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री यहां नहीं हैं, परन्तु मैं संसद् कार्य मंत्री को कहूंगा कि वह समय समय उन समस्त घटनाओं के बारे में जानकारी देते रहे जिस में न केवल संसद् सदस्यों को ही प्रत्युत सारे देश को रुचि है। आज तो सब की आंखें उन समस्त घटनाओं पर लगी हैं जो कि हो रही हैं।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह मामला प्रधान मंत्री के विचाराधीन है। वह विचार कर रहे हैं कि इसे किस प्रकार किया जाय। एक दो दिन में वह इसके बारे में बता देंगे कि क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : 1962 में चीन के आक्रमण के समय जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसे अब भी ले लेना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : हमारी सेनाओं ने कारगिल को पुन: अपने कब्जे में कर लिया है और हमें इस बात पर गौरव है। प्रतिरक्षा मंत्री महोदय को सारी स्थिति के बारे में वक्तव्य देना चाहिये ।

Shri Tulshi Das Jadhav : Food is a very important problem, my request is that this should be discussed in the House.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मेरा निवेदन है कि जो कुछ दिन प्रति दिन होता है, उसकी जानकारी सभा को दी जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के आयोग के प्रतिवेदन पर भी विवाद होना चाहिये और इसके लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिये। इसके लिए आगामी सप्ताह में समय रखा जाना चाहिए ।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : एक अल्प सूचना प्रश्न भी है । इसका सम्बन्ध पुलिस बल के लोगों को जो कि देश की प्रतिरक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर गये, उन्हें सम्पदा शुल्क से मुक्त करना है। इसके लिए बहुत से लोगों का समर्थन प्राप्त है।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मेरा निवेदन है कि तथ्यों पर आधारित जानकारी सदन को दी जानी चाहिए ।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : सीमा सम्बन्धी कुछ नक्शे भी केन्द्रीय हाल में रखे जाने चाहिये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : सब से पहले मैं श्री कर्णी सिंह जी के प्रश्न का उत्तर देता हूं। ऐसा कोई पुलिसमैन नहीं जिसकी लड़ते हुए मृत्यु हुई हो । यदि कोई ऐसा मामला आया तो उस पर विचार किया जायेगा। पिछड़े वर्गों के आयोग का प्रतिवेदन 1956 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। सम्बद्ध मंत्री महोदय ने इस पर चर्चा करना स्वीकार कर लिया है। परन्तु कुछ तुरन्त लेने वाले मामले आ जाते हैं, जिनको प्राथमिकता दी जाती है। इसी अधिवेशन में मिट्टी के तेल के बारे में भी चर्चा हो जायेगी। भाषा सम्बन्धी विधेयक भी इस सत्र में ले लिया जायेगा। काश्मीर के मामले में मेरा निवेदन है कि जब भी कोई बताने की बात होगी सभा को बताई जायेगी। खाद्य स्थिति पर भी विचार किया जायेगा।

कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक—जारी

COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में 18 अगस्त को श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी :

> "कि समवाय अधिनियम, 1956, में अग्रेतर संशोधन करने वाले वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

[अध्यक्ष महोदय]

श्री हिम्मतसिंहका अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री हिम्मतसिंहका (गौंडा) : कल मैं विधेयक के कुछ उपबन्धों का उल्लेख कर रहा था मेरा मत यह है कि संशोधन विधेयक में कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनसे निश्चित रूप में समवायों की वर्तमान कठिनाइयों में वृद्धि हो जायेगी। खंड 20 को लीजिये, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि लेखा पुस्तकों तथा अभिलेखों को कम से कम आठ वर्षों तक सुरक्षित रखा जाय। मेरा निवेदन है कि यह अवधि बहुत ही लम्बी है। यह अवधि कम की जानी चाहिये। इस दिशा में साधारण से साधारण रसीद भी सम्भाल कर रखनी होगी। मेरा आग्रह यह है कि यह प्रतिबन्ध कम से कम 1000 रुपये से अधिक की राशि पर लगाया जाना चाहिए।

अंशदारों का हस्तान्तरण कई बार बिना नाम के ही रखा जाता है। अब ऐसा नहीं हो सकता। उसे छः मास की अवधि में किसी के नाम हस्तान्तरण करना ही होगा। इसमें काफी कठिनाइयां सामने आयेंगी। मेरे विचार में जब तक कि राज्य हस्तान्तरण पर मुद्रा शुल्क घटाने के लिए सहमत नहीं हो जाता, यह काम बहुत महंगा रहेगा, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा कर सकना सम्भव नहीं होगा।

आज देश में जो परिस्थिति चल रही है, उसे देखते हुए नयी कम्पनियां बन नहीं रही हैं। उसका परिणाम यह है कि जो भी कम्पनियां विद्यमान हैं, उनमें एकाधिकार की भावना पैदा हो रही है। आज जो हालत है उसमें केवल बहुत बड़े पूंजीपति ही कम्पनियां बना सकते हैं। साधारण व्यक्ति के यह बस का रोग नहीं रहा है। अतः मेरा यह निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय को इस प्रकार के उपाय करने चाहियें कि देश में जो पूंजी बेकार पड़ी है उसे कहीं लगाया जा सके। ऐसे हालात पैदा करने चाहियें कि लोग पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित हों। इससे देश की स्थिति में काफी सुधार होगा, उद्योगों की स्थिति सुधरेगी, उत्पादन बढ़ेगा और चीजों की कीमतें कम होंगी।

Shri Bade (Khargone): We are discussing Companies (Second Amendment) Bill. It has come, as reported by the Joint Committee. This Companies Act 1956 has been amended many times. This Act has been amended four times so far. Almost every amendment to amending Act is brought forward. We have to give it serious thought as to why it becomes necessary for us to amend it every year and we should ascertain the reasons, why it is not working well. We see that the direct effect of it is that new Companies are not coming into existence. Some amendments were put forward to harm some companies which are not in the good books of the Congress.

In this connection I may state that if we want to have mixed economy to flourish in the country, we have to create some confidence in the corporate sector.

The situation today is that a sense of repugnance towards the administration is developing rapidly. This is also very clear that the amendments so far made since 1956 have adversely affected the small companies. And the present amending Bill is particularly harmful for the smaller companies. The smaller companies cannot afford to keep cost accountants. I am of the opinion that the limitation put on the limit of loans to the subsidiary companies is not a salutary provision at all.

This Bill is the direct result of Vivian Bose Commission's Report. Commission has pointed out that blank transfer of shares is at the root of all evils. But it is really very sad that the Government have not fully accepted the recommendation of the Commission. There is an dearth of cost accountants in the country. I am confident that it is not possible to follow the provision of the Bill in this direction. I am strongly of the opinion that political donations are a kind of bribery and cannot be completely stopped.

Let me also state that there should not be any limit regarding the age of the directors. Only their competence should matter. Sometimes the experience of an old man is very useful, and the age pales into insignificance. In place of advisory Commission, we are having advisory Committee. This advisory Committee will be nothing but the tool of the Government.

It is also very strange that on the one hand Government have declared that they want to do away this system of managing agents, but on the other hand, they have allowed 35 New Companies to regulate their work through managing agents. I think there must be rational basis for the amendment. In our country there should not be two types of laws. There should be one principle. I hope matter will be pursued with cooperation, sympathy and affection, rather than whims of a particular person.

Shri Raghu Nath Singh (Varanasi): I will speak only on clause 35. According to the provision of the original act, under section 280 the age limit of the director is fixed as 65. But there are people who can work even after this age. But fixing the age-limit of a director at 75 is quite unreasonable. It should be done away with. I may submit that when there is no age-limit for the members of the local bodies and the State and Central legislatures, who are elected by the people, why should there be a bar on the selection of the directors. They are after all to be elected by the share-holders.

We have seen many a doctors, lawyers and legislators working till their health permits them to function efficiently. I think director should also be allowed to work without any limitation of age. I hope Shri Bhagat will give sympathetic consideration to my points.

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : विवियान बोस आयोग ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उस के आधार पर ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मुझे खुशी है कि प्रतिवेदन को स्वीकार करते ही सरकार ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि हर बार कानून में संशोधन करना ठीक नहीं, इस से सुरक्षा की भावना कम होती है। यह बात ठीक है, पर मेरे विचार में वर्तमान विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती। यह समय के अनुरूप ही है और मैं इस का स्वागत करता हूं।

नये उद्योगों की स्थापना करने में एकाधिकार की ओर रुख दिखाई देता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। जब उद्योगों का अथवा सम्बद्ध कम्पनियों का कोई गुट बड़े उद्योगों की स्थापना करके का प्रयत्न करता है, तो कम से कम सहायक उद्योग तुलनात्मक अल्प-साधनों वाले व्यक्तियों पर विशेषत: लघु उद्योगों पर छोड़ दिये जाने चाहियें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

कम्पनी की स्थापना के समय ही उस के लिए यह घोषणा करना अनिवार्य नहीं रखा जाना चाहिये कि उस का मुख्य कार्यालय किस स्थान पर होगा। ऐसी कम्पनी के लिए जिस का व्यापार समूचे देश में हो, इस से कठिनाई पैदा होगी ?

[श्री श्याम लाल सर्राफ]

जो व्यक्ति ठीक सद्व्यवहार से पेश नहीं आते, उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि ईमानदार लोगों के हित को उचित संरक्षण दिया जाये और उन के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न न की जायें। लागत लेखापालों को अधिकृत लेखापालों के वर्ग में रखा गया है। परन्तु दोनों वर्गों के कार्य क्षेत्र सर्वथा भिन्न हैं। इसलिए लागत लेखा का काम केवल लागत लेखापालों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिये और अधिकृत लेखापालों को नहीं सौंपा जाना चाहिये।

किसी भी अन्य देश के लोक जीवन में 75 वर्ष की आयु की कोई रुकावट नहीं रखी गई है। जब तक कि एक व्यक्ति स्वस्थ है। अतः एक कम्पनी के निदेशक के लिये कोई आयु सीमा नहीं होनी चाहिये। इस प्रश्न को स्वयं कम्पनी की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिये तथा सरकार को इस बारे में विधान में कोई उपबन्ध नहीं करना चाहिये। वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उन लोगों को, जिन पर इस विधान का प्रभाव पड़ेगा, कार्यालयों के मामूली अधिकारी अनावश्यक रूप से परेशान अथवा डरायें या धमकायें नहीं। मुझे आशा है कि सारे कानून को इस प्रकार बनाया जायेगा कि कम से कम ईमानदार लोग ठीक प्रकार से काम कर सकें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस कानून में किसी संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। विवियन बोस आयोग तथा दफ्तरी शास्त्री समिति की रिपोर्ट के बाद, इस में कुछ संशोधन करना अच्छा समझ गया है। इस का उद्देश्य कम्पनी कानून के उपबन्धों के कुछ दोष दूर करने का है।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि सरकार ठीक दिशा में अग्रसर है, परन्तु जिस प्रकार कम्पनी विधि को लागू किया जा रहा है, वह एक ऐसा मामला है, जिस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। प्रशासन पर बड़े व्यापारियों का प्रभाव पड़ता है। श्री शिवामूर्ति का यह सुझाव ठीक है कि राजनीतिक दान सामान्य बैठक में पास कर के दिये जाने चाहियें।

हम सभा में इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल को विभिन्न कम्पनियों से राजनैतिक दान लेने की प्रवृत्ति को दुरुत्साहित करना चाहिए ताकि हम उन्हें देश के राजनीतिक जीवन को कलुषित करने का दोषी न ठहरा सकें। इस समय मैं ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है जिस में ब्रिटिश इंडिया निगम द्वारा दिये गये राजनैतिक दान का उल्लेख किया गया है। उक्त निगम के ज्ञापन तथा नियमों के अन्तर्गत राजनैतिक दान देने के सम्बन्ध में कोई भी धारा नहीं है। उन्होंने नेहरू स्मारक निधि को 5 लाख रुपया दान दिये हैं। इस के अतिरिक्त उन्होंने अंशधारियों की निधि से भी एक भारी धनराशि दान में दी है। इस सम्बन्ध में कुछ विचार विमर्श भी हुआ किन्तु श्री सचीन चौधरी तथा अन्य प्रतिष्ठित वकीलों ने जिन की इस बारे में राय मांगी गई थी, इन दानों का समर्थन नहीं किया।

ब्रिटिश इंडिया निगम के अध्यक्ष मेरे राज्य के निवासी हैं। वह अंशधारियों को हानि पहुंचा कर क्रेता-वर्ग को लाभ नहीं पहुंचा सकते, एक बार इस निगम को मूंदड़ा ने बर्बाद किया। मैं नहीं जानता कि क्या अब इसे सतीश चन्द्र अथवा बजोरिया द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। लाल इमली, रूती कपड़ा मिल तथा कूपर एलन में 35,000 मजदूर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सब से बड़े उद्योगों में से यह एक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्थिति के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी है। इसके लिए चाहे चेयरमैन दोषी हों अथवा अन्य कोई व्यक्ति हो, किन्तु दोषी को दण्ड अवश्य मिलना चाहिए।

ये कम्पनियां ठेकेदारों के बिलों का भुकतान नहीं कर पाई हैं। 1962 के पश्चात् उन्होंने मजदूरीको बोनस नहीं दिया है। खेद है कि कानपुर में जो कुछ हो रहा है, वह मंत्री महोदय से छिपी नहीं है, बावजूद इसके वह कोई भी कार्यवाही नहीं करते।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि बेरियम केमिकल्स लिमिटेड ने कम्पनी विधि प्रशासन के विरुद्ध गम्भीर आक्षेप लगाये हैं और उस ने कम्पनी ला बोर्ड के चेयरमैन जो एक आई० सी० एस० पदाधिकारी हैं, तथा वित्त मंत्री के विरुद्ध पंजाब उच्च न्यायालय में एक लेख याचिका दायर की है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब बातें विधेयक से सम्बद्ध नहीं हैं। यदि विधेयक पर उन्हें अन्य कोई सुझाव देना हो, तो वह दे सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा संशोधन यह है कि विधेयक में एक ऐसे खण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये जिस से केवल कम्पनीज के विरुद्ध ही कार्यवाही नहीं की जा सके अपितु कम्पनी विधि प्रशासन पर भी प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सके।

इस सभा में, श्री इन्द्रजोत गुप्त ने टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी के विरुद्ध कुछ विशेष आरोप लगाये हैं। किन्तु विधि मंत्री महोदय ने कहा है कि वित्त मंत्री ने इस कम्पनी से 1942 में सम्बन्ध विच्छेद कर दिया था। इस सम्बन्ध में मेरा यह कथन है कि वित्त मंत्री का इस फर्म, टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी से 1947 तक श्री कृष्णमाचारी के रूप में सम्बन्ध रहा और तत्पश्चात् 1952 तक अपने नाबालिक पुत्र टी० टी० बसु के अभिभावक के रूप में इस से सम्बन्ध रहा है।

मैं अपने संशोधन संख्या 48 की पूर्व सूचना देते हुए यह महसूस करता हूं कि लागत लेखापालों को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। वे लेखा-परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं। कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत उन पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटा दिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को, जिस से किसी प्रकार कोई हानि नहीं होती है, स्वीकार कर लेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधयक का शर्त के साथ समर्थन करता हूं।

श्री मुरारका (झुंझनू) : विधेयक समिति को सौंपे जाने के पूर्व, इस सभा में कई सुझाव दिये गये थे और यह जान कर बहुत हर्ष होता है कि उन में से अधिकांश सुझावों को संयुक्त समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

मैं अपने आप को केवल उन खण्डों तक ही सीमित रखूंगा जिन पर, मेरे विचार में, संयुक्त समिति द्वारा व्यापक रूप से विचार नहीं किया गया है।

प्रस्तुत विधेयक का खण्ड 3 मूल विधेयक की धारा 2 का संशोधन करता है, जो परिभाषा सम्बन्धी धारा है और खण्ड 3 का उप-खण्ड (दो) परिभाषा सम्बन्धी धारा के खण्ड 30 का संशोधन करता है। धारा 2(30) में कम्पनी के पदाधिकारी के बारे में परिभाषा दी गई है और इस परिभाषा में, निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्धक अभिकर्ता अथवा अन्य पदाधिकारी को शामिल किया गया है, किन्तु एक बाह्य व्यक्ति जिस का कम्पनी से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसे शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तुत संशोधन को लागू किये जाने पर, किसी भी व्यक्ति को जो पूर्णतः एक बाह्य व्यक्ति है, किन्तु जिस की हिदायतों अथवा निदेशों के अनुसार, कम्पनी का कोई निदेशक को कार्य करना होता है, उसे भी

[श्री मुरारका]

कम्पनी का एक पदाधिकारी समझा जायेगा और कम्पनी के किसी पदाधिकारी को दिये जाने वाले दण्ड तथा उस पर अन्य कोई उठाई जाने वाली आपत्ति उस पर भी लागू हो सकेगी।

प्रस्तुत संशोधन की व्यवस्था विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन के अनुसरण में की जा रही है।

मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यदि एक बार ऐसी परिभाषा किसी पदाधिकारी के बारे में कर दी गई तो वाह्य व्यक्ति के लिए जो उत्तरदायित्व तथा दण्ड की व्यवस्था होगी, वह काफी अधिक हो जायेगी।

किसी बोर्ड में एक व्यक्ति, चाहे कितनी ही कल्पना क्यों न की जाए कम्पनी के काम-काज पर तब तक नियंत्रण नहीं रख सकता जब तक कि अन्य सभी निदेशक किसी अन्य व्यक्ति के नाममात्र के निदेशक न हों। इस लिए इस उपबन्ध को व्यवहार्य बनाना कसे संभव है ?

अब सरकार खण्ड 35 के अन्तर्गत यह व्यवस्था कर रही है कि 75 वर्ष की आयु के पश्चात् कोई भी व्यक्ति किसी कम्पनी के निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर सकता, और यदि फिर वह बोर्ड में किसी मनोनीत व्यक्ति को नियुक्ति करता है तो वह प्रत्येक चीज के लिए उत्तरदायी होगा अर्थात् उसे पूर्ण दण्ड दिया जा सकेगा। संयुक्त समिति ने इस में जो संशोधन तथा परिवर्तन किये हैं उस के लिये मैं उस का आभारी हूं।

खण्ड 3(दो) अर्थहीन तथा अव्यवाहार्य है। कम्पनी विधि की धारा 264 अथवा 285 के अन्तर्गत अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है। यही नहीं, जब सरकार देखती है कि किसी कम्पनी का प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं चल रहा है तो वह उस कम्पनी को अपने नियमों में परिवर्तन करने तथा अनपाती प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाने के लिये निदेश दे सकती है।एक ओर तो सरकार की नीति अनुपाती प्रतिनिधित्व के अधिकार को रखने तथा हिस्सों के अनुसार नाम निर्देशित निदेशक रखने को है परन्तु दूसरी ओर सरकार उस व्यक्ति को नामनिर्देशित निदेशक रखने में प्रतिबन्ध लगा रही है क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो नामनिर्देशित निदेशक द्वारा की गई भूलों तथा चूकों के लिये वह उत्तरदायी होगा नाकि नामनिर्देशित निदेशक। मेरे चिवार में संयुक्त समिति ने इस उपबन्ध पर पूरी तरह विचार नहीं किया। मुझे खुशी होती यदि संयुक्त समिति ने ऐसे व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कुछ ही बातों तक सीमित रखा होता। ऐसे व्यक्ति को तभी उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये जब वह निदेशकों की बहुसंख्या पर नियंत्रण रखता हो।

खण्ड 13 के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस खण्ड के अनुसार कम्पनी विधि प्रशासन अथवा स्टाक एक्सचेंजों के लिये सुचारु रूप से कार्य करना असम्भव हो जायेगा। पहली बात जो इस खण्ड में कही गई है वह यह है कि हस्तान्तरण फार्म एक निश्चित प्राधिकार से प्राप्त किये जाने चाहियें। प्रत्येक वर्ष देश भर में विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों को कई लाख हस्तांतरण फार्मों की आवश्यकता पड़ेगी और यह कार्य तब तक पूरा नहीं किया जा सकेगा जब तक सरकार इस प्राधिकार के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगी। कई बार यह फार्म कई कारणों से उपलब्ध भी नहीं किये जा सकेंगे अतः मेरा संशोधन यह है कि अब प्रचलित फार्मों को ही जारी रखा जाये, परन्तु निश्चित प्राधिकारों द्वारा उन पर अपनी मुहर लगानी चाहिये। इससे प्राधिकार को फार्म नहीं छापने पड़ेंगे और इसका काम केवल मुहर लगाना ही होगा।

शेयरों के हस्तांतरण के लिये 6 महीने की अवधि की बजाये, इनका हस्तांतरण सौदा होने के पश्चात् कम्पनी को हस्तांतरण पुस्तकों को पहली बार बन्द करने से पूर्व होना चाहिये। इस प्रकार कई मामलों में तो यह अवधि 2–3 महीने तथा कई मामलों में 10 अथवा 11 महीने की होगी। इससे शेयर खरीदने वालों को भी पता लग जायेगा कि उन्हें शेयर मिल रहे हैं तथा यह भी पता लग जायेगा कि उन्हें शेयरों का हस्तांतरण अमुक तारीख से पूर्व कराना होगा। इस प्रकार से वे प्रक्रिया सम्बन्धी कई कठिनाइयों से बच जायेंगे।

खण्ड 21 के बारे में कल श्री दांडकर ने आपत्ति की और कहा कि सरकार को लेखा परीक्षकों को किसी मामले पर प्रतिवेदन देने के लिये निदेश देने का अधिकार नहीं लेना चाहिये। इस आपत्ति का कोई लाभ नहीं है क्योंकि विद्यमान अधिनियम की धारा 233ए (चार) के अन्तर्गत सरकार को एक विशेष लेखा परीक्षक को नियुक्ति करने तथा उससे वांछित मामलों पर प्रतिवेदन लेने का पहले ही अधिकार है। यदि श्री दांडेकर इस खण्ड पर आपत्ति करते हैं तो सरकार को उक्त धारा के अन्तर्गत एक विशेष लेखा परीक्षक को नियुक्त करना पड़ेगा जिससे कम्पनी की ख्याति पर प्रभाव तो पड़ेगा ही परन्तु श्री दांडेकर को बात भी पूरी नहीं हो सकेगी। अतः श्री दांडेकर की आपत्ति का कोई अच्छा आधार नहीं है।

खण्ड 23 बहुत विवादस्पद है। इससे हमारी कम्पनियों में परिव्यय लेखा परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पहली बार की जा रही है। मुझे बताया गया है कि ऐसा उपबन्ध संसार में कहीं भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसी व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इससे कार्यालयों, लेखा परीक्षकों तथा कम्पनी विधि विभाग के लिये कठिनाइयां बढ़ जायेंगी क्योंकि परिव्यय-लेखा अभी प्रगतिशील अवस्था में है तथा हमारी कम्पनियां तथा उद्योग इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में अभी बहुत थोड़ा जानते हैं। खण्ड 20 में यह व्यवस्था कि सरकार को यह निदेश देने का अधिकार होगा कि कम्पनियां और कौनसी पुस्तकें रखेंगी। इस अधिकार को लेकर सरकार को लेखा परीक्षा के लिये निदेश केवल 2 अथवा 3 वर्षों के पश्चात् ही देना चाहिये जहां तक परिव्यय लेखा-परीक्षा का सम्बन्ध है। जिससे उन कम्पनियों को पता लग सके कि उन्हें एक निश्चित फार्म में हिसाब रखना है। माननीय सदस्य, श्री दांडेकर ने कल खण्ड 23 पर बोलते हुए कहा कि 90 प्रतिशत छोटे तथा मध्यम पैमाने की कम्पनियां ऐसी हैं जो परिव्यय-लेखा (कोस्ट अकाउण्ट) सम्बन्धी व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं और इस को ध्यान में रखते रखते हुए उन्हें परिव्यय-लेखा सम्बन्धी व्यवस्था की लेखा-परीक्षा कराने के लिये कहना अर्थहीन है। प्रतीत होता है कि उन्होंने इन खण्डों को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है। खण्ड 20 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि सरकार केवल ऐसी कम्पनियों को, जो लेखे रख सकती है, ही ऐसा करने के लिये कहेगी। जब तक सरकार यह महसूस नहीं करती कि अमुक क्षेत्र में परिव्यय लेखा सम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक है तब तक सरकार खण्ड 20 के अन्तर्गत कोई निदेश जारी नहीं करेगी। एक बार निदेश जारी करने का यह मतलब नहीं होगा कि उस कम्पनी की प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षा हो। यह तो तभी किया जायेगा जब सरकार यह देखना चाहेगी कि वह कम्पनी अधिक परिव्यय तो नहीं दिखा रही है। यह कहना गलत है कि इन खण्डों के अन्तर्गत 90 प्रतिशत अथवा सभी कम्पनियों को परिव्यय लेखा सम्बन्धी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

खण्ड 35 में निदेशकों की आयु सीमा को 65 से बढ़ा कर 75 वर्ष करना तथा अंशधारियों के इस सम्बन्ध में स्वविवेक से वंचित करने की जो व्यवस्था है, वह उचित नहीं है। या तो आयु सीमा के बारे में पहले जो व्यवस्था है उसी को जारी रखा जाना चाहिये अथवा इसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि आयु के बारे में इतना कड़ा रुख अपनाना कि 75 वर्षों की आयु हो जाने के

[श्री मुरारका]

पश्चात् कोई भी व्यक्ति निदेशक नहीं रह सकता है, लोकतन्त्रीय नियमों के प्रतिकूल है। अतः इस खण्ड पर पुनः विचार किया जाना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

माननीय सदस्य श्री दांडेकर ने खण्ड 51 का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सलाहकार आयोग के स्थान पर एक सलाहकार समिति की नियुक्ति के लिये कोई कारण नहीं हैं। मेरे विचार में तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सलाहकारी निकाय हैं। नये खण्ड में सरकार ने किसी मामले को, जिसका निर्दिष्ट किया जाना सरकार के विचार में आवश्यक है, उस सलाहकार समिति को निर्दिष्ट करने का अधिकार भी ले लिया है।

वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत कुछ आवेदन पत्रों को सलाहकार कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक है परन्तु नई व्यवस्था में इस में परिवर्तन किया जा रहा है। पहले का आवेदन इन बातों में अवश्य ही कमीशन को प्रस्तुत होना चाहिये:— (1) जब डायरेक्टरों की संख्या बढ़ानी हो। (2) जब प्रबन्ध निदेशकों के वेतन में वृद्धि करनी हो और (3) जब प्रबन्ध ऐजण्टों के साथ किये गये ठेके की शर्तों में परिवर्तन करना हो। सदन में प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था का विरोध किया गया है। सरकार भी इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है। आशा है कि प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जायेगा। इस विषय में 1956 में ही अधिकार प्राप्त कर लिये गये थे। नई व्यवस्था के अनुसार यह आवश्यक नहीं होगा कि सरकार प्रत्येक आवेदनपत्र को सलाहकार समिति के पास भेजे। अनुभव से यह पता चला है कि इस में बहुत समय लग जाता है क्योंकि कमीशन की बैठकें दिल्ली काफी समय के पश्चात् होती हैं। खण्ड में 51 आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया है। मेरे विचार में समिति को सभी आवेदन पत्र अवश्य भेजे जाने चाहिये।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं 1965 के संकोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। 1956 के अधिनियम में बहुत सी त्रुटियां थीं अब उन को दूर कर दिया जायेगा। जब 1956 का कानून बनाया गया था उस समय दफ्तरी-शास्त्री रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। अतः उस रिपोर्ट में उठायी गई बातों को कानून बनाते समय ध्यान में नहीं लिया गया था। इस लिये इस में बहुत से दोष रह गये थे। अब 9 वर्षों के बाद उन को ठीक किया जा रहा है। कम्पनी विधि बोर्ड की 1963-64 की रिपोट में बहुत अधिक संख्या में ऐसे मामलों का उल्लेख है जिन में अभियोग चलाने पड़े। इस बोर्ड की नीति में भी परिवर्तन हो गया है। अब छोटी छोटी त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। हम जो कानून बनाते हैं वह सामान्य जनता के कल्याण के लिए होते हैं। और खराब बातों को समाप्त करने के लिए हैं। देश में साधारण जनता को तंग नहीं किया जाना चाहिये।

एक और बात जिस की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये वह है बिलम्ब। मामलों से जांच करने में बिलम्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिये। ऐसा देखा गया है कि इन मामलों में 10 साल तक लग जाते हैं। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होता और वास्तविक दोषी बच जाते हैं। इस कानून को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि छोटे

व्यापारियों को तंग न किया जाये। सरकार ने आयात पर प्रतिबन्ध लगाये हैं। यह अच्छा किया है। इस प्रकार काज् उद्योग पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इस से केरल के लगभग 8,000 मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ किया जाना चाहिये। श्री दांडेकर ने कहा है कि संयुक्त समिति ने इस विधेयक में बहुत सुधार कर दिया है। यह सुधार वास्तव में रियायतें हैं जो कि बड़े-बड़े व्यापारियों को दी गई हैं। खण्ड 13 में उन सभी बातों को नहीं लिया कि जिन को विवियन बोस कमीशन तथा दफ्तरी-शास्त्री समिति ने सुझाया था। सरकार को इस के लिए शीघ्र एक और विधेयक लाना पड़ेगा। बड़े बड़े व्यापारी बैंकों पर उनका नियन्त्रण होने के कारण बहुत अनुचित लाभ उठाते हैं। इस से छोटी कम्पनियों को हानि होगी।

खण्ड 21 का सम्बन्ध लेखा परीक्षा से है। देश में लेखा परीक्षा कार्य का तुरन्त ही राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। ऐसा करने से इस मामले में प्रचलित बहुत सी त्रुटियां दूर की जा सकती हैं। इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

खण्ड 23 का सम्बन्ध परिव्यय लेखा तथा परिव्यय लेखा परीक्षा से है। यह एक नई चीज है। सरकार को इस को प्रोत्साहन देना चाहिये। लोक लेखा समिति ने भी इस ओर ध्यान दिलाया है। सरकार को और अधिक संख्या में परिव्यय लेखापाल नियुक्त करने चाहियें और बड़े बड़े व्यापारियों के लेखों आदि की जांच करानी चाहिये। श्री दांडेकर ने इस का विरोध किया है। इससे बड़े बड़े व्यापारियों के लेखों आदि की ठीक स्थिति का पता चल सकेगा।

जो कर्मचारी प्रशासन को कम्पनियों द्वारा किये गये धोखे आदि की जानकारी दे उसे पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिये तथा उस के हितों की रक्षा होनी चाहिये। जब तक कि कर्मचारी को इस का पूर्ण विश्वास नहीं होगा वह किसी भी प्रकार की जानकारी सरकार को नहीं देगा। कई लोगों ने इस उपबन्ध का विरोध किया है। परन्तु इस से कोई हानि नहीं होगी। कर्मचारियों को कम्पनियों के कामकाज का पूरा ज्ञान होता है और उन सब प्रकार की जानकारी होती है। वे तब तक सरकार को यह जानकारी नहीं देते जब तक उन्हें विश्वास न हो जाये कि उन को किसी प्रकार की हानि न होगी। "टाइम्स ऑफ इंडिया' के मामले में ऐसे ही हुआ था। सरकार को छोटे कर्मचारियों के संरक्षण के लिये अवश्य उपबन्ध बनाने चाहिये। बड़े लोगों को पहले ही बहुत सुविधायें प्राप्त हैं।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Sir, this is probably fifth amendment. In 1956 the Company Act was completely changed but it was not by way of amendment. A committee was appointed for the Company Law. Shri Deshmukh was in this committee. It was at that time that some restrictions were imposed on managing agency system. No one could be managing agent of more than ten companies. There were many loopholes in this law. Now the retirement age of director has been increased from 65 years to 75 years. It will not help in any way.

Government initiated action against a particular company. A commission with Justice Vivian Bose was appointed to investigate. Some prosecutions were launched on the basis of the report of that commission. This report clearly indicates how the malpractices are going in companies. The Finance Minister has launched a campaign against unaccounted money. Several raids have been conducted, but, I may add, that these raids have not been made against big

[Shri Sinhasan Singh]

businessmen who are the real culprit. It is claimed that the national income has gone up by 14 per cent. but it is known asto who has gained by this rise. A committee was appointed for this purpose, but its report has not been published. We want to know whether Government has taken back the money from companies where it has more than 51 per cent. investment. The company law was passed and powers were conferred on the Finance Minister. We want to know whether he has made the best use of these powers or not. Companies indulge in malpractices. Cost accountancy should be introduced by the Government. The daily allowance of directors of companies should be put under some restriction.

This Act has been amended almost every year after 1956. This has been done to improve the working of companies but desired purpose has not been served. Many departments of Government deal with the companies. There should be proper coordination between these departments.

Shri A. N. Vidyalankar (Hoshiarpur): Sir, it was hoped before this Bill was referred to Select Committee, that some improvement will be recommended by the Committee. Our Finance Minister has been doing a magnificent job and I congratulate him. He has tried to improve the working of companies but....

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें । अब हम गैर-सरकारी कार्य लेंगे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

सड़सठवां प्रतिवेदन

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सड़सठवें प्रतिवेदन से जो 17 अगस्त, 1965 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सड़सठवें प्रतिवदन से जो 17 अगस्त, 1965 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted*

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 127, 128, और 129 का संशोधन)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of Sections* 127, 128 *and* 129)

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान संशोधन विधेयक

अनुच्छेद 134 का संशोधन

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of article* 134)

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान संशोधन विधेयक

अनुच्छेद 314 का हटाया जाना

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Omission of article* 314)

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर सशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक

धारा 6 का हटाया जाना

PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) BILL

(Omission of Section 6)

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 252 का संशोधन)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 252)

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

Shri Sinhasan Singh: Sir, I introduce the Bill.

अखिल भारतीय सेवाएं (संशोधन) विधेयक

(नयी धारा 3-क का रखा जाना)

ALL-INDIA SERVICES (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new Section 3A)

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 117 और 207 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 117 and 207)

Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

Shri Yashpal Singh: I introduce the Bill.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(धारा 77 का संशोधन)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 77)

Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was adopted.*

श्री यशपाल सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विधान परिषदें गठन विधेयक (जारी)

LEGISLATIVE COUNCILS (COMPOSITION) BILL—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री श्रीनारायण दास द्वारा 15 अप्रैल, 1965 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"कि राज्यों की विधान परिषदों के गठन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को 16 सदस्यों, अर्थात् श्री राम चन्द्र विट्ठल बड़े, श्री चि० र० बासप्पा, श्री बसन्त कुमार दास, श्री गौरी शंकर कक्कड़, श्री कृ० ल० मोरे, श्री शंकरराव शान्ताराव मोरे, श्री वै० च० पाराशर, श्री जगन्नाथ राव, श्री स० चं० सामन्त, डा० सरोजिनी महिषी, श्री शिव नारायण, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, श्री तयप्पा सोनावने, श्री राधेलाल व्यास, श्री कृ० क० वारियर, और श्री श्री नारायण दास की प्रवर समिति को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाये।"

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में मुख्य कारण यह बताया है कि संविधान को प्रवर्तन में आए 15 वर्ष हो गये हैं, अतः राज्य विधान परिषदों के गठन में परिवर्तन होना चाहिये। और दूसरा कारण यह बताया गया है कि क्रियात्मक राज्य विधान परिषदों में क्रियात्मक प्रतिनिधान चालू हो जाना चाहिये। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में 15 वर्ष का समय बहुत अधिक नहीं होता है। यदि वह कहते कि राज्य विधान परिषदों को समाप्त कर दिया जाये तो बात कुछ समझ में आ सकती थी, परन्तु वह कहते हैं कि विधान परिषदों के गठन में परिवर्तन होना चाहिये।

संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ए) के अन्तर्गत नगरपालिकाएं, जिला मंडल और अन्य स्थानीय निकाय एक तिहाई सदस्य का चुनाव करेंगे। $\frac{1}{12}$ भाग का चुनाव राज्य में तीन वर्ष से रहने वाले स्नातक करेंगे और $\frac{1}{12}$ भाग का चुनाव वे अध्यापक करेंगे जो माध्यमिक पाठशालाओं से ऊपर अध्यापन कर रहे हों। और खण्ड (घ) के अन्तर्गत एक तिहाई भाग का चुनाव विधान सभा के सदस्य करेंगे। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के प्रतिनिधि भी वहां होने चाहियें। अब सरकार अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अध्यापकों को राजनीति में भी भाग नहीं लेना चाहिये। स्नातकों को स्थान मिल सकता है।

प्रस्तावक यह भी चाहते हैं कि सहकारी समितियों के प्रतिनिधि भी वहां होने चाहियें। परन्तु सभा में अधिकतर माननीय सदस्यों ने यही कहा था कि सहकारी समितियों को विशेष प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिये। इन समितियों के प्रतिनिधि पहले ही संसद् के सदस्य, विधान मंडलों के सदस्य हैं तथा उनमें से कुछ परिषदों में भी हैं। अतः उनके लिये विशेष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तावक की मुख्य मांग यह है कि विधान परिषद् के लिये जो एक तिहाई सदस्यों का चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा होता है वह समाप्त हो जाना चाहिये। वह चाहते हैं कि चुनाव क्रियात्मक सिद्धांत के आधार पर होना चाहिये। अमरीका में भी राज्य विधान मंडलों तथा फेड्रल सीनेट के लिये चुनाव क्रियात्मक प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं होता। संसार के किसी भी प्रगतिशील देश में क्रियात्मक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं पाया जाता है। जब उपयुक्त समय पर विधेयक

पेश होगा तो माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों, जिन्होंने वाद विवाद में भाग लिया है, द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को सरकार ध्यान में रखेगी। परन्तु इस समय मैं विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : अब समय आ गया है कि राज्य परिषदों के गठन पर पुन-विचार होना चाहिये और देश के कई महत्वपूर्ण संगठनों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। विधेयक को लोक मत जानने के लिये परिचालित किया गया था और कई गैर-सरकारी संस्थाओं ने परिषदों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। परन्तु यह मैं मानता हूं कि कई राज्य सरकारें इस विधेयक के कई उपबन्धों से सहमत नहीं थीं। जैसा कि गठन आजकल है विधान परिषद् के एक तिहाई सदस्यों का चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो विधान सभा के लिये मत दे सकता है विधान परिषद् का सदस्य बन सकता है। अतः राज्य सरकारें विधान परिषदों के लिये एक तिहाई सदस्यों को चुनने के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहती।

माननीय मंत्री को याद होगा कि जब संविधान सभा में विधान परिषदों के गठन पर वाद विवाद हुआ था तो सदस्यों में बहुत मतभेद था। बहुत विचार विमर्श के उपरान्त वर्तमान गठन के लिये वे सहमत हुए थे जो कि पूर्ण नहीं है। माननीय मंत्री ने कई देशों का हवाला देते हुए कहा है कि क्रियात्मक प्रतिनिधित्व उपयुक्त नहीं है। जो गठन इस समय है उससे पता चलता है कि संविधान सभा के दिमाग में उस समय क्रियात्मक प्रतिनिधित्व का विचार था। माननीय मंत्री ने कहा है कि विधेयक के विभिन्न उपबन्धों से वह सहमत नहीं हैं, परन्तु वह उनको ध्यान में रखेंगे और कुछ समय पश्चात् एक अलग विधेयक पुरःस्थापित करेंगे। विधान परिषदों के बारे में संविधान में यह कहा गया है कि जब तक संसद् इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक वर्तमान गठन ही रहेगा। अतः अब समय आ गया है कि विधान परिषदों के गठन के लिये एक अलग विधेयक लाया जाये। जैसा कि मैंने पहले कहा, विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाएं इस हक में हैं कि विधान परिषदों के गठन में संशोधन होना चाहिये। इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों की भी यह राय है कि इसका संशोधन होना चाहिये। परन्तु मुझे खेद है कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के उपबन्धों को स्वीकार नहीं किया। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि विधेयक को वापिस लने की मुझे अनुमति दी जाये। और मैं आशा करता हूं कि विधान परिषदों के गठन में परिवर्तन करने के लिये सरकार एक विधेयक शीघ्र ही लायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें विधेयक वापिस लेने की सभा की अनुमति है ?

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The Bill, by leave, withdrawn.

सिख गुरुद्वारा विधेयक

SIKH GURDWARAS BILL

Shri A. S. Saigal (Janjgir): Sir, I beg to move that the Bill to provide for the better administration of Sikh Gurdwaras situated in different States of Indian Union and for inquiries into matters connected therewith, be

[Shri A. S. Saigal]

referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 30 members, 25 from this House, namely:—

Dr. M. S. Aney, Shri K. L. Balmiki, Shri C. K. Bhattacharyya, Major Rajabahadur Birendra Bahadur Singh of Khairagarh, Sardar Butta Singh, Sardar Daljit Singh, Shrimati Vimlabai Panjabrao Deshmukh, Sardar Dhanna Singh Gulshan, Sardar Iqbal Singh, Shri Hari Vishnu Kamath, Sardar Kapur Singh, H. H. Maharaja Shri Karni Singhji of Bikaner, Shrimati T. Lakshmi Kanthamma, Sardar Surjit Singh Majithia, Sardar Gurmukh Singh Musafir, Shri Man Sinh P. Patel, Shri D. D. Puri, Shri Sham Lal Saraf, Shri Asoke K. Sen, and Sardar Amar Singh Saigal

and 10 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 10 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee.

This Bill was circulated for eliciting public opinion before the last Parliament was dissolved. But because of the dissolution of the Parliament there was no further progress in the Bill. This Bill has been brought out the insistence of Sikhs. There may be many short comings in this Bill which can only be removed if it is referred to a Select Committee where many institutions can give their opinion. Therefore I would request the House to let the Bill be referred to a Select Committee. Sant Fateh Singh came here few days back and told me that Sikhs are being maltreated. I do not want to go into the question of maltreatment; but I would stress that this allegation of Sant Fateh Singh makes it all the more important that the bringing of this Bill before the House should not be obstructed. I would impress upon the Government to let this Bill be referred to a Select Committee and be passed also.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): I Congratulate Sardar Amar Singh Saigal for bringing this Bill. The Government should further improve this Bill and pass it. The Gurdwaras in which Sikh religion is preached should be given a chance to reform. The present structure should be changed so that the lofty teachings of our Gurus and the mission of their lives should be properly preached and proper economic help should be afforded for the purpose. Our Sikh religion is being taken too lightly. Sikhs religion represents our military department. I support this Bill whole-heartedly, because Sikhs have always laid down their lives in the defence of the country. Therefore full opportunity should be provided for the propagation of Sikh religion. This Bill should be passed without any controversy.

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): I whole heartedly support this Bill. I am one of those who have some reverence for the Gurdwaras. We want that Gurdwaras should be managed properly and they should be living institutions. For this, the Bill brought forward by Sardar Amar Singh Saigal is very important. I may further point out that the activities in the Sikh Gurdwaras have a very important impact on the rural people of our areas. Many people irrespective of their communities go to the Gurdwaras for worship.

Regarding this Bill, I will like to say few things from my own point of view. I am of the opinion that the places of worship should not be used for political activities. On the other hand they should be strong centres which may help in creating an atmosphere by which the hands of the Government may be strengthened. In the situation, as we have today, this thing becomes particularly necessary. At this juncture, when country is facing a crisis, Sant Fateh Singh should not act in a manner which may create tension, and the communal relations might deteriorate. But I want the Gurdwaras to be living institute.

We have also seen that the Pakistan infiltrators got shelters in the mosques. This is a clear misuse of the religious places. I would like to urge upon the Minister that this Bill should be accepted. I fully support this Bill.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं सरदार अमर सिंह सहगल को इस विधेयक के लिए मुबारकबाद देता हूं । उन्होंने बड़ा व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया है । उन्होंने गुरुद्वारों से सम्बन्धित कोई मद छोड़ी नहीं है । यह विधेयक काफी काल से हमारे समक्ष है । सिखों का समझदार वर्ग एक मत से इसके पक्ष में है । मेरा निवेदन है कि हिन्दू भी भारी संख्या में गुरूद्वारों का आदर करते हैं । मेरा मत यह है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी इतिहास में यह विधेयक एक प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा ।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि गुरूद्वारों में सुधार लाया जाय । उन्हें सच्चे अर्थों में प्रेरणा का केन्द्र बनाया जाय और वहां लोगों को आध्यात्मिक स्फूर्ति प्राप्त हो । मेरा निवेदन यह है कि यह उद्देश्य कि सभी सिख गुरूद्वारों में धार्मिक कार्यों के करने की दिशा में एकरूपता हो, और वह अच्छे पूजा के केन्द्र बनें, एक अच्छा उद्देश्य है । इस दिशा में यह विधेयक एक बहुत ही अच्छा प्रयास है । विधेयक में प्रस्तावित बोर्ड—तथा समितियां गुरूद्वारों की व्यवस्था के बारे में सुधार लाने में काफी सहायक सिद्ध होंगी ।

इस बात से मैं सहमत हूं कि उपासना केन्द्रों का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिये किया जाना चाहिए । वर्तमान स्थिति में विद्यमान आपत्तियों को और भी अधिक बढ़ाने के लिए यह अवसर नहीं है । सन्त फतेहसिंह के उपवास के बारे में भी मेरा यही मत है कि उसके लिए यह अवसर उपयुक्त नहीं है । आज जो आपात की स्थिति निर्माण हुई है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए ।

मैं तो इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार से यह आग्रह किया जाना चाहिए कि वह भी वहां के सिख गुरूद्वारों की व्यवस्था के बारे में कार्य एक केन्द्रीय प्राधिकरण को सौंप दे । मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यह विधेयक का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और सिख गुरूद्वारों का प्रबन्ध सर्वत्र देश में अच्छा हो जायेगा । विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है, इससे उसकी सभी त्रुटियां दूर हो जायेंगी । सरकार को यह विधेयक स्वीकार कर लेना चाहिये । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded): I rise to support this Bill. I find that from religious point of view there is sufficient unity amongst the Sikhs. I feel that the objects of the Bill are really laudable. It aims at improving the management of the Gurdwaras of the country. I have found with my personal knowledge that Sikh religion is a noble religion. Gurdwaras should be used to preach the tenets of morality, even amongst the followers of other religions. They should become centres from where the noble ideas and ideals are preached.

At this juncture, I may say that Sant Fateh Singh should not go in for a fast and self-immolation. The present situation is not an occasion for like ventures. Today country is facing a very difficult situation. We are passing through very difficult times and whatever sacrifices we want to make, we should make at the altar of the Unity of our country. Those sacrifices are not wanted which ultimately go towards the negation of democracy.

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): Good opportunity has been provided for the discussion of this Gurdwara Bill of my esteemed friend Sardar Amar Singh Saigal. Let me state that Sikhism is a very glorious religion of the country. It provided a spirit to fight for the cause of our beloved motherland in very difficult times. The spirit of chivalry was created by its preachings.

I am of the opinion that the Bill is a step towards the right direction. If you are able to create a sense of uniformity in the administration of Gurdwaras, it will give a fillip to people to preach the tenets of religion and ultimately the tenets of ethics and morality. Preachers and followers of Sikh religion were mostly saints. I am sure Sikh throughout the country will welcome this measure.

Another factor, which is also very important is that this Bill will help in bringing the unity amongst the Sikhs of all directions. Unity is wanted today in all ranks. I may request that in the present circumstances we should try to see that no tention is created in the country. I should also appeal to Sant Fateh Singh that he should also keep in mind the serious situation of the country today, before launching any campaign for Punjabi Suba.

Shri Kanshi Ram Gupta (Alwar): I whole-heartedly support this Bill brought forward by Shri Amar Singh Saigal. But we would like to say something in this connection, which may not be liked by my friends.

I would urge upon the Government to accept this Bill, but at the same time urge that religion should not be mixed up into religion. This problem should be given a serious thought. Question of the right of minorities is different one. Adequate attention to their problems, but religion should not be crept into politics at all.

There is no doubt about it that country is passing through a great crisis today. All the problems that are before the country, should be looked at from this context. We should not create a violent situation for the agitation of Punjabi Suba. The demand of Punjabi Suba should be pursued by non-violent means. The country's difficult times should be always in our view.

[श्री तिरुमलराव पीठासीन हुए
SHRI THIRUMAL RAO *in the Chair*]

I shall urge upon the Government that they should agree to refer the Bill to the Joint Committee. We should try to protect the interests of all the religions and communities in the country.

Shri Daljit Singh (Una): I welcome the efforts of Shri Amar Singh Saigal. It is in the interests of the country and the community that better arrangements may be made for the administration of Gurdwaras. I am very sorry that some people are using these places of worship for political capital. We should maintain the old traditions of our history and protect the sanctity of the Gurdwaras.

I may also state that people belonging to all communities and sections can come in Gurdwaras. Guruji brought about a renaissance in the caste system of Hindus. Gurdwaras should be used for the purpose for which they are meant for. And for this object the underlying Bill is most opportune. This misunderstanding should be removed that only Sikhs go into the Gurdwaras. They are meant for all.

I am positively of the opinion that it is improper to undertake fasts etc. within the precincts of the Gurdwaras. There is nowhere written in the Sikh scriptures that Gurdwaras may be used for political purposes. We find that several defects have come in the administration of the Gurdwaras. At certain places, there were complaints that the funds are not properly and adequately utilised. Sometimes they are misused. These defects and shortcomings should be eradicated from the body politic of the Gurdwaras and the uniformity should be created. The performance of religious rites in the Gurdwaras should be done with full uniformity.

The funds of the Gurdwaras should be spent for education and the propagation of devotion to the Almighty. With these words I urge that this Bill should be accepted by the Government.

श्री कपूर सिंह (लधियाना) : मुझे इस बात का हर्ष है कि विधेयक के मूल उद्देश्यों से लगभग सभी माननीय सदस्यों में एकमत है। मुख्य बात इसमें यह है कि पंजाब गरूद्वारा अधिनियम को सारे भारत पर लागू कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त यह कि सिख उपासना स्थानों के उत्थान तथा उनके सुप्रबन्ध की दष्टि से प्रशासन की संविहित उपबन्ध करके व्यवस्था करनी चाहिए।

इस बारे में एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं कि हिन्दू और सिखों को एक दूसरे के अधिक निकट लाने के लिए जपजी साहब, गीता और सुखमनी को पढ़ना अनिवार्य किया जाय। सभी हिन्दू और सिख बच्चे इनका अध्ययन क । इससे हिन्दू सिखों के समस्त भेदभाव स्वतः ही दूर हो जायेंगे ।

यह भी कहा गया है कि गुरूद्वारों में राज ीति नहीं चलनी चाहिए। मेरे विचार में कोई भी सिख इस बात को नहीं चाहता। राजनीति को मूल रूप से धर्म से अलग रखा जाना चाहिये, यद्यपि कोई सिख इस बात को नहीं मानेगा कि राजनाति का धर्म के आधारभूत तत्वों और उसके महत्व से अलग कर दिया जाय। फिर भी यह ठीक है कि वे राजनीति के अखाड़े नहीं बनने चाहिएं वैसे हिन्दू धर्मशास्त्रों में भी धर्म में से राजनीति को अलग नहीं माना है ।

यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिख इस दृष्टिकोण को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते कि ऐसी किसी भी राजनीति को जिसे सत्ताधारी लोग पसन्द नहीं करते गुरूद्वारों में नहीं चलानी चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम गुरूद्वारा विधेयक पर बात कर रहे हैं न कि सन्त फतह सिंह के अनशन पर चर्चा कररहे हैं। इस संदर्भ में पंजाबी सूबे की मांग के बारे में उल्लेख करना संगत नहीं है। सन्त फतेह सिंह के अनशन का इस प्रस्तुत विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR SPEAKER *in the Chair*]

आज इस प्रश्न पर हम उसके अपने गुणों और दोषों के आधार पर विचार कर रहे हैं। सिखों के अधिकारों के प्रश्न को इस प्रस्ताव के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए/सिखों की मांगों पर चर्चा करने और उन्हें रद्द अथवा स्वीकार करने का अधिकार इस सभा को प्राप्त है, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस पर चर्चा इस समय नहीं हो सकती। इस प्रस्ताव का सम्बन्ध तो गुरूद्वारों के प्रबन्ध के बारे में है।

पाकिस्तान में जो गुरूद्वारे रह गये हैं, वह भी बड़ा जटिल प्रश्न है। इसमें कई कठिनाइयां हैं। यह भी इतिहास की एक बड़ी मनोरन्जक बात है कि सिखों के सभी धार्मिक केन्द्र एक देश में है और उसे मानने वाले दूसरे देश में चले आने पर बाध्य हैं। इस तरह की स्थिति तो यहूदियों के देश फिलिस्तीन में भी नहीं आई। इस प्रश्न का हल पाकिस्तान के कानूनों के साधन से ही सम्भव है। अतः हमें इस मामले को और जटिल नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान के शासक यह न समझें कि इस मामले को ले कर हम उनकी प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहे हैं।

इन शब्दों से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सपुर्द किया जाये। संयुक्त समिति में सरकार को खुली सुविधायें देनी चाहिएं ताकि इस विधेयक का इसके लक्ष्य के अनुरूप पुन: प्रारूप बनाया जाये। लक्ष्य यही है कि सिख धर्म के सिद्धांतों के अनुसार गुरूद्वारों का प्रबन्ध समुचित ढंग से किया जाये। इस मामले में पीछे क्या व्यवस्था थी, इस बात की कभी उपेक्षा ही करनी चाहिए।

आर्थिक स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. ECONOMIC SITUATION

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने पहले भी संसद् के सम्मुख आर्थिक स्थिति की अर्ध-वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत की है। वार्षिक बजट द्वारा हमें अपनी योजनाओं और नीतियों की नियतकालिक समीक्षा का अवसर मिलता है। फिर भी ऐसे अवसर आ ही जाते हैं जब पैदा होने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक साल की अवधि भी बहुत लम्बी पड़ जाती है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना का सफलतापूर्वक समारम्भ करने का रास्ता साफ करने की आवश्यकता को देखते हुए चालू वर्ष में अर्ध-वार्षिक समीक्षा की आवश्यकता और भी अधिक है। इसी कारण, मैं इस अवसर पर कुछ पूरक प्रस्ताव पेश कर रहा हूं जो वर्तमान आर्थिक स्थिति और चौथी पंचवर्षीय आयोजना की आवश्यकताओं की दृष्टि से बनाये गये हैं।

चालू वर्ष की बजट सम्बन्धी सम्पूर्ण स्थिति क्या हो सकती है यह बताने का प्रयत्न करना समय से कुछ पहले की बात होगी। फिर, भी, कई कारणों से, चालू वर्ष में घाटे की वित-व्यवस्था से बचने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्व में वृद्धि करने के लिए पूरक उपाय करना आवश्यक है। बजट पेश करने के बाद, केन्द्र को अतिरिक्त महंगाई भत्तों की मंजूरी देनी पड़ी जिन के परिणामस्वरूप इस वर्ष लगभग 25 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। राज्यों से इस बात की लगातार अपीलें करने के बावजूद कि वे जमा से ज्यादा रकमें रिजर्व बैंक से न निकालें और अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनायें, कई राज्यों को कुछ अतिरिक्त

सहायता देना अनिवार्य हो गया है और इस के कारण लगभग 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय करना पड़ सकता है। माननीय सदस्य इस बात को भी महसूस करेंगे कि हमारे देश की सीमाओं के अनेक स्थलों पर फिर से संघर्ष शुरू हो जाने के कारण हमें पुलिस तथा सीमावर्ती सुरक्षा के लिए पहले की अनिस्वत भारी रकमों की व्यवस्था करनी पड रही है।

इस बात के भी संकेत हैं कि पूंजी खाते में कई शीर्षकों के अन्तर्गत कम प्राप्तियां होंगी। मुद्रा बाजार में सुस्ती के कारण हमें केन्द्र के ऋण-कार्यक्रम में लगभग 20 करोड़ रुपये की कमी करनी पड़ी है, अर्थात् बजट में इस मद में रखे गये 270 करोड़ रुपये को घटाकर 250 करोड़ रुपया कर दिया गया है। पिछले तीन-चार महीनों में छोटी बचतों (स्माल सेविंग्स) का रुख भी पूरी तरह से सन्तोषजनक नहीं रहा; और यद्यपि आने वाले महीनों में कुछ सुधार की आशा है, फिर भी इस बात की सम्भावना है कि बजट में इस मद में जो 135 करोड़ रुपया रखा गया था उसमें लगभग 10 करोड़ रुपये की कमी हो जाये। वार्षिकी जमायों (एनुइटी डिपाजिट्स) के अन्तर्गत भी लगभग 15 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है।

राजस्व खाते में, सीमा शुल्क (कस्टम्स) के अन्तर्गत हम ने बजट में जो प्राप्तियां दिखलायी थीं, उनमें सम्भवत: कुछ वृद्धि हो जायगी। लेकिन उत्पादन शुल्कों (एक्साइज ड्यटीज) के अन्तर्गत इस प्रकार की वृद्धि की सम्भावना दिखाई नहीं आय-कर और निगम कर (इनकम एण्ड कारपोरेशन टैक्स) के अन्तर्गत प्राप्तियों में अभी तक विशेष वृद्धि नहीं हुई। वर्ष की बाकी अवधि में हम और भी जोरदार प्रयत्नों के द्वारा करों के संग्रह में वृद्धि करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन, सब मिला कर कई मदों पर होने वाले अतिरिक्त खर्च और पूंजी खाते की प्राप्तियों की कमी के प्रभाव को—जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं—दूर करने के लिए भारी अतिरिक्त राजस्व-संग्रह पर निर्भर रहना निरापद न होगा।

जहां तक आयोजना और गैर-आयोजना सम्बन्धी खर्च में किफायत और कमी करने का सवाल है, माननीय सदस्यों को याद होगा कि मेरा प्रयत्न यही रहा है कि साधारणत: बजट में खर्चों को जानबूझ कर बढ़ा-चढ़ा कर न दिखाया जाय। यह भी बहुत जरूरी है कि जो योजनाएं जारी हैं उन्हें पूरा करने के काम में ढील न आने पाये —और राज्यों के क्षेत्र में ऐसी बहुत-सीज योजनाएं हैं —क्योंकि इस से निवेशों से होने वाला लाभ नका २ गा। खर्च में वास्तविक कमी के लिए हर सम्भव प्रयत्न करते हुए भी, भारी पैमाने पर अतिरिक्त साधन जुटाने की आवश्यकता बनी रहेगी।

जब मैंने बजट पेश करते समय देश की आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा की थी- तो उस समय इस बात की पूरी आशा थी कि चालू वर्ष में हम मूल्यों को बढ़ने से रोक सकेंगे : अक्तूबर, 1964 और जनवरी, 1965 के बीच, यानी फसल कटने के फौरन बाद, चावल के मूल्यों में 10 प्रतिशत से भी अधिक की कमी हो गई थी। जनवरी और मई के बीच गेहूं के मूल्यों में भी कमी हो गई। थोक मूल्यों का सूचक अंक, जो जनवरी के शुरू में 161 था मार्च के मध्य तक घटकर 150 रह गया। यह ऐसा अनुभव था जो 1964 की प्रवृत्तियों से— जब फसल के बाद मूल्यों में नहीं के बराबर गिरावट आयी थी—बहुत भिन्न था। दुर्भाग्यवश, चालू राजस्व वर्ष (फिस्कल इयर) के आरम्भ से मूल्यों में फिर से वृद्धि होने लगी है।

24 जुलाई, 1965 को थोक मूल्यों का सूचक अंक 164.8 की नयी ऊंचाई पर पहुंच गया। इस सम्पूर्ण स्थिति के अलावा देश के कई स्थानों में खास-खास अन्नों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। गर्मी के महीनों में मूल्यों का कुछ बढ़ जाना शायद मौसमी बात है। लेकिन इस बात को देखते हुए कि पिछले साल खेती की पैदावार बढ़ने के बावजूद इस साल की मौसमी वृद्धि खासतौर से कम नहीं रही, यह जरूरी हो जाता है कि बजट और मुद्रा विषयक स्थिति के सम्बन्ध में हम हाथ पर हाथ धरे बैठे न रहें।

जैसा कि सभा को मालूम है, रिजर्व बैंक ने अत्यधिक ऋण-निर्माण को रोकने के उद्देश्य से गत फरवरी में ऋण का मूल्य बढ़ाने के लिए कई उपाय किये। इन उपायों के बावजूद, अधिक कामकाज के पिछले मौसम में 407 करोड़ रुपये का ऋण-विस्तार हुआ, जब कि 1963–64 के अधिक कामकाज के मौसम में 376 करोड़ रुपये का ऋण-विस्तार हुआ था जिसे खुद भी बहुत ज्यादा समझा गया था। कम कामकाज के चालू मौसम में अब तक 87 करोड़ रुपये का ऋण-संकोचन हुआ है, जो अधिक कामकाज के पिछले मौसम में हुए ऋण-विस्तार का लगभग 1/5 भाग है। इसके विपरीत, पिछले वर्ष की इसी अवधि में 111 करोड़ रुपये का ऋण-संकोचन हुआ था, जो 1963–64 के अधिक कामकाज के मौसम में हुए ऋण-विस्तार के एक चौथाई और एक तिहाई के बीच का भाग था। माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि जब तक कम कामकाज के मौसम में पर्याप्त ऋण-संकोचन नहीं होगा तब तक बैंकों के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वे रिजर्व बैंक से अत्याधिक सहायता लिये बिना अधिक कामकाज के अगले मौसम में ऋण-विस्तार की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करें। इन्हीं परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि ऋण-निबन्ध (क्रेडिट रेस्ट्रेण्ट) की सामान्य व्यवस्थाओं को पूर्ति के लिए छंटाई के आधार पर तथा प्रत्यक्ष व्यवस्थाएं की जायं और रिजर्व बैंक ने हाल में मूंगफली, गेहूं, कपास, और वनस्पति तेलों के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थाओं की तथा आयात के आधार पर पेशगी जमा कराने की योजना की और सामान्य अग्रिमों (क्लीन ऐडवीसेज) के विनियमन की घोषणा की है। आयात के आधार पर जमा कराने की योजना के बारे में थोड़ी देर बाद मैं और भी कुछ कहूंगा। पर इस समय मैं उन गलतफहमियों में से कुछ को दूर करना चाहता हूं जो सामान्य अग्रिमों की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में पैदा हुई हैं। उदाहरण के लिए, रिजर्व बैंक ने प्रत्येक पार्टी को दिये जाने वाले सामान्य अग्रियों की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है। उसने प्रत्येक बैंक के कुल सामान्य अग्रिमों को सीमित करने का ही प्रयत्न किया है। आगे यह सम्बन्ध बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्तिगत ग्राहक को दिये जाने वाले अग्रिमों का निर्धारण करें। कम काम काज के मौसम में, जब बहुत से ग्राहकों को दिये जाने वाले अग्रिमों में कमी होनी चाहिये, बैंकों को यह जिम्मेदारी निभाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बस इसी दृष्टि से इस व्यवस्था के परिणाम पर विचार किया जाना चाहिये। जैसा कि रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है, अधिक कामकाज के अगले मौसम के प्रारम्भ में स्थिति की फिर से समीक्षा की जायगी। और स्वभावतः इस समीक्षा में कम कामकाज के चालू मौसम की घटनाओं और अधिक कामकाज के अगले मौसम की आवश्यकताओं का भी ख्याल रखा जायगा।

बढ़ती हुई और जटिल अर्थ व्यवस्था में, जैसी कि हमारी है, ऋण-नीति को बहुत से उद्देश्य पूरे करने होते हैं। स्थिरता बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऋण

पर सामान्य नियंत्रण रखने का प्रयत्न करने के साथ-साथ इसका खास-खास बातों पर विशेष प्रभाव पड़ना चाहिये, ताकि सट्टेबाजी को तो निरुत्साहित किया जा सके, पर उत्पादन की गति कम न हो। इस प्रकार का विवेचना-पूर्ण कार्य किसी भी प्रकार सरल नहीं है। पर मुद्रा और ऋण सम्बन्धी सुदृढ़ नीति से तभी काम लिया जा सकता है जब मुद्रा-सम्बन्धी अधिकारियों के प्रयत्न, सरकार के लिए किये गये अत्यधिक ऋण-निर्माण के कारण विफल न हो जायें।

ऋण-नियंत्रण का विषय छोड़ने से पहले मैं बेहिसाबी (अनएकाउण्टेड) धन के प्रश्न की चर्चा करना चाहता हूं। इस प्रकार के धन को स्वेच्छा से प्रकट करने से सम्बन्ध रखने वाले जिन प्रस्तावों की घोषणा मैंने गत फरवरी में की थी उनके परिणामस्वरूप लगभग 50 करोड़ रुपये की सूचना दी गई है जिसमें से 30 करोड़ रुपया कर-प्राप्तियों के रूप में है। साथ ही, जाली हुण्डियो और बेहिसाबी धन के विरुद्ध लगातार चलाये जा रहे अभियान तथा उसके कारण बेहिसाबी धन के छिपा दिये जाने के परिणामस्वरूप मुद्रा-बाजार में तंगी बढ़ गई है। जो लेन-देन पहले बैंकों की सहायता के बगैर किये जाते थे उनमें से काफ़ी लेनदेनों के लिए अब बैंकों को वित्त-व्यवस्था करनी पड़ती है। बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की हाल की वृद्धि का विचार करते हुए इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। पर मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि बेहिसाबी धन का पता लगाने के प्रयत्न में जरा भी ढील नहीं दी जा सकती और प्रत्यक्ष कर लगाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव मैं बाद में रखूंगा उनमें से कुछ का उद्देश्य इस प्रयत्न को सुदृढ़ बनाना है जिसका सामाजिक और आर्थिक महत्व दूरगामी है।

मैंने 17 जुलाई के अपने रेडियो भाषण में विदेशी मुद्रा (फारेन एक्सचेंज) की लगातार तंगी का जिक्र किया था। हमारी प्रारक्षित निधि (रिजर्वस) अब 100 करोड़ रुपये से भी कम के निम्न स्तर पर पहुंच गयी है। आड़े वक्त काम देने की तो बात छोड़िये, यह रकम तो हमारे व्यापार और अदायगियों का मौसमी चढ़ाव झेलने के लिए भी मुश्किल से काफ़ी है। वास्तव में, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी कठिनाइयों का कारण यही है कि जब कि आयात सम्बन्धी दायित्व कई दिशाओं में बढ़ गये हैं, चालू आयोजना के पहले तीन वर्षों में निर्यात में जो वृद्धियां हुई थी वह उसके बाद कायम नहीं रह सकी। शोधन-शुल्क संतुलन (बैलेंस आफ पेमेन्ट्स) के आंकड़ों के अनुसार, 1964–65 में 803 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, अर्थात् लगभग उतना ही जितना 1963–64 में हुआ था। अप्रैल-जून 1965 में जहाजों द्वारा 185 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जो अप्रैल-जून 1964 के 196 करोड़ रुपये की तुलना में कम है।

हमारी विदेशी भुगतान सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने पहले ही जो अनेक उपाय किये हैं उनका विस्तृत विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। किये गये उपायों में ये शामिल हैं––आयात में कटौतियां, आयात के लिए अन्तर देकर की जाने वाली अदायगियां (स्टेगरिंग आफ इम्पोर्ट पेमेन्ट्स), कुछ परिवर्तनों के साथ निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को जारी रखना और निर्यात––मदों के सम्बन्ध में कर-जमा-योजना की घोषणा। पिछले तीन या चार सप्ताहों में हमारी प्रारक्षित निधि पर पड़ने वाले दबाव में कुछ कमी हुई है। उदाहरण के लिए 13 अगस्त को, सोने को छोड़कर, विदेशी मुद्रा की हमारी कुल प्रारक्षित निधि 99 करोड़ रुपया थी, अर्थात 16 जुलाई को जो 96 करोड़ रुपया थी उससे कुछ अधिक। साधारणतः अक्टूबर के बाद निर्यात सम्बन्धी प्राप्तियों में मौसमी वृद्धि होनी चाहिए; और यदि हमें वह सारा निर्यात करने के अपने प्रयत्नों में सफलता मिली, जो किया जा सकता है, तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि चालू राजस्व वर्ष में प्रारक्षित निधि में और कमी नहीं होगी। फिर भी, हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति के सम्बन्ध में हाथ पर हाथ

धरे बैठे रहने की गुंजाइश नहीं है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, हमारी प्रारक्षित निधि पहले ही, चिन्तनीय रूप से, बहुत नीचे स्तर पर है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमने जो उपाय किये हैं उनका स्वरूप आवश्यक रूप से प्रतिबन्धात्मक रहा है और यह बात साफ दिखायी दे रही है कि यदि आयात पर लगाये गये वर्तमान प्रतिबन्ध, जो बहुत ही कठोर हैं, बहुत दिनों तक जारी रहे, तो उससे अर्थ-व्यवस्था के विकास पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हम आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों को अधिकतम सीमा तक नरम करने का प्रयत्न करेंगे और इस प्रयत्न के समर्थन में हम मित्र देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना चाहेंगे। फिर भी, आगे चलकर हमें निर्यात सम्बन्धी अपनी आमदनी में लगातार और भारी वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि हम उचित रूप से उदार आयात नीति का अवलम्बन कर सक और साथ ही ऋणों की अदायगी के बढ़ते हुए भार को भी संभाल सके। लेकिन निर्यात के क्षेत्र में निरन्तर गतिशीलता तभी आ सकती है जब देश के अन्दर मूल्यों में स्थिरता रहे।

संक्षप में यह कहा जा सकता है कि मूल्यों सम्बन्धी मौजूदा स्थिति, शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमेंट) सम्बन्धी हमारी कठिनाइयों, मुद्रा बाजार की स्थिति और सरकार के बजट सम्बन्धी क्रियाकलापों की नयी प्रवृत्तियों के कारण चालू वर्ष में साधनों को जुटाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करना जरूरी हो गया है। इसके साथ-साथ यह जरूरी है कि हम इस समय जो भी कदम उठायें वे अर्थ-व्यवस्था के दीर्घकालीन हितों के अनुकूल हों। खास तौर से, वे हमारी नीतियों के सामान्य ढांचे के अंग होने चाहिएं जिनका उद्देश्य निर्यात में वृद्धि करने पर बल देकर और लोगों को विदेशों से माल प्राप्त करने के स्थान परउस माल की जगह काम में लायी जा सकने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन देकर अर्थ-व्यवस्था में निवश और उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है।

चौथी पंचवर्षीय आयोजना के मसविदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उसे राष्ट्रीय विकास परिषद की मंजूरी के लिए पेश कर दिया जायेगा। इसलिए आयोजना का पूरा ब्योरा, इस सभा को शायद अगले सत्र में ही उपलब्ध हो सकेगा। इस बीच योजना आयोग ने अस्थायी रूप से यह सिफारिश की है कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना पर 21,500 करोड़ रुपये का परिव्यय होना चाहिए जिसमें से 19,000 करोड़ रुपया निवेश के रूप में होगा और 2,500 करोड़ रुपया चालू खर्च के रूप में। सरकारी क्षेत्र में 14,500 करोड़ रुपये के परिव्यय और गैर-सरकारी क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की योजना बनायी गयी है। इसके साथ ही प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक वर्ष आयोजना को अमल में लाने का वास्तविक काम इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि मुद्राबाहुल्यकारी वित्त-व्यवस्था (इन्फ्लेशनरी फाइनेंसिंग) से पूरी तरह बचा जाये। यह बात भी स्पष्ट है कि यदि अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति को यथोचित रूप से सन्तोषजनक स्तर पर बनाये रखना है तो अगली आयोजना की अवधि में 3,000 करोड़ रुपये या उससे कुछ अधिक के अतिरिक्त अन्दरूनी साधन जुटाने पड़ेंगे।

अन्ततोगत्वा, हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि निवेश की गति को केवल निवेश के लिए ही बढ़ाया जाये, बल्कि यह है कि हमारी जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए और आत्म-निर्भरतापूर्ण विकास के लक्ष्य की ओर सन्तोषजनक प्रगति करने के लिए अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति में वृद्धि की जाय। इस दृष्टि से, आयोजना का स्वरूप और पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले हमारे प्रयत्न, आयोजना के आकार से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी दृष्टि से, इस समय इस बात का बड़ा महत्व है कि कृषि को उच्च प्राथमिकता

दी जाय और परिवार-नियोजन को बढ़ावा देने के हमारे प्रयत्नों को और भी जोरदार बनाया जाये ताकि हमारी आ ोजनाओं की सफलताएं, जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि से सीमित न हो जायें। जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, आगामी वर्षों में हमें अनिवार्य रूप से, कृषि सम्बन्धी कार्यों को और ऐसे साजसामान और सामग्री के उत्पादन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी जिससे मौजूदा क्षमता का उपयोग पहले से अधिक किया जा सके और हमारे शोधन-सन्तुलन में सुधार हो सके।

चौथी पंचवर्षीय आयोजना के कार्यक्रमों के बारे में अभी ही विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा चुका है और कृषि, बिजली, रासायनिक खाद, सीमेंट, इस्पात, चीनी और दूसरे बुनियादी उद्योगों जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किये जा चुके हैं। अब तक किये गये अध्ययन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यह बात सम्भव भी है और बहुत जरूरी भी कि कई अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के लिए, जहां तक हो सके, देश के अन्दर बनी मशीनों और सामान का उपयोग किया जाये। पहली तीन आयोजनाओं की अवधि में भारतीय उद्योगों ने बहुत तेजी से प्रगति की है और अब ये ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि आवश्यक प्रोत्साहन देने और उपयुक्त दिशाओं में मिलकर प्रयत्न करने पर ये निर्यात के क्षेत्र में और आयात की जाने वाली वस्तुओं की जगह काम आ सकने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण करने में काफी सहायता पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम साधन जुटाने के जो अतिरिक्त प्रयत्न इस समय करें उनसे कई उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। इन उपायों से, मुद्रा-बाहुल्य के बिना, विकास के लिए न केवल साधन जुटाने के लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिए बल्कि ये उपाय आयोजना के मुख्य लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप भी होने चाहिएं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हम कृषि पर और सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने पर जो बल देना चाहते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए ही ये उपाय किये जाने चाहिए। यह भी जरूरी है कि उनसे, देश के अन्दर मशीनों और वस्तुओं के उत्पादन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिये जाने के सबसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति भी हो। आज मैं जिन उपायों की घोषणा करना चाहता हूं उनका रूप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।

उन उपायों की चर्चा करने से पहले, जो मैं सभा के सामने पेश करना चाहता हूं, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि देश में आन्तरिक वित्तीय स्थिरता को लाने और बनाये रखने की पूरी जिम्मेदारी अकेले केन्द्रीय सरकार नहीं उठा सकती। हमारी संघीय प्रणाली में, राज्य सरकारों को भी, साधन जुटाने और खर्च में अधिक से अधिक किफायत करने की मुनासिब जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ताकि वे अपने बजटों को सन्तुलित कर सकें।

अब मैं अपने पूरक बजट प्रस्तावों की चर्चा करूंगा। मेरे प्रस्तावों का सम्बन्ध मुख्यतः आयात-शुल्कों में किये जाने वाले परिवर्तनों से है। हमारी आयात-शुल्क सूची में पिछले कई दशकों में जहां-तहां संशोधन किये गये हैं और अब हमारे आयोजित विकास की आवश्यकताओं के साथ इसका मेल नहीं बैठता। न केवल दरों के ढांचे के साथ आयात-प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन) की आवश्यकताओं की संगति नहीं बैठती, बल्कि इसमें स्थिति-विशेष का सामना करने के लिए समय-समय पर दी गयी प्रशासनिक छूटें और दरों में किये गये परिवर्तन शामिल हैं जिनसे अब बहुत सी असंगतियां पैदा हो जाती हैं। तीन पंचवर्षीय आयोजनाओं की अवधि में हमारे औद्योगिक ढांचे में हुए भारी विकास को और इस विकास की गति को तेज करने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आयात-शुल्क सूची को नये सिरे से तैयार करने का विचार है, ताकि उससे पहले की अपेक्षा अधिक आमदनी होने लगे और उसमें वैज्ञानिक संगति आ जाये।

प्रस्तावित शुल्क-सूची का ढांचा मोटे तौर पर इस प्रकार है :

मशीनों की सामान्य सांविधिक दर 40 प्रतिशत होगी, लेकिन आयात शुल्क की प्रभावी दर कुछ समय के लिए 35 प्रतिशत रहेगी। किन्तु कृषि के काम आने वाली कुछ मशीनों और उपकरणों पर 15 प्रतिशत की दर से आयात-शुल्क लगेगा। बुनियादी प्रौद्योगिक कच्चे माल, जैसे आरम्भिक इस्पात (प्राइम स्टील) और अलौह धातुओं (नान-फेरेस मेटल्स) के आयात-शुल्क की दर 40 प्रतिशत होगी। अधिकांश साधित (प्रोसेस्ड) औद्योगिक माल पर 60 प्रतिशत की दर से आयात शुल्क लगेगा। उपभोक्ता वस्तुओं पर आम तौर पर 100 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा, हालांकि आजकल कुछ ऊंचे लाभ वाली जिन चीज़ों, जैसे सुपारी और शराब, के आयात शुल्क की दर ऊंची है, उन पर उसी दर से आयात शुल्क लगता रहेगा। संरक्षण (प्रोटेक्टिव) दरें जारी रहेंगी, लेकिन मैंने जिस ढांचे का उल्लेख किया है, उसके अनुरूप जहां ठीक समझा गया है उन दरों में मुनासिब वृद्धि कर दी गयी है। शुल्क-दर और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (जी० ए० टी० टी०) के दायित्वों का पालन किया जा रहा है, लेकिन हमारा विचार है कि उपयुक्त मामलों में छूट प्राप्त करने के लिये सम्बद्ध देशों से बातचीत की जाय, ताकि शुल्क-दरों की सूची को वैज्ञानिक संगति दी जा सके।

प्राय: इस बात की शिकायत की जाती रही है कि प्रायोजनाओं के लिए आवश्यक साजसामान की प्रत्येक मद का उपयुक्त दरों पर अत्यन्त सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने के परिणामस्वरूप प्रायोजनाओं के साज-सामान के आयात में बड़ी बाधा पड़ती है। उद्योगों, बिजली, खान-खुदाई और खनिजों या तेल की खोज के क्षेत्रों में नयी प्रायोजनाओं की प्रारम्भिक स्थापना या मौजूदा प्रायोजनाओं का पर्याप्त विस्तार करने के लिए आवश्यक साज-सामान के आयात के सम्बन्ध में मैं शुल्क-सूची में एक नयी मद शामिल करना चाहता हूं। इस मद के अन्तर्गत, किसी प्रायोजना के लिए न केवल पूरा साज-सामान, बल्कि किसी प्रायोजना के लिए भारत में साज-सामान बनाने के विशिष्ट उद्देश्य से आयात किये जाने वाले कच्चे माल और मशीनों के हिस्सों का, और प्रायोजना को चलाते रहने के लिए जरूरी फालतू कल पुर्जों के प्रारम्भिक भण्डार और अन्य सामान का आयात भी किया जा सकता है। सीमा-शुल्क अधिकारियों के पास आर्डरों को पहले से दर्ज कराना पड़ेगा और उनका तत्काल अस्थायी मूल्यांकन कर लिया जायगा जिससे सामान के पहुंचने पर उसकी अलग-अलग खेपों (लाट) का विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता को यथासंभव अधिक से अधिक सीमा तक दूर किया जा सकेगा। इस मद के अन्तर्गत आयात किये गये साज-सामान पर, सामान्य मशीनों पर लगने वाले आयात शुल्क की दर से शुल्क लगेगा और मुझे विश्वास है कि प्रशासनिक सुधार से, इस प्रकार के साज-सामान के आयात में सुविधा हो जायगी और इन प्रायोजनाओं के लिए आवश्यक साज-सामान का भारत में अधिक से अधिक निर्माण करने को भी कुछ प्रोत्साहन मिलेगा।

मौजूदा शुल्क सूची में, दरों में की गयी बहुत सी प्रशासनिक कमियां और छूटें शामिल हैं, जो प्राय: ऐतिहासिक अवशेष के रूप में विद्यमान हैं। जहां संभव है, वहां इन्हें हटाया जा रहा है, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां इनका अभी विशेष औचित्य है, उदाहरण के रूप में तैयार (फिनिश्ड) वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल के मामले में, जिनके शुल्क की दरें शुल्क-दर और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत निर्धारित हैं। यदि हमें आयात-प्रतिस्थापन को बड़े

पैमाने पर बढ़ावा देना है, तो आयात की जाने वाली तैयार वस्तुओं पर आयात शुल्क की संशोधित दरें लागू करनी होंगी, भले ही उन वस्तुओं की आवश्यकता उच्च-प्राथमिकता-प्राप्त प्रयोजन के लिए हो।

दरों के ढांचे को काफी सरल बना देने से, मूल्यांकन पर लगने वाले समय की बचत होगी और विवादग्रस्त मामलों की संख्या भी कम होगी। मुझे विश्वास है कि इस सरलीकरण से उद्योगों को अपने उत्पादन की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

दरों के सामान्य ढांचे में, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, मैंने जो अपवाद रहने दिये हैं उन में से मैं कुछ का ज़िक्र करना चाहूंगा। पुस्तकों, रासायनिक खाद और गर्भ-निरोधक वस्तुओं का आयात बिना किसी शुल्क के किया जाता रहेगा। गंधक पर, जिस पर 10 प्रतिशत शुल्क लगता था, अब शुल्क नहीं लगेगा। कुछ अत्यावश्यक दवाओं, शिशु-खाद्य (बेबी फूड), दूध के पाउडर और अखबारी कागज़ पर लगने वाले शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

बुनियादी दरों में किये जाने वाले इन संशोधनों के साथ-साथ देय, शुल्क की रकम पर 10 प्रतिशत की दर से लगने वाला अधिभार समाप्त किया जा रहा है। यह भी सरलीकरण की दिशा में उठाया गया एक कदम है। लेकिन 10 प्रतिशत की दर से लगने वाले नियामक (रेगुलेटरी) शुल्क को कायम रखा जा रहा है। आयात-शुल्कों में किये जा रहे व्यापक परिवर्तनों को देखते हुए अब आयात-सम्बन्धी अग्रिम जमा योजना को जारी रखना आवश्यक नहीं है। यह योजना एक अस्थायी उपाय के रूप में इसलिए शुरू की गयी थी कि सारा आयात एक साथ न किया जाकर थोड़ा थोड़ा करके किया जाय। इसलिए रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में एक घोषणा कर रहा है।

आयात शुल्कों में किये जाने वाले परिवर्तनों से, अधिभार को हटा देने के परिणामस्वरूप राजस्व में होने वाली कमी और अतिरिक्त वापसियों रिफन्ड्स एण्ड (ड्राबैक्स) की व्यवस्था करने के बावजूद, पूरे एक वर्ष में 119 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ उत्पादन-शुल्कों में वृद्धि करना चाहता हूं। पैट्रोलियम से बनी वस्तुओं में, तेज रफ्तार वाले डीजल तेल (हाई स्पीड डीजल आयल) पर लगने वाले शुल्क की 429 रुपया प्रति किलोलिटर की मौजूदा दर में 60 रुपये की और मोटर स्पिरिट की 451 रुपया प्रति किलोलिटर की मौजूदा दर में लगभग 50 रुपये की वृद्धि करने का विचार है। घटिया किस्म के मिट्टी के तेल के शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल के शुल्क में 52 रुपया प्रति किलोलिटर की वृद्धि की जायगी। सभा यह बात महसूस करेगी कि तेज रफ्तार वाले डीजल तेल के शुल्क में वृद्धि करना तब तक व्यावहारिक नहीं है जब तक बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल के शुल्क में भी उतनी ही वृद्धि न की जाय, जिससे कि बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल को परिवहन के काम में लाने से रोका जा सके। कोयले की प्रचुर सप्लाई को देखते हुए, भट्ठी के तेल (फनस आयल) के शुल्क में लगभग 40 रुपया प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि की जा रही है। दूसरी ओर, हलके डीजल तेल के शुल्क में लगभग 125 रुपया प्रति मेट्रिक टन की कमी की जा रही है ताकि उठाऊ सिंचाई (लिफ्ट इरिगेशन) और कृषि-कार्यों के लिए डीजल इंजनों के उपयोग को बढ़ावा मिले। पैट्रोलियम से बनी वस्तुओं के शुल्क में वृद्धि करने से, उत्पादन शुल्कों और प्रतिसन्तुलनकारी आयात शुल्कों से पूरे वर्ष में 30.84 करोड़ रुपय की अतिरिक्त आमदनी होगी।

मेरा विचार इस्पात और ढले लोहे और उनसे बनी वस्तुओं के मौजूदा शुल्कों में भी प्रति मेट्रिक टन 10 से 50 रुपये तक की वृद्धि करने का है। इन उत्पादन-शुल्कों और प्रतिसन्तुलनकारी आयात शुल्कों से पूरे वर्ष में 14.38 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। मेरा विचार,

अनपिटे (अनराट) सीसे और जस्ते पर 500 रुपया प्रति मेट्रिक टन के नये उत्पादन शुल्क लगाने का है और जस्ते से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में समुचित समायोजन किये जा रहे हैं। तांबे के डलों और तांबे से बनी वस्तुओं के शुल्क में 500 रुपया प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि की जायेगी। अलौह धातुओं पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों और प्रतिसन्तुलनकारी आयात-शुल्कों से पूरे वर्ष में 9.50 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। इस प्रकार, अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों से पूरे एक वर्ष में, प्रतिसन्तुलनकारी सीमा-शुल्कों से होने वाली 12 करोड़ रुपये की आमदनी सहित, 54 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान है जिसमें से राज्यों के हिस्से में लगभग 6 करोड़ रुपया आयगा।

इस प्रकार, सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क दोनों से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त राजस्व राज्यों के हिस्से को छोड़कर, पूरे वर्ष में 167 करोड़ रुपया और चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में 100 करोड़ रुपये से कुछ अधिक होगा।

इन अतिरिक्त शुल्कों के काफी बड़े भाग का भार सरकार और सरकारी क्षेत्र के कारखानों पर पड़ेगा। मेरा इरादा है कि जहां तक सम्भव हो, खर्च में कमी कर के लागत में होने वाली वृद्धि को बराबर कर दिया जाय।

मुझे आशा है कि मशीनों और साज-सामान पर जो अतिरिक्त आयात-शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है उससे मशीनी उद्योगों के पहले से अधिक उत्पादन द्वारा आयात-प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सबस्टिट्यूशन) को बढ़ावा मिलेगा। देशी साजसामान के अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहन बनाये रखते हुए मशीनों की लागत की वृद्धि को अंशतः प्रतिसन्तुलित करने के उद्देश्य से, प्राथमिकता-प्राप्त कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में विकास छूट की दर को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत कर देने का मेरा प्रस्ताव है। खानों से कोयला निकालने के उद्योग को प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची में जोड़ा जा रहा है। अन्य सब उद्योगों के सम्बन्ध में मेरा यह प्रस्ताव है कि 20 प्रतिशत की सामान्य दर को लागू करने की अवधि तीन साल, अर्थात 31 मार्च, 1970 तक बढ़ा दी जाय जिसके बाद 15 प्रतिशत की निचली सामान्य दर लागू होगी। इसी तरह, इस उद्देश्य से कि गैर-सरकारी क्षेत्र में प्राथमिकता-प्राप्त चालू योजनाओं को क्रियान्वित करने में विलम्ब न हो, यह प्रस्ताव है कि उपयुक्त मामलों में वित्तीय संस्थाओं की मार्फत अतिरिक्त सहायता दी जाय।

माननीय सदस्यों को यह भी याद होगा कि कृषि की उच्च प्राथमिकता को देखते हुए मैंने खेती की मशीनों के लिए आयात-शुल्क की 15 प्रतिशत की निचली दर रखने और हलके डीजल तेल के उत्पादन-शुल्क को घटाने का प्रस्ताव रखा है। इसी कारण, मेरा यह प्रस्ताव भी है कि 10 अश्व-शक्ति (हार्स पावर) या इससे कम अश्व-शक्ति वाले उन स्थिर (स्टेशनरी) डीजल इंजनों का वर्तमान उत्पादन-शुल्क हटा दिया जाय जिनका उपयोग साधारणतः कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है और खेती के काम के लिए इस प्रकार के इंजन खरीदने वालों को राज-सहायता देने के लिए छोटी सी रकम की व्यवस्था भी की जाय।

सभा को मालूम होगा कि सरकार ने उन वस्तुओं की, जिनके लिए निर्यात की आमदनी के आधार पर कर-जमा-पत्र दिये जायेंगे तथा लागू की जाने वाली दरों की घोषणा कर दी है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि निर्यातक के लिए कर-जमा-पत्र प्राप्त करने के लिए 12 महीने तक प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं होना चाहिए ; अतः मेरा प्रस्ताव है कि प्रतीक्षा की इस अवधि को समाप्त कर दिया जाय।

वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम, मृत्त सम्पत्ति शुल्क अधिनियम, सम्पत्ति कर अधिनियम, दान कर अधिनियम, और समवाय (लाभ) अतिकर अधिनियम के संशोधन भी शामिल हैं। इन में से अधिकतर संशोधन उस घोषणा के अनुसरण में है जो मैंने वित्त विधेयक, 1965 को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए की थी। संक्षेप में, इन संशोधनों के फलस्वरूप भारत में नये स्थापित किये गये औद्योगिक उपक्रमों को दी जाने वाली पांच वर्ष की कर-छुट्टी (टैक्स होलीडे) की वर्तमान रियायत 1 अप्रैल, 1966 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि में किसी भी समय उत्पादन शुरू करने वाले उपक्रमों को भी दी जायगी; डाकघर की बढ़ने वाली मीयादी जमा पर व्यक्तियों द्वारा प्राप्त बोनस कर से मुक्त हो जायगा; हाल ही में जारी किये गये राष्ट्रीय बचत पत्र (प्रथम निर्गम) को भुनाने पर व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ब्याज पर रियायती दर से कर लिया जायगा; और इन बचत पत्रों के ब्याज की अदायगी, उसमें से उसी समय कर की रकम काटे बिना, की जायगी। विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि हाल में जारी किये गये 7 प्रतिशत ब्याज वाले स्वर्ण बाण्ड, 1980 को सम्पत्ति कर से और इन बाण्डों के हस्तान्तरण से होने वाले पूंजीगत लाभ को आयकर से मुक्त किया जाय और कुछ मामलों में इन बाण्डों के ब्याज की अदायगी, उन प्रणालियों और शर्तों के अनुसार, जो $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले स्वर्ण बाण्ड, 1977 पर पहले से ही लागू हैं, ब्याज में से उसी समय कर की रकम काटे बिना, की जा सके। कुछ परिस्थितियों में, नकदी के रूप में वार्षिकी जमा की फालतू रकम की वापसी करने का अधिकार प्राप्त करने का भी विचार है।

लद्दाख के आर्थिक पुनःस्थापन के कार्य को सरल बनाने के उद्देश्य से मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को लद्दाख के भीतर और भारत से बाहर के स्रोतों से होने वाली आय को 1969-70 के कर-निर्धारण वर्ष तक और उस वर्ष के दौरान कर से मुक्त किया जाय। यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्तियों के बकाया कर की रकम 1962-63 से पहले के कर-निर्धारण वर्षों के लिए बट्टे खाते डाल दी जाय। ऐसे बकाया कर की रकम लगभग 40,000 रुपया है।

इन अधिनियमों में जो अन्य संशोधन करने के प्रस्ताव हैं उनमें से मैं इन संशोधनों का ही उल्लेख करूंगा—पेंशनों के राशीकृत मूल्य को आय-कर से मुक्त करने की व्यवस्था वकील परिषदों (बार कौंसिल) जैसी व्यावसायिक संस्थाओं (प्रोफेशनल असोसियेशन) द्वारा प्राप्त नामांकन-फीस (एनरोलमेण्ट फी) और चंदे की आयकर से मुक्ति सम्पत्ति को ऐच्छिक रूप से प्रकट करने के मामलों में सम्पत्ति-कर अधिनियम के अधीन किये जा सकने वाले न्यूनतम जुर्माने को हटा देने या कम करने की आयकर-आयुक्त (इनकम टैक्स कमिश्नर) को अधिकार और ऐसे मामलों में मुकदमा चलाये जाने की छूट; सम्पत्ति-कर अधिनियम और दानकर अधिनियम के अधीन कर की विलम्बित अदायगी पर लिये जाने वाले तथा विलम्बित वापसियों पर सरकार द्वारा दिये जाने वाले सरल ब्याज की दर को बढ़ा कर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत कर दिया जाना और अतिकर के सम्बन्ध में आय के दोहरे कराधान से बचने के उद्देश्य से विदेशों की सरकारों से करार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान करने का उपबन्ध। परोपकार के लिए किये जाने वाले दान पर आयकर की छूट दी जाती है। हाल में एक उच्च न्यायालय ने यह मत प्रकट किया है कि परोपकार के प्रयोजन में धार्मिक प्रयोजन भी शामिल रह सकता है। पर यह इस उपबन्ध के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। इसलिये यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि परोपकार के प्रयोजन में वह प्रयोजन शामिल नहीं होगा जिसका स्वरूप पूर्णतः या मुख्यतः धार्मिक हो। इस संशोधन का प्रभाव उन दोनों पर पड़ेगा जो 1-4-1964 को या उसके

बाद किये जायं। दानकर अधिनियम और मृत-सम्पत्ति-शुल्क अधिनियम में भी इसी प्रकार के संशोधन करने का विचार है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मन्दिरों, मसजिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों आदि को दिये गये दानों या उपहारों के सम्बन्ध में आयकर की छूट और दानकर से मुक्ति के लिए आयकर अधिनियम और दानकर अधिनियम में स्वतन्त्र उपबन्ध हैं। प्रस्तावित संशोधनों द्वारा ये उपबन्ध बदले नहीं जा रहे हैं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि वित्त विधेयक, 1965 के अधीनऐच्छिक प्रकटीकरण योजना (वालंटरी डिसक्लोजर स्कीम) के बारे में, जो 31 मई, 1965 तक की तीन महीने की अवधि में लागू थी, इस सभा में यह सुझाव दिया गया था कि कर अदा करने की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिये। इस योजना का ढांचा कुछ इस प्रकार का था कि इस सुझाव को थोड़ी सी हद तक ही पूरा किया जा सकता था। अब, बेहिसाबी आमदनी को अपनी इच्छा से बताने की एक नयी योजना जारी करने का मेरा प्रस्ताव है, जो आज से लेकर 31 मार्च, 1966 तक जारी रहेगी। इस योजना की एक मुख्य विशेषता यह है कि प्रकट की गयी सारी आमदनी पर कर, उस आमदनी की एक ही खण्ड (ब्लाक) समझते हुए, वित्त विधेयक, 1965 में व्यक्तिगत आमदनी या निगम आमदनी (कारपोरेट इनकम) के लिए निर्धारित दरों के अनुसार लिया जायगा, तदर्थ रियायती दरों के हिसाब से नहीं इसके अलावा कर की अदायगी उपयुक्त किस्तों में अधिक से अधिक चार वर्षों की अवधि के अन्दर किये जाने की सुविधा दी जायगी, लेकिन देय कर की रकम के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर की रकम की नकद अदायगी करनी पड़ेगी और बाकी रकम के लिए जमानत देनी होगी। लेकिन जिस आमदनी का पता, अपनी इच्छा से बताने की तरीख से पहले उपलब्ध सामग्री के आधार पर लग जायगा, उस पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम के सामान्य उपबन्धों के अनुसार किया जायगा, इस योजना के अधीन नहीं। किसी व्यक्ति द्वारा इस योजना के अन्तर्गत की गई घोषणा में इस प्रकार की आमदनी के बारे में की गई स्वीकृति का उपयोग उस व्यक्ति के विरुद्ध, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उस आय पर लगने वाले कर का निर्धारण किये जाने के लिए नहीं किया जायगा। इस योजना के अधीन भी, प्रकट की गई आमदनी को कर-निर्धारण के लिए फिर से हिसाब में नहीं लिया जायगा। प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम-पता प्रकट नहीं किया जायगा और प्रकट की गयी आमदनी को पहले छिपाये रखने के कारण, उस व्यक्ति पर न जुर्माना किया जायगा और न मुकदमा चलाया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव रखे हैं वे अनुपूरक बजट के लिए बहुत अधिक हैं। लेकिन परिस्थितियों की मांग इससे कम से पूरी नहीं होती। हमारी मौजूदा जरूरतें, चौथी आयोजना की मांगें और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तरोत्तर बढ़ रहा खतरा, ये सब चीजें मिल कर एक ऐसी चुनौती दे रही हैं जिसका पूरी तरह से और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करना जरूरी है। मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि मुझे इस प्रकार के प्रस्ताव रखने में सफलता मिली है जिनसे हमारे कर-ढांचे को वैज्ञानिक संगति देने की दिशा में प्रगति होगी और इसके साथ साथ, अर्थ-व्यवस्था को गतिशील और सुदृढ़ बनाये रखने के लिए राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की सर्वोच्च आवश्यकता की भी पूर्ति हो सकेगी।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : क्या ये प्रस्तपनियें अनुपूरक बजट के रूप में सभा के समक्ष आ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : अन्य कार्य को आरम्भ करने से पहले इस विषय को समाप्त कर लेना चाहिये ।

वित (संख्या 2) विधेयक, 1965

FINANCE (No. 2) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कतिपय विधियों में आगे संशोधन करने वाले, स्वेच्छा से आय प्रकट करने, भारत में आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने अथवा उससे रूपभेद करने और कुछ ऐसी वस्तुओं पर जिनका भारत में उत्पादन अथवा निर्माण किया जाता है, उन्पादन शुल्क बढ़ाने अथवा उसमें रूपभेद करने और उत्पादन शुल्क लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री रंगा (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व की आप इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करें, मैं सदन के नेता और वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई प्रक्रिया है, जहां कि केवल वित्त मंत्री बिना सूचना दिये ही वक्तव्य दे, और देश के समक्ष अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर दे। बड़ा गम्भीर मामला है। सामान्यता यही समझा जाता है कि बजट प्रस्थापनायें ही अन्तिम रूप में वर्ष का चित्र होती है। मेरे विचार में यह प्रक्रिया बड़ी अलोकतंत्रीय है। इन कराधानों का बहुत महत्व है और इसका प्रभाव बड़ी दूर तक चलता है। इस पर विचार करने के लिए सदन को पूर्व सूचना मिलनी चाहिये थी ।

प्रथम दृष्टि से देखने पर लगता है कि ये प्रस्थापनायें बड़ी खतरनाक हैं। और इस बात की प्रतीक हैं कि देश पर बड़ी गम्भीर स्थिति चल रही है । ये जो नये कर लगाये जायेंगे उससे देश के सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री स्वयं ही देश में एक विकट संकट पैदा करने जा रहे हैं। इस विधेयक को लाया जाना यही प्रकट करता है। सत्य तो यह है कि इस स्थिति को देखते हुए इस सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिये था। इन लोगों के नेतृत्व में देश पूरे दिवालिये पने की स्थिति को पहुंच गया है ।

श्री बड़े (खारगोन) : देश में कीमतें भीषण रूप से बढ़ रही है। हमारा विचार था कि सरकार उनका उपाय करने की दिशा में कुछ करेगी। परन्तु यह जान कर आश्चर्य और खेद हुआ कि और कर लगाये जा रहे हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि बिना पूर्व सूचना दिये मंत्री महोदय विधेयक पुरःस्थापित नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार का कोई नियम है कि वक्तव्य दे कर विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : कोई धन विधेयक तथा वित्त विधेयक इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। नियम को हटा कर ऐसा हो सकता है।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं इस बात की अपील करना चाहता हूं कि नियमों की पालना की जाए, और विधेयक प्रस्तुत करने के लिए समुचित नोटिस दिया जाए। मंत्री महोदय को विधेयक का पुरःस्थापन करने से पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि नियम को हटा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह कह कर अनुमति मांगी गयी थी कि गोपनीय विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, इसको प्रकट नहीं किया जायेगा, क्योंकि इससे सट्टा चलने लगेगा। इस दृष्टि से इसे गोपनीय विधेयक कहा जा सकता है। हमारा कार्य संचालन सम्बन्धी अध्यक्ष के निदेश संख्या 19(ख) में कहा गया है :—

> "कोई विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से, जब कि विधेयक को पुरः-स्थापित किये जाने का विचार हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की गई हो।"
>
> "परन्तु विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और ऐसे गुप्त विधेयक, जो कार्य सूची में नहीं रखे जाते, सदस्यों को पहले प्रतियां बांटे बिना ही पुरःस्थापित किये जा सकेंगे।"

तो इस तरह की व्यवस्था है। इसी के अन्तर्गत मेरे पास निवेदन किया गया था।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : क्या यह सुझाव नहीं था कि विधेयक को ही प्रस्तुत कर दिया जाता है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरा निवेदन यह है कि वार्षिक बजट और इस वर्तमान वक्तव्य में भारी अन्तर है। कुछ हालतों में मामलों को किसी सीमा तक गोपनीय रखना होता है। यह मामला उसी तरह ही का था। यह सम्भव नहीं था कि इसका तुरन्त नोटिस दिया जा सकता। ऐसा किया जाता तो बहुत मात्रा में राजस्व की हानि उठानी पड़ती। और इससे काफी सट्टेबाजी की हलचल भी हो उठती।

इन प्रस्थापनाओं का जो औचित्य है, इसका स्पष्टीकरण किया जा चुका है। इस संकट का मुकाबला करने की सरकार में पूरी शक्ति है। वैसे समय-समय पर ऐसे संकटों का मुकाबला करना ही पड़ता है और इसके उपचार करने की दिशा में कार्यवाही करनी ही पड़ती है। अपनी अर्थ व्यवस्था को ठोस आधार पर लाने के लिए जो भी अपेक्षित होगा वह हम करेंगे।

मैंने 35 मिनट के अपने भाषण में इस विधेयक के औचित्य के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया है, अब मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता।

श्री रंगा : आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। आपने ऐसा विधेयक प्रस्तुत करते हुए अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुनी। आज इसी कारण ही देश में भ्रष्टाचार की वृद्धि दिखाई देती है। हमें अपना घर ठीक करना है। हमें अपने नेतृत्व को न देख कर राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि अब मैंने इसकी अनुमति दे दी है अतः जो माननीय सदस्य इसका विरोध करना चाहें, कर सकते हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रंगा : मैं अब इस बारे में विस्तार से क्या कह सकता हूं । आप इतने कर लगा रहे हैं, लाखों, करोड़ों रुपयों का मामला है । आर्थिक तौर पर दीवालिया हो रहे हैं, फिर भी यह विधेयक आ रहा है । एक बजट हम प्रस्तुत कर चुके हैं, और एक अब आ रहा है । मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कतिपय विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले, स्वेच्छा से आय प्रकट करने, भारत में आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने अथवा उसमें रूपभेद करने और कुछ ऐसी वस्तुओं पर जिनका भारत में उत्पादन अथवा निर्माण किया जाता है, उत्पादन शुल्क बढ़ाने अथवा इसमें रूपभेद करने और उत्पादन शुल्क लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ *The Lok Sabha divided*

श्री बड़े (खारगोन) : बहुत से माननीय सदस्यों को इस बात का पता नहीं कि विधेयक पर मतदान होगा । अतः मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि मतदान स्थगित कर दिया जाए । अब पांच बज गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो सभा तो चल रही है ।

मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 124 ; विपक्ष में 21 *Ayes 124; Noes 21*

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The Motion was adopted*

Shri Hukam Chand Kachhavaya : We walk out as a protest.

[इसके पश्चात् श्री हुकम चन्द कछवाय और कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये ।]

[Shri Hukam Chand Kachhavaya and some other Members then left the House.]

श्री रंगा : माननीय मंत्रियों को इस पर लज्जा आनी चाहिए । आपको 270 में से केवल 124 का समर्थन प्राप्त है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा 23 अगस्त, 1965/भाद्र 1, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, August 23, 1965 Bhadra 1, 1887 (Saka).

GMGIPND--LSIII--1482 (Ai) L.S.D.--13-2-66--600.